खण्ड-376, अंक-1
बुधवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(5 मार्च, 1986 ई0)

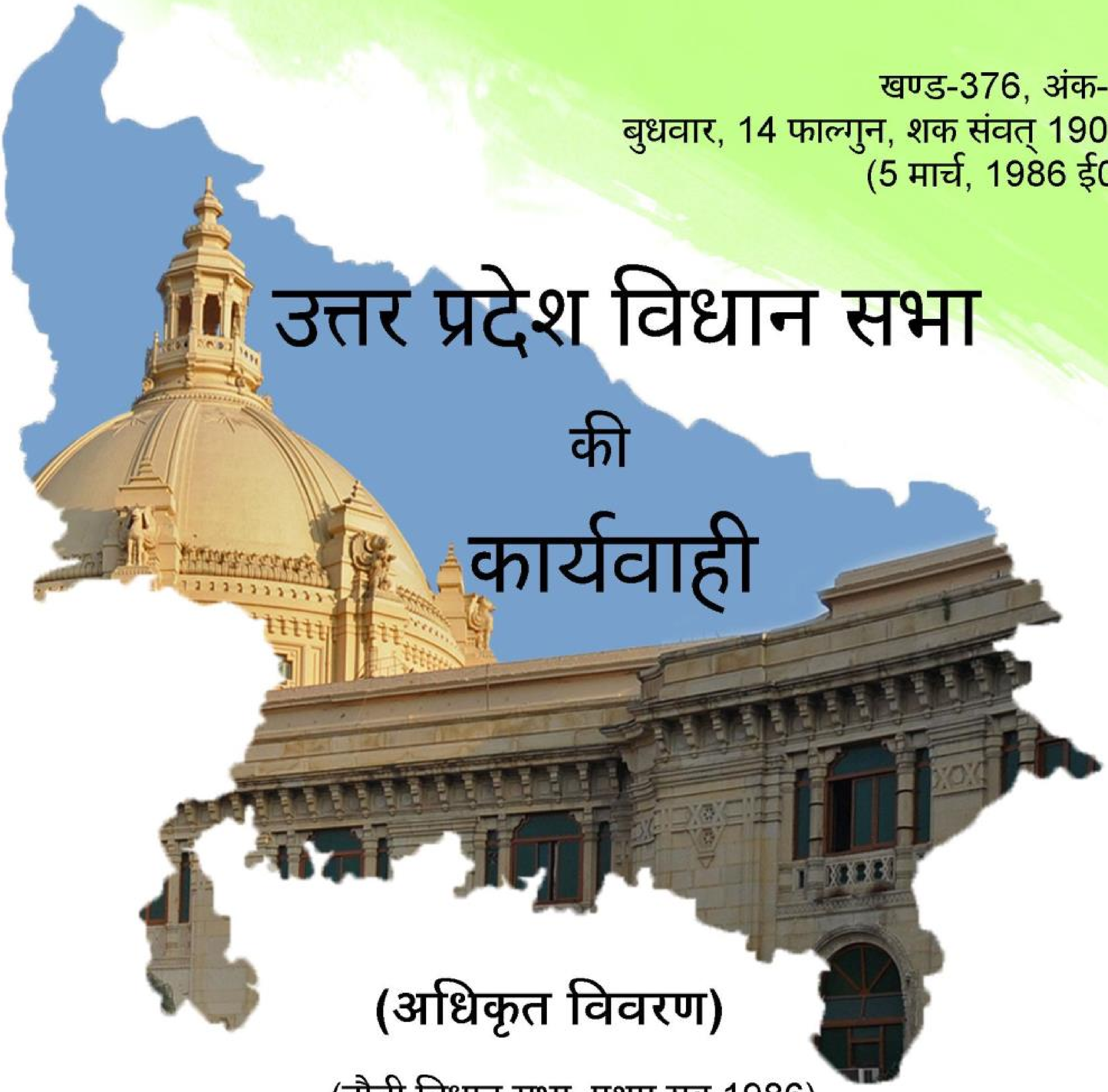

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या---43 परिवहन विभाग ( स्वीकृत ) . . . . . 77–120

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं . . . . . 120

श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी जिला सेवायोजन अधिकारी, सीतापुर की रहस्यमय मृत्यु के सम्बन्ध म नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य . . . . 121–123

नत्थियां . . . . . 124–129

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डल लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| अकबर हुसैन बावर, श्री | फैजाबाद | बसन्त सिंह महलौत, श्री | बिजनौर |
| अचल सिंह, श्री | फतेहपुर | बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री | बुलंदशहर |
| अजीत सिंह सेठी, श्री | मेरठ | बैजनाथ, श्री | देवरिया |
| अरविन्द तिवारी, श्री | जालौन | ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री | फर्रुखाबाद |
| अलमेलु अम्माल, कुमारी | बस्ती | भगवान दास, श्री | मुरादाबाद |
| अशोक सेहरा, श्री | आगरा | मैनेजर सिंह, श्री | बलिया |
| इन्द्र प्रताप सिंह, श्री | बहराइच | मोहम्मद असलम खां, श्री | सहारनपुर |
| एहतिशाम वली खां, श्री | बहराइच | मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री | रायबरेली |
| ओम प्रकाश रिछारिया, श्री | झांसी | रजनी कान्त दत्त, श्री | वाराणसी |
| कमाल अहमद रिजवी, श्री | खीरी | रमाकान्त मिश्र, श्री | इलाहाबाद |
| कल्यान सिंह, श्री | अलीगढ़ | रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री | रायबरेली |
| काजी मोहिउद्दीन, श्री | सहारनपुर | राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया | राजेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| कुंवर बहादुर मिश्र, श्री | हमीरपुर | रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री | बाराबंकी |
| कृष्ण कुमार, श्री | फैजाबाद | रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री | गोण्डा |
| कैलाश प्रसाद, श्री | गोरखपुर | वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री | गोरखपुर |
| कोकब हमीद, श्री | मेरठ | शनैनाथ सिंह, श्री | बिजनौर |
| जगदीश नरायन, श्री | हमीरपुर | शिव बालक पासी, श्री | रायबरेली |
| जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री | गोरखपुर | शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | गोरखपुर |
| जय नारायण शर्मा, श्री | मेरठ | संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री | वाराणसी |
| जागन सिंह, श्री | रामपुर | सखावत हुसैन, श्री | गाजियाबाद |
| नरेन्द्र देव, श्री | मिर्जापुर | सत्यपाल सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद | सत्य प्रकाश विकल, श्री | आगरा |
| नरेश चन्द्र, श्री | लखनऊ | सरस्वती प्रताप सिंह, श्री | खीरी |
| नारायण हरि शर्मा, श्री | अलीगढ़ | सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| निरोत्तम सिंह, श्री | बंदायूं | सुखदा मिश्रा, श्रीमती | इटावा |
| निर्भय पाल शर्मा, श्री | सहारनपुर | सुखपाल पाण्डे, श्री | बस्ती |
| पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री | कानपुर | सुग्रीव सिंह, श्री | देवरिया |
| प्रवीण कुमार शर्मा, श्री | बुलन्दशहर | सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री | रायबरेली |
| फसीउर्रहमान, श्री | गोण्डा | हर नारायण सिंह, श्री | रायबरेली |
| (उर्फ मुन्नन खां) | | हरशरन सिंह, श्री | मेरठ |
| बलदेव सिंह, कैप्टेन | अलीगढ़ | हितेश कुमारी, श्रीमती | बुलन्दशहर |

---

नोट:-श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्यमंत्री।

## प्रश्नोत्तर

बुधवार दिनांक 5 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण गोरखपुर की बैठक तथा परमिटों का वितरण

**1—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 6 जनवरी, 1986 से 9 जनवरी, 1986 को जिला गोरखपुर में अगठित रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथार्टी ने अनधिकृत एवं अवैधानिक रूप से कोरम के अभाव में भी परमिटों का वितरण किया? क्या परिवहन मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बैठक के सदस्य श्री सी0 बी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर के, बैठक में सम्मिलित न होने पर भी कार्यवाही में उनका नाम अंकित है? यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)—

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, गोरखपुर की बैठक दिनांक 6, 8 एवं 9 जनवरी, 1986 को हुयी थी मोटर वेहिकिल्स रूल, 1940 के अधीन प्राधिकरण की बैठक के लिए नियमानुसार दो सदस्यों का कोरम निर्धारित है। 6 और 8 जनवरी की बैठक में दो सदस्य उपस्थित थे तथा 9 जनवरी, 1986 की बैठक में तीन सदस्य उपस्थित थे। श्री सी0 बी0 शर्मा अधीक्षण अभियन्ता 9 जनवरी, 1986 की बैठक में उपस्थित थे, उसी दिन परमिटों के वितरण की कार्यवाही की गयी।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, प्रश्न में मैंने यह जानकारी पहले की है कि क्या परिवहन मंत्री जी को जानकारी है कि दिनांक 6 जनवरी, 1986 से 9 जनवरी, 1986 को जिला गोरखपुर में अगठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथार्टी ने अनधिकृत एवं अवैधानिक रूप से परमिटों का वितरण किया। वहां पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद गत 5 महीनों से रिक्त है माननीय हाइकोर्ट की डबुल बैंच ने रिट सं0 283, 1983 के एक निर्णय में कहा है कि बिना डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यह कमेटी अगठित है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

जब यह कमेटी अगठित है तो फिर बैठक कैसे हुई और परमिट कैसे बांटे गये?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, मैंने जवाब में ही कहा है कि जिस दिन परमिट देने की कार्यवाही हुई वह 9 ता0 थी और उस तारीख को सभी लोग उपस्थित थे।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

जब डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद रिक्त है बिना उसकी नियुक्ति के ट्रांसपोर्ट आर्थोरिटी का गठन अवैध है यह हाई कोर्ट का निर्णय भी है और आपके विभागीय नियमावली में भी है कि बिना उनके बैठक होना अवैध है तो फिर यह बैठक कैसे हुई?

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपकी राय है, यह प्रश्न तो है नहीं। आप प्रश्न कीजिये।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद रिक्त है और आपकी नियमावली तथा हाईकोर्ट का निर्णय भी है कि बिना उनके बैठक अवैध है तो यह फिर कैसे हुई ?

श्री अध्यक्ष–

अगर हाईकोर्ट का निर्णय है तो फिर यह कंटैम्पट में आ जायेगा। (व्यवधान)

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

यह प्रश्न ही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गोरखपुर के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद रिक्त है तो यह बैठक कैसे हो गयी और क्या यह बैठक अवैध नहीं है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, यह बैठक वैध है, लेकिन माननीय विधायक जिन्होंने यह सवाल किया है उनका मंतव्य दूसरा था इस संबंध में वह मुझसे मिले भी थे और लिख कर भी दिया था कि इसमें वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और बड़ा पैसा लिया गया है तो उसके बारे में मैंने टी0 सी0 से जांच करने के लिए लिखा है, कमिश्नर पुराने बदल गये हैं वहां नये कमिश्नर आये हैं उनसे भी मैंने कमेंट्स मांगे हैं, मुझे आशा है मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट कर सकूंगा।

श्री माता प्रसाद पांडेय–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अगठित रीजनल ट्रांसपोर्ट एथारटी में कौन-कौन सदस्य हैं और कौन-कौन मीटिंग में उपस्थित थे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मीटिंग में वहां के कमिश्नर, आर0 टी0 ओ0 सेक्रेटरी होता है, पी0 डब्लू0 डी0 के इक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर होते हैं और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने अभी पहले कहा था कि मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट कर दूंगा तो उसकी तिथि क्या है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जल्दी ही उनको संतुष्ट कर दूंगा। श्री माता प्रसाद पांडेय के प्रश्न के मैं जवाब दे रहा था, तो इक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर, श्री सी0 वी0 शर्मा पहले दो दिन की बैठकों में उपस्थित नहीं थे किन्तु कोरम पूरा होने में दो ही सदस्य माने जाते हैं जो थे किन्तु जिस दिन 9 तारीख को कार्यवाही हुई है उस दिन श्री सी0 वी0 शर्मा उपस्थित थे।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का मीटिंग में होना आवश्यक है जिसके संबंध में हाईकोर्ट और नियमावली में आवश्यक बताया गया है लेकिन वह अनुपस्थित मीटिंग में थे तो बैठक होना क्या वैध है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 2।

**निर्वाचन निदेशालय में अधिकारी की पुनर्नियुक्ति, पदों पर नियुक्ति हेतु बनाई गई सेवा नियमावली**

**2—श्री कुशल पाल सिंह,
श्री सुन्दर लाल,
श्री दूधनाथ,
श्री गया प्रसाद वर्मा,
श्री महाराज सिंह यादव,
श्री सत्यपाल सिंह तथा
श्री जवाहर सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन निदेशालय में कितने अधिकारियों को वर्ष 1985 में एक साथ दो वर्षों की पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी? क्या यह सही है कि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद दो वर्षों से रिक्त है? यदि हां, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी रिक्त पदों को तुरन्त भरने तथा पुनर्नियुक्ति को समाप्त करने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

एक अधिकारी की पुनर्नियुक्ति की गयी ।

निर्वाचन विभाग में नवसृजित उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी का एक अस्थायी पद अभी नहीं भरा गया है । पद पर नियुक्ति हेतु सेवा नियमावली बनाई जा रही है।

आवश्यकता होने पर यथासमय पद को भरने की कार्यवाही की जायेगी । जनहित में की गयी पुनर्नियुक्ति की अवधि से पूर्व समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन के कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार यह पुनर्नियुक्ति और सेवा इक्सटेंशन की गयी है, जो जवाब में अभी बताया गया है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो पुनर्नियुक्ति की गयी है वह नियमानुसार, आवश्यकता को देखते हुए और जनहित में की गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, स्पष्ट आदेश शासन के हैं कि पुनर्नियुक्ति किसी स्थिति में न की जायं और प्रदेश में बेरोजगारी को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए तो पुनर्नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, 31 जनवरी, 1985 को यह पुनर्नियुक्ति की गयी है और उस समय विशेष परिस्थिति इस प्रदेश में बनी हुई थी, लोकसभा और विधान सभा के चुनाव होने वाले थे । इसलिये आप इससे सहमत होंगे कि जो अधिकारी इस पद पर कार्यरत हैं, उसकी विशेष जानकारी और अनुभव के आधार पर उसको हटाना उस समय क्योंकि प्रदेश की जो जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग पर आयी थी, उसको देखते हुए पुनर्नियुक्ति की गयी ।

श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, मार्च 1985 में ही संसद और विधान सभाओं के चुनाव समाप्त हो गये थे और अब भी उसकी पुनर्नियुक्ति चल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में पुनर्नियुक्ति की आपकी योजना है या उनको रिगुलर करने की योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, भविष्य के लिये कोई मामला हमारे सामने विचाराधीन नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसकी शिकायतें थीं कि निर्वाचन नियमावली में बहुत हेर फेर किया है और मनचाहे ढंग से नाम कटवाये हैं, उसके खिलाफ गंभीर आरोप थे, क्या उसी को पुनर्नियुक्ति दी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

उस समय था इस समय भी जो शिकायत की बात कही है, कोई शिकायत नहीं विचाराधीन है, न ही शिकायत कभी इस अधिकारी के खिलाफ विचाराधीन रही है। वैसे तो आमतौर से शिकायत आती रहती है, इस समय उसके लिए जानकारी देना संभव नहीं है। क्योंकि जो प्रश्न है, उसमें ऐसा कोई बिन्दु नहीं है। मैंने कहा है कि जनहित में उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें पुनर्नियुक्ति दी गई है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित,
श्री राम आसरे वर्मा,
श्री हरिशंकर तिवारी तथा
श्री अच्युतानन्द तिवारी

[दि0 19-2-86 को अता0 प्र0 सं0 123 द्वारा उत्तरित]

### जनपद बाराबंकी के अंतर्गत रारी नाले की खुदाई

*2–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अंतर्गत रारी नाले की खुदाई कई वर्षों से न होने के कारण तहसील नवाबगंज व हैदरगढ़ के 150 गांव जल भराव से प्रभावित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल नाले की खुदाई के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी नहीं। वर्षाकाल में लगभग 75 ग्राम जल भराव से प्रभावित होते हैं जिसका कारण उनका निचली सतह पर स्थित होना है। रारी नाला एक प्राकृतिक नाला है। इसकी क्षमता वृद्धि की योजना वर्ष 1982 में स्वीकृत हुई थी तथा वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1985-86 में आंशिक कार्य ही कराया जा सका धनाभाव के कारण इसमें और कार्य कराना सम्भव नहीं हो सका है। धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

### मिट्टी के तेल के मूल्य के कथित वृद्धि

*3–श्री मित्रसेन–

क्या सरकार को जानकारी है कि अचानक मिट्टी के तेल में मूल्य वृद्धि कर दिये जाने के कारण ग्रामीण अंचलों के बाजारों में मिट्टी का तेल गायब हो गया है तथा ग्रामीण अंचल के साधारण जनता को दुगुने दामों में मिल रहा है? यदि हां, तो इसे निर्धारित मूल्य पर सर्व साधारण को उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन–

मैंने जानकारी चाही थी कि प्रदेश में मिट्टी के तेल का दाम बढ़ जाने से ग्रामीण अंचलों में उसका दाम दुगना हो गया है और ग्रामीण जनता को मिलना असम्भव हो गया है, किन्तु मंत्री जी ने 'जी नहीं' और 'जी हां' कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था क्या है और प्रति यूनिट कितना दिया जाता है और उसका रेट क्या है ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

यह जिले में मिट्टी के तेल की उपलब्धता के आधार पर और वहां की स्थानीय परिस्थितियों को देखकर तेल का वितरण किया जाता है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या मेरी जानकारी को सही मानकर कि आज भी ग्रामीण अंचल में मिट्टी का तेल ब्लैक से बिक रहा है, मंत्री जी उसकी जांच कराने और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

अगर माननीय सदस्य कोई शिकायत विशेष रूप से किसी स्थान का उल्लेख करके देंगे तो निश्चित रूप से जानकारी करा ली जाएगी और जांच करा ली जाएगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

देहाती क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सहकारी समितियों और फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से जो वितरण की व्यवस्था है, उसमें एक लीटर तेल के आपने क्या दाम फिक्स किए हैं और क्या उस दाम पर तेल उनको उपलब्ध हो रहा है या नहीं ? और क्या मेरी जानकारी को सही मानकर कि फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल में मिट्टी का तेल कतई उपलब्ध नहीं हो रहा है, मंत्री जी क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मंत्री जी ने रेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, जो इन्होंने फिक्स किए हैं।

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में 57 जनपद हैं । इनमें पांच पैसे से लेकर 10 पैसे तक का अन्तर प्रायः जनपदों में है। आप अंसारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बतायें देता हूं कि वहां 2 रु0 35 पैसे प्रति लीटर ग्रामीण अंचल में और 2 रु0 30 पैसा प्रति लीटर शहरी क्षेत्र में तेल दिया जाता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मंत्री जी का उत्तर पुराने रेट पर आधारित है । इस समय जो 45 पैसा प्रति लीटर बढ़ाया गया है, उस हिसाब से चुंगी की दरों को निकालकर वह ग्रामीण अंचल में किस भाव पर मिल रहा है, यह आप बतायें?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जो रेट बताये हैं वह वृद्धि होने के बाद के हैं। 2.35 रु0 का रेट जो आज चल रहा है यह मूल्य वृद्धि के बाद का है । पहले 2.20 रु0 प्रति लीटर की दर थी ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर से भाग रहे हैं साफ उत्तर नहीं देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि वह कौन सी एजेंसियां हैं जिनके जरिये यह वितरण किया जाता है। प्रति परिवार या प्रति यूनिट कितना मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश के लिये कितने मिट्टी के तेल की आवश्यकता है और कितने तेल की आपूर्ति कर रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि जिस वक्त मूल्य वृद्धि हुयी उस समय संकट हमारे सामने आया और कठिनाई भी हुयी आम जनता को क्योंकि एक दम से मूल्य निर्धारित नहीं हो सका। जैसा मैंने पहले बताया था कि पूरे प्रदेश में 90 हजार किलो लीटर तेल की आवश्यकता है और 70 हजार से 75 हजार किलोलीटर तेल ही मिल पाता है। विभिन्न जनपदों की आवश्यकता को देखते हुये 60 फीसदी से 70 फीसदी तक या कहीं पर 50 फीसदी मिट्टी का तेल ग्रामीण क्षेत्रों को देते हैं। इस वक्त एक लीटर से 5 लीटर तेल जनपदों में वहां के प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक से आवंटित करते हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनको 90 हजार किलोलीटर की आवश्यकता है यह किस आधार पर लगायी गयी। प्रति यूनिट कितने लीटर तेल देने के आधार पर लगायी गयी है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो विभिन्न जनपदों से इंडेंट आये हमारे पास और जो हमारे जिला पूर्ति अधिकारी और जिलाधिकारी से तेल की आवश्यकता को देखते हुये मांग आती है तो इसको आधार मानकर हमने संकलित किया और उसके अनुसार केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि हमें 90 हजार किलो लीटर तेल चाहिये। वहां पर आपूर्ति की स्थिति को देखते हुये जो उन्होंने आवंटित किया उसको हमने जनपदों को भेज दिया।

श्री गजराज सिंह–

मान्यवर, हापुड़ में 12 दूकानें निलंबित चल रही हैं। मैंने इसके बारे में मंत्री जी से निवेदन किया था और खाद्य एवं रसद की जो बैठक हुयी थी उसमें भी कहा था। आश्वसान दिया गया था कि इनको खुलवाया जायेगा। लेकिन दुकानें खुली नहीं हैं। इनकी यूनिट दूसरी जगह दूसरी दूकानों पर लगा दी गयी जिससे भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

जो सूचना हापुड़ के बारे में हमारे सम्मानित सदस्य ने दी है मान्यवर, उसके बारे में मैं जांच करा लूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देहात में प्रति यूनिट कितना तेल देने की व्यवस्था है और खपत को देखते हुये कितने तेल की आवश्यकता है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विभिन्न जनपदों में वहां की स्थिति को देखते हुये अलग-अलग तेल की आवश्यकता है जैसे पहाड़ी क्षेत्र में 10 लीटर देते हैं कहीं-कहीं जहां बिजली

हो गयी है वहां पर कम देते हैं । एक आधार पूरे प्रदेश के लिये नहीं हो सकता। जहां बिजली नहीं है वहां पर ज्यादा आवश्यकता है । आमतौर पर मैदानी क्षेत्र में एक लीटर से 5 लीटर तेल की हम आपूर्ति कर रहे हैं ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि जनपद बदायूं में जितने मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती है उसकी कालाबाजारी वहां के जिलापूर्ति अधिकारी और इंसपेक्टर द्वारा की जाती है । क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर इसको रुकवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसे कामों को रोकने लिए हम स्वयं प्रयत्नशील हैं, हमारे अधिकारी जाते हैं और बराबर चेक करते हैं । हमारे भी निर्देश इस संबंध में यही है कि पूरे प्रयास किए जाएं और आप लोगों ने स्वयं देखा भी होगा कि हमने यहां पर रेड भी किये और जिनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुयी है और हो रही है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गांवों में आज तेल की ज्यादा आवश्यकता होती है और गावों में ही तेल के कम मिलने की शिकायत है तो क्या ग्रामीण-क्षेत्र में प्रति यूनिट तेल और बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इस वक्त यह सही है कि राशन कार्ड पर ही प्रत्येक परिवार को तेल दिया जा रहा है और प्रति परिवार जो राशन कार्ड द्वारा तेल मिल रहा है, आवश्यकता उनकी उससे भी ज्यादा है, इस संबंध में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आज जितने मिट्टी के तेल की हमें आवश्यकता है उतना तेल हमें नहीं मिल पा रहा है कि विभिन्न जिलों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम उन्हें पूरी तरह प्रदान कर सकें ।

श्री विजय सिंह राणा–

माह जनवरी में गावों के लिए कुल कितना कोटा एलाट किया गया था, उसमें से कितने तेल की खपत हो गयी और जैसे ही केन्द्र सरकार ने मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाये, वैसे ही सारे के सारे व्यापारियों ने तेल को बचाकर छिपाकर अपने गोदामों में भर लिया, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मा0 सदस्य का यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं, सामान्य नहीं है, मैंने यह भी जानकारी चाही है कि जनवरी में कितना कोटा गावों के लिए एलाट हुआ और उसमें से कितने की खपत हो गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

तो जहां तक आपके पहले प्रश्न का जवाब है कि यहां से जो अलाटमेन्ट होता है, वह मुख्यालय से ग्रामीण अंचलों व विभिन्न शहरों के लिए नहीं होता है । यह सभी जनपदों में पहले जाता है फिर वहां के प्रशासनिक अधिकारी तय करते हैं कि किस क्षेत्र में, किस गांव और शहर में कितना-कितना दिया जाए, उनकी

आवश्यकताओं को देखते हुए तय होता है, इसके लिए यह कहना अलग से उचित नहीं है कि इस शहरी क्षेत्र में कितना होता है और गांव के क्षेत्र में कितना होता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**बरहज बाजार, देवरिया में घाघरा नदी के दक्षिण बिसुनपुरा देवरा से बरहज घाट के पास नये बांध का निर्माण**

*1—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरहज बाजार देवरिया में घाघरा नदी के दक्षिण बिसुनपुरा देवरा से बरहज घाट के पास तक नये बांध का निर्माण हुआ है, परन्तु उसे दक्षिण पश्चिम, नसरुल्लाहपुर, जनपद आजमगढ़ होते हुए सारंगपुर सेमरा के पास सूर्यपुर बांध में नहीं मिलाया गया है, जिससे इस नये बांध की उपयोगिता व्यर्थ सिद्ध हो रही है? यदि हां, तो क्या उस बांध से नसरुल्लाहपुर, सारंगपुर व सेमरा जनपद आजमगढ़ तक बांध का निर्माण कराकर सूर्यपुर बांध में मिलाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक संभव हो जायेगा?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री विष्णु देव—

मान्यवर, यह प्रश्न 4 माह पहले का है और 19 फरवरी को एक बार यह स्थगित भी हुआ है, परन्तु आज भी मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, नदी के किनारे बांध के बनवाने का मसला है, जिसके बरसात से पहले-पहले बनने की जरूरत है और मान्यवर, बजट सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन अभी सूचना ही एकत्र की जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी 3 दिन के अंदर-अंदर सूचना मंगाकर इसके लिए आवश्यक निर्देश देने की कृपा करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध हुयी थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए पर्याप्त जानकारी के लिए फिर से सूचना मांगी है और इसकी सूचना आने पर शीघ्र ही प्रश्न का उत्तर दे देंगे।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इनके जितने भी मामले आए हैं, सभी में यही उत्तर दिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है, जब 19.2. को यह प्रश्न फिर दुबारा आया तो स्थगित हुआ और फिर आज आया तो मा0 मंत्री जी उस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, तो इस तरह मा0 मंत्री जी सूचना न देने का बहाना कर रहे हैं, और सही उत्तर देने से कतरा रहे हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर को कब तक टालते रहेंगे? इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मा0 मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर 2 दिन के अंदर सदन में दिलवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना आ जाएगी उसी हिसाब से पूछ लीजिएगा।

**दि हिन्दुस्तान टुबैको कम्पनी 281, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर के प्रोप्राइटर द्वारा शीरे का परमिट न दिये जाने के संबंध में पत्र**

*2—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 2 मई व 29 मई, 1985 को दि हिन्दुस्तान टुबैको कम्पनी 281, विजय लक्ष्मी नगर जिला सीतापुर के प्रोप्राइटर ने उन्हें इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर व सामान्य प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सीतापुर की तथा आयुक्त एवं निदेशक, उत्तर प्रदेश (कच्चा माल अनुभाग-8) कानपुर की संस्तुति के बावजूद आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने उसको शीरा का परमिट नहीं दिया जिसके कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा देने वाला उसके माल का निर्यात ठप्प है? यदि हां, तो क्या शासन ने उस पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार इकाई ने वर्ष 1982-83 में खाण्डसारी शीरे से अपना उद्योग चलाया था। खुले बाजार में खाण्डसारी शीरा प्रश्नगत उद्योग चलाने के लिये उपलब्ध रहा है। अतः चीनी मिलों का शीरा आवंटित न होने के कारण निर्यात ठप्प होने का प्रश्न नहीं उठता।

इकाई के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र नियमानुसार कार्यवाही हेतु शासन द्वारा शीरा नियंत्रक (आबकारी आयुक्त) जो आवंटन के लिये सक्षम है, को दिनांक 10-6-85 व 28-6-85 को भेज दिये गये थे शीरा वर्ष 1984-85 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित होने वाले शीरे की अत्यधिक कमी के कारण इस नई इकाई को शीरा आवंटित नहीं किया जा सका।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1984-85 में शीरे का उत्पादन क्या था, 1985-86 में शीरे का अनुमानित उत्पादन क्या होगा?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, जैसा निवेदन किया कि कन्ट्रोल का शीरा वह चीनी मिलें बनाती हैं। 1982-83 में 85.3 लाख कुन्टल, 83-84 में 76.42 लाख कुन्टल, 1984-85 में 68.00 लाख कुन्टल और 85-86 में 72 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन हुआ है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो नई इकाइयां हैं, जो तम्बाकू का उत्पादन करती हैं उनको शीरे का आवंटन नहीं किया जाएगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, 1982-83 में आवंटन किया गया था, तो पहले आवंटन चला आ रहा है और सामान्य प्रबंधक ने इस पर स्वीकृति दी है, तो ऐसी इकाई को जिसको पहले से मिल रहा था फिर से देने में क्या आपत्ति है, जिससे कि फारेन पैसा भी मिल जाता है?

श्री चेतराम गंगवार—

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 26.7.84 को आवंटन हुआ इससे पहले इस चीनी मिल को कभी शीरे को नहीं दिया गया।

हमारे पास 199 औद्योगिक इकाइयां हैं। तम्बाकू की 16 इकाइयां हैं, इसके अलावा अन्य इकाइयां हैं। जिनकी संख्या हजारों में है शासन ने निर्णय लिया है कि जो कैटेल शीट बनाती हैं उनको प्राथमिकता दी जादगी।

श्री कौशिक रमाशंकर—

शीरा बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है इससे बहुत सी चीजें बनती हैं, तो इसकी आवश्यकता और महत्ता को देखते हुए क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि कृषकों के माध्यम से जो शीरा उपलब्ध होता है उसको अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इस पर शासन ने पहले विचार किया था। अनेकों मीटिंग हुईं। इसमें जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं उसकी संख्या 262 है । यह इकाईयां देहातों में रन करती हैं। हमारे सामने इनके रख-रखाव तथा हिसाब-किताब की समस्या है। हमारे पास स्टाफ नहीं है। इस विभाग में स्टाफ पर 1.17 प्रतिशत खर्च होता है। आपने कहा है तो हम देख लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मंत्री जी ने कहा कैटिल फीड के लिये देंगे। यह इकाई विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। विदेशी मुद्रा की इस समय कमी है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से पूरा न सही तो कुछ इस साल सीरा आवंटित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार—

शासन की यह नीति है कि तम्बाकू बनाने वालों को नहीं देंगे। बहुत से लोगों के प्रार्थना पत्र हमारे पास लखनऊ, कानपुर के पड़े हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि खाण्डसारी इकाईयां बहुत हैं और दूर-दूर फैली हैं। मंत्री जी ने बताया कि उनको कन्ट्रोल करने पर विभाग का खर्च बहुत बढ़ जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सर्वेक्षण मंत्री जी ने कराया है कि इन खाण्डसारी इकाईयों से कितना शीरा उपलब्ध होगा तथा इनको कन्ट्रोल करने पर कितना प्रशासनिक व्यय होगा। नियंत्रण लाभकारी भी हो सकता है या नहीं ?

श्री चेतराम गंगवार—

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न बहुत व्यापक है। 82-83 के अनुमान के आधार पर चीनी मिलों से 82-83 में 85.38 लाख कुन्तल, 83-84 में 76.42 लाख कुन्तल, 84-85 में 67.99 कुन्तल. यह अनुमान था कि इतना शीरा उपलब्ध होगा। अभी खाण्डसारी शीरे का कन्ट्रोल करने का कोई इरादा नहीं है ।

[बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री सरदार सिंह—

[9वें शुक्रवार में तारां0प्र0सं0 13 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

**कानपुर के बाहर की सूती मिलों का वर्गीकरण करके श्रमिकों के वेतन का निर्धारण**

*2—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—
(अनुपस्थिति)

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के बाहर के सूती मिलों का वर्गीकरण करके श्रमिकों का वेतन निर्धारित किया गया था? यदि हां, जो राज्य कताई मिल कम्पनी नं0 1 के रायबरेली, बाराबंकी,

अकबरपुर तथा मऊ स्थित कताई मिल किस वर्ग में रखे गये हैं तथा वहां पर क्या निर्धारित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

कानपुर के बाहर की सूती मिलों का वर्गीकरण करके श्रमिकों का वेतन वर्ष, 1974 में निर्धारित किया गया था। राज्य कताई मिल नं0 1 की रायबरेली, बाराबंकी, अकबरपुर तथा मऊनाथ भंजन स्थित कताई मिलें उस समय अस्तित्व में नहीं थीं। अतः इनके वर्गीकरण तथा श्रमिकों के वेतन निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में उक्त प्रतिष्ठानों में समय-समय पर उभय पक्षों के मध्य हुये सहमति तथा समझौतों के आधार पर श्रमिकों को वेतन मिल रहा है।

**जनपद आजमगढ़ में अवरानाला लासा ताल, पछनही ताल व लिखिया ताल में बरसाती पानी निकालने हेतु परियोजना**

*3–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नत्थूपुर क्षेत्र तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में अवरानाला लासा ताल, पछनही ताल, लिखिया ताल में बरसाती पानी भर जाने से कई हजार एकड़ की फसलों को बरबादी से बचाने के लिए, जल निकासी के संबंध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 25-6-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त बरबादी को बचाने के लिए जल निकासी की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

दिनांक 25-6-85 का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बल्कि इसी आशय का एक पत्र दिनांक 1-6-85 अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था। बरसाती पानी निकालने के लिए लिखिया ताल से संबंधित अवरा नाला प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना मुख्य अभियंता समिति को प्रेषित की जा चुकी है तथा लासा ताल एवं पछनही ताल से संबंधित नालों के पुनरोद्धार की परियोजना बनाई जा रही है, जिसे शीघ्र मुख्य अभियंता समिति को प्रेषित किया जायेगा। उक्त परियोजना के स्वीकृति होने तथा धन प्राप्त होने पर इन परियोजनाओं पर कार्य कराना संभव हो सकेगा।

श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि अवंरा नाला प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना मुख्य अभियंता समिति को प्रेषित की जा चुकी है तथा लासा ताल एवं पछनही ताल से संबंधित नालों के पुनरोद्धार की परियोजना बनाई जा रही है, तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात के महत्व को देखते हुए कि हजारों हजार एकड़ जमीन की बर्बादी का सवाल है और लासा ताल एवं पछनही ताल की खुदाई कराकर हजारों-हजार एकड़ फसल को बचाने का प्रयास करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अभी इस परियोजना का परीक्षण चल रहा है, जब तक यह परीक्षण नहीं हो जाता है तब तक यह कहना संभव नहीं है कि करा देंगे।

श्री विष्णुदेव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह परीक्षण कब तक समाप्त हो जायगा और कब तक इस कार्य को शुरू करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अभी तो इस परियोजना पर मुख्य अभियंता समिति परीक्षण कर रही है, उसमें उन्होंने कुछ आब्जेक्शन्स लगाए थे, उनको दूर किया जा रहा है। परीक्षण पूरा हो जायगा तभी यह कहना संभव होगा कि परियोजना लाभकारी होगी या नहीं।

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[10वें सोमवार में तार्यं0प्र0सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*5–श्री जयदीप सिंह बरार–

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

**मध्य गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण तथा कार्य प्रगति**

*6–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1985 तक मध्य गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ है और कितने भाग का सिंचाई उपयोग के लिए परीक्षा हुई है? क्या लक्ष्य के अनुसार सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के कारण क्या है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मध्य गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत केवल 4 पुलों को छोड़कर, जिन पर कार्य प्रगति में था, की मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 115.45 किलोमीटर है, का कार्य अक्टूबर, 85 में पूर्ण किया जा चुका है। मध्य गंगा मुख्य नहर को शीर्ष से 92 किलोमीटर की लम्बाई तक जहां इस्केप स्थित है, का माह अगस्त व सितम्बर, 85 में चलाकर परीक्षण किया गया। मध्य गंगा मुख्य नहर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परीक्षण के लिये चलाई गयी। यह खरीफ नहर है तथा वर्षाकाल में ही धान की सिंचाई हेतु चलाई जायेगी। इस परियोजना के समस्त कार्यों को वर्ष 1989-90 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है, जिसके अनुसार कार्य प्रगति पर है। अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मध्य गंगा नहर परियोजना सिंचाई विभाग के लूट का अड्डा है और उसमें अनेकों भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आई हैं। जैसा अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि अगस्त और सितम्बर में इसकी परीक्षा पूरी की गयी, तो जिस समय नहर में पानी छोड़ा गया, सीपेज की वजह से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गया। तो क्या मध्य गंगा नहर के निर्माण में लाइन डिजाइन टैक्निक का प्रयोग हुआ था और उसका प्रयोग न किये जाने से नहर में सीपेज हुआ और अधिक पानी बाहर निकला और उसी की वजह से चूंकि नहर कच्ची बनी, अतः 90 किलोमीटर के पास 3 किलोमीटर नहर बह गयी? यदि हां, तो इन अनियमितताओं को देखते हुए मध्य गंगा नहर में एक किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक लाइन डिजाइन टैक्निक का काम शुरू किया गया। तो शासन ने यदि यह निर्णय किया है तो जो करोड़ों रुपयों की वित्तीय क्षति हुई, उसमें उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जहां तक नहर के बहने का सवाल है, ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि नहर बही हुई है। जहां तक लाइनिंग की बात है, लाइनिंग के

बारे में इसमें पूछा नहीं गया था। अगर इसकी लाइनिंग के बारे में अलग से जानकारी चाहेंगे, तो दिला देंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 2 करोड़ 22 लाख की परियोजना है। 4 पुलों को छोड़कर के, शेष काम पूरा किया जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नहर बननी थी, वह कच्ची बननी थी या पक्की। मान्यवर, पक्की नहर की जगह पर कच्ची नहर का निर्माण किया गया, जिस कारण यह स्थिति पैदा हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो इसमें उत्तरदायी लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, नहर तो पहले कच्ची बनती ही है। अगर लाइनिंग के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहेंगे तो मैं दिला दूंगा।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, दून घाटी में 22 हैक्टेयर क्षेत्र असिंचित है, यह इनके विभाग के अधिकारियों की भी जानकारी में है, क्या वहां के लिये कोई नहर निकालने की योजना है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नहर के लिये जो प्राक्कलन स्वीकृत हुआ था, उसमें किस तरह की नहर बनाने की बात थी, कितनी दूरी की बात थी और कितना रुपया स्वीकृत हुआ है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह जो मध्य गंगा नहर के लिये योजना बनायी गयी थी, वह 66 करोड़ रु0 की थी, जोकि 1975 के लागत मूल्यों के अनुसार थी। इसका बाद में 1983 के मूल्यों के आधार पर पुनरीक्षण कराया गया, पुनरीक्षण के बाद यह 206.22 करोड़ रु0 की हो गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि प्राक्कलन में किस तरह की नहर और कितनी नहर बनाने की बात थी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसकी मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है अगर आप चाहेंगे, तो दिलवा देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देखें मैंने एक छोटा सा मूलभूत प्रश्न किया, जिस पर ही संबंधित माननीय सदस्य की आपत्ति भी है, उसकी भी सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसे आप देख लें इसमें लाइनिंग के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया था। अगर लाइनिंग के बारे में आप चाहेंगे, तो जरूर दिलवा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल यह किया था कि प्राक्कलन में क्या था, आपने भी उसे ग्राह्य किया और माननीय मंत्री जी को जवाब देने के लिये कहा।

लेकिन, इनके पास इतनी भी सूचना नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोगों की भावना को देखते हुए, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

पक्की नहीं है, कच्ची से तो काम चल गया, आपका मतलब तो पूरा हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, काम कहां चला? वह तो बह गयी।

*7–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[30वें मंगलवार में तारां0प्र0सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*8–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[दिनांक 26-2-86 को तारां0प्र0सं0 1 द्वारा उत्तरित]

*9–श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**बहुचर्चित कोयला घोटाला कांड के मुख्य अभियुक्त तथा उनकी गिरफ्तारी**

*10–श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को 1984 में हुए कानपुर के बहुचर्चित कोयला घोटाला काण्ड के बारे में जानकारी है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त काण्ड का मुख्य अभियुक्त कौन है? क्या सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कितने मुकदमें थानों में कब-कब दर्ज हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

इस बहुचर्चित कोयला काण्ड के मुख्य अभियुक्त सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री वी0 पी0 गुप्ता है। अभियुक्त सुरेश चन्द्र गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था।

उक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17 अक्तूबर, 1984, 27 अप्रैल, 1985 एवं 21 जून, 1985 को तीन मुकदमें अलग अलग थानों में दर्ज किये गये। उक्त तीनों मुकदमों में अभियुक्त के फरार होने के कारण पुलिस द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गयी। विवेचना के उपरान्त सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*11–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अचल सिंह तथा श्री बालेश्वर–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं को प्रतिबंधित स्थान पर रहने के शासनादेश**

*12–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय नियमों के अनुसार दस वर्ष की अवधि के बाद सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं को प्रतिबंधित स्थान पर रहना अनिवार्य है? यदि हां, तो अब तक विभाग में कितने सहायक यांत्रिक

अभियन्ता 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी अभी तक प्रतिबंधित स्थानों पर नहीं गये हैं? क्या उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह सहायक या यांत्रिक अभियन्ता, प्रथम उप खण्ड नलकूप, आगरा को वर्ष 83-84 में प्रतिबंधित स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया था? यदि हां, तो किन कारणों से वर्ष 83-84 में इनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया? क्या वर्ष 85 में भी इनका स्थानान्तरण सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर प्रतिबंधित स्थान को किया गया है और इस वर्ष 85 में भी इनका स्थानान्तरण स्थगित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो उन्हें कब कार्यमुक्त कर दिया जायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी नहीं, किन्तु शासनादेश संख्या 4698/1/75-23-सि-1-3/75, दिनांक 5-7-1975 के अनुसार प्रत्येक सहायक अभियन्ता यांत्रिक को नियुक्ति के प्रथम 10 वर्षों में प्रतिबंधित स्थान पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसे 7 सहायक अभियन्ता यांत्रिक हैं तो 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी अभी तक प्रतिबंधित स्थानों पर नहीं गये हैं। श्री वीरेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता को मई 1984 में प्रतिबंधित स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था जिसे कार्यहित में संशोधित किया गया। वर्ष 1985 में श्री वीरेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता का पुनः स्थानान्तरण सिंचाई कार्यशाला मण्डल कानपुर प्रतिबंधित स्थान पर किया गया जिसे कार्यहित में 31-5-1986 तक स्थगित कर दिया गया है। उक्त तिथि के पश्चात् इन्हें कार्यमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे प्रश्नों का सही जवाब दे। ऐसा नहीं कि वह जो चाहे, वह उत्तर दे। दो बार इस व्यक्ति का ट्रान्सफर हुआ, लेकिन कार्य हित में उसका ट्रान्सफर रोक दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कार्यहित क्या था? क्या आपके विभाग में ऐसे भी कुछ इन्जीनियर हैं, जो बिना कार्य के नियुक्त किये गये हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, कार्य-हित में सरकार जो उचित समझती है, उसके ट्रान्सफर को रोक देती है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सरकार जैसा उचित समझे, वैसा करे, इससे काम चलने वाला नहीं है। उसका ट्रान्सफर हो गया और इस बीच में दूसरे आदमी ने वहां पर ज्वाइन भी कर लिया और उसने कई महीने वहां पर कार्य भी किया। फिर उस आदमी को वापस बुलाकर वहां पर थोप दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस आदमी ने वहां पर ज्वाइन किया था, उसने वहां पर कितने महीने कार्य किया और जिस व्यक्ति का ट्रान्सफर हुआ था, उसे कितने दिन बाद वहां पर लाकर पुनः थोप दिया गया?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, नेता विरोधी दल के विशेष आग्रह पर यह किया गया और सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण रोक दिया गया। यदि आप कहें तो मैं नेता विरोधी दल का पत्र पढ़ देता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री, श्रीमन्, श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता, यांत्रिक नलकूप खण्ड, आगरा में गत वर्ष से कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप बैठ जायं। मैंने श्री बदन सिंह को बुला लिया है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण माननीय नेता विरोधी दल के कहने पर रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि प्रदेश में 7 सहायक अभियन्ता ऐसे हैं यांत्रिकी के, जो 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी अभी तक प्रतिबंधित स्थानों पर नहीं गये हैं। क्या माननीय मंत्री, जिन अभियन्ताओं के ट्रान्सफर नहीं हुए हैं, उनका ट्रान्सफर करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जब समय आयेगा, तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इस सहायक अभियन्ता के ट्रान्सफर के बारे में आगरा में बड़ी चर्चा है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जब से यह आगरा में नियुक्त हुए हैं तब से इनके एसेट्स कितने बढ़े हैं? क्या इस बात की जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि कार्यहित में रोका गया, माननीय नेता, विरोधी दल के निवेदन पर तो रोका नहीं। जानना चाहता हूं कि वह कार्यहित क्या था और उस कारण क्यों रोका गया?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं बनता है आप बैठें।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने पहले प्रश्न किया था कि इन्होंने कहा कि कार्यहित में स्थानान्तरण रोक दिया गया। बीच में एक आदमी को ज्वाइन कराया गया, 6 महीने उसने काम किया, फिर उसका ट्रान्सफर रोक दिया गया। जब कार्य को दूसरे आदमी ने सम्भाल लिया चार्ज ले लिया 84 में ट्रान्सफर हुआ, 85 में फिर रोका गया . . .

श्री अध्यक्ष–

कभी-कभी आपकी भावनाओं का आदर करना पड़ता है, आप बैठें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

माननीय नेता, विरोधी दल का सम्मान करते हुए . . .

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

यह नहीं होगा, ऐसी बातों से काम चलने वाला नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब उसका ट्रान्सफर हुआ, बीच में दूसरे आदमी ने ज्वाइन किया, 6 महीने काम किया, तब फिर कार्यहित कहां से आ गया? मैं यह जानना चाहता हूं कि बीच में दूसरे आदमी ने ज्वाइन कर लिया था या नहीं? यदि ज्वाइन कर लिया था तो फिर कार्यवाही का प्रश्न कहां से आ गया?

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि माननीय नेता, विरोधी दल के विशेष सम्मान को देखते हुए ऐसा किया गया।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

जरा गम्भीरता से सोचें, यह एक ऐसा विषय है जो आपको नहीं उठाना चाहिये। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री राम सरन–

किस तारीख में आपने ट्रान्सफर रोका और नेता, विरोधी दल का लेटर कब का है?

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि उस ब्यौरे में न जायं।

(श्री विजय सिंह राणा द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप बैठ जायं।

श्री विजय सिंह राणा–

प्रश्न करने के बाद जवाब नहीं आयगा? मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

(व्यवधान)

**बलिया जनपद के तहसील रसड़ा के क्षेत्र सीयर में जल प्लावन की समस्या**

*13–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के तहसील रसड़ा के क्षेत्र के किसानों की घाघरा की बाढ़, कटान फरहीनाला कुइली मुहान ताल, ताल शुठारी (सखाहल) लकारी भीण्ड आदि बीसों तालों के जल-प्लावन से पूरे क्षेत्र में 70 प्रतिशत फसल बरबाद हो गई है जिससे किसानों और खेत मजदूरों के घरों पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विशेष धन की व्यवस्था कर वहां सड़क, नाली, ड्रेन आदि खोदवाने व उसमें मजदूरी देकर लोगों को भुखमरी से बचाने की कृपा करेगी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

बलिया जनपद की तहसील रसड़ा के क्षेत्र सीयर में जल प्लावन की समस्या है। इसमें 13,000 एकड़ असुरक्षित क्षेत्र श्रीनगर–तुर्तीपार बांध, हाहा नाला बांध एवं घाघरा नदी के बीच का वर्षा-काल में प्रभावित होता है। लगभग 7,330 एकड़ भूमि फरही नाला, कोईली मोहान ताल, ताल सुहारी तथा ताल लकारी भीण्ड से प्रभावित होता है इस क्षेत्र की जल प्लावन की समस्या की राहत के लिये ड्रेन/नालों के पुनरोद्धार की योजना तैयार करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी, बलिया को प्रेषित की गयी है, जिसकी लागत 6.33 लाख रुपया है। धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा, जिससे क्षेत्रीय मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संबंध में यह कहना है कि एक तरफ तो मंत्री जी स्वीकार करते हैं 13,000 एकड़ भूमि असुरक्षित है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी, बलिया को निर्देशित कर दिया है कि वहां का काम करावें।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री शारदा नन्द अंचल–

तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण

रोजगार योजना के द्वारा कार्य पूरा कराने के लिए कब तक धन उपलब्ध किया जायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सम्मानित विधायक उस कमेटी के स्वयं सदस्य हैं वह जानते होंगे कि कब तक धन उपलब्ध हो जायेगा। जब वे धन उपलब्ध करा देंगे तो हम वहां कार्य प्रारम्भ करा देंगे।

श्री शारदा नन्द अंचल–

वहां का पूरा क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित रहता है। हर जिला योजना में धन बहुत कम दिया जाता है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए वहां कब तक आप धन की व्यवस्था करा सकेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

अभी हमारे विभाग के बजट में इसके लिए धन का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय विधायक स्वयं उस कमेटी के सदस्य हैं और जानते होंगे कि धन कब तक उपलब्ध होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी कमेटी के सदस्य को यह अख्तियार है कि वह बजट दिला सके या किसी कार्य के लिए धन उपलब्ध करा सकें?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैंने खाली प्रक्रिया की बात कही थी कि कमेटी में माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं और वे कमेटी की बैठकों में भाग लेते रहे होंगे और कमेटी का निर्णय उन्हें अवगत होगा। मेरे पास कोई उस कमेटी की मिनिट्स तो आयी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था।

(तारांकित प्रश्न संख्या 14 पुकारे जाने पर)।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मंत्री जी अभी हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, पहले इसको सीखिये तब जवाब दीजिये।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह से सीखा हुआ हूं।

**बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया में गोरखपुर के नकवार बोहावार बांध के निर्माण पर कुल व्यय**

*14–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया में गोरखपुर का 7 किलोमीटर नकवार बोहावार बांध पर कितना धन खर्च होने का अनुमान था और निर्माण तथा मरम्मत में अब तक अलग-अलग कुल कितने रुपये किस-किस हेड पर खर्च किए गये हैं? क्या यह सच है कि अधिशासी अभियन्ता ने शासनादेश संख्या 6387/84-23 सिंचाई 7–44 (1)/82 दिनांक 11-12-84 के आदेश का उल्लंघन कर 18 लाख रुपए में तैयार होने वाले बांध पर 43 लाख रुपया खर्च किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

बाढ़ खंड, देवरिया के अन्तर्गत प्रश्नगत बांध की 6.1 कि0मी0 लम्बाई में 16,40 लाख रुपये की परियोजना 1982 में तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत की गई थी जिसमें संशोधन कर बांध नदी से दूर पीछे हटाकर उसे 7.4 कि0मी0 लम्बाई के लिए अनुमोदित किया गया तथा उसकी पुनरीक्षित लागत, दरों तथा

मात्राओं में बढ़ोत्तरी के पश्चात दिसम्बर, 1985 की दरों पर 41 लाख रुपये की आई । दिसम्बर, 1985 तक इस परियोजना के निर्माण पर कुल 22,77,628-12 रुपये का व्यय निम्नानुसार हुआ :-

1-मद 533 (सिंचाई जलोत्सारण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य)
रु0 21,84,749.33

2-मद 314 (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम)
रु0 85,956.29

3-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम रु0 6,922.50

कार्य प्रगति पर है तथा मरम्मत पर कोई व्यय नहीं हुआ है । संदर्भित शासनादेश ड्राइंग स्टाफ के कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के संबंध में है और मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । अब तक कुल रुपये 22,77,628-12 व्यय हुआ है न कि 43 लाख रु0 का।

श्रीमती शारदा देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विधायक जी से यह प्रश्न करवाना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है ।

श्री कनक सिंह-

माननीया सदस्या यह जानना चाहती हैं, कि माननीय मंत्री जी ने जो इसमें 6.1 किलोमीटर पर 15.40 लाख रुपया दर्ज किया हुआ दर्शाया है । (व्यवधान) मैं (मा0 सदस्या की ओर से) पूछ रहा हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने 22,77,628.12 रुपये इस बांध पर खर्च बताया है, तो यह बतायें कि इस अन्दाज से कितने लम्बे बांध का निर्माण हुआ है?

श्री भोला शंकर मौर्य-

मिट्टी का काम पूरा हो चुका है।

श्री कनक सिंह-

मान्यवर, 22,77,628.12 रु0 में केवल मिट्टी का काम पूरा हुआ है, लेकिन कितने किलोमीटर लम्बा बांध बना है ?

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, मैं यह पहले अर्ज कर चुका हूं कि 7.4 किलोमीटर लम्बाई में जो बांध बनना था, उसमें मिट्टी का काम सब पूरा हो चुका है।

श्री लाल प्रताप सिंह-

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे जिलों में कटाव हो रहा है, जनपद प्रतापगढ़ में भी इसी तरह भूमि का कटाव हो रहा है तो क्या इसके लिये आप कोई स्पेशल योजना बनायेंगे और इस कटाव को रोकने की कृपा करेंगे। कोई स्पेशल स्टेप लेंगे?

श्री अध्यक्ष-

यह तो इससे ताल्लुक नहीं रखता ।

श्री लाल प्रताप सिंह-

कटाव की बात है और सभी जिलों से सम्बन्धित है।

**जनपद आगरा की कतिपय तहसीलों में नदियों के क्षेत्र में खेती योग्य भूमि के लगातार बढ़ते कटाव से हो रही राजकीय हानि**

*15-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद, बाह फतेहाबाद, आगरा, एत्मादपुर खैरागढ़ में जमुना चम्बल उद्गम सिरसा, सेंगर नदियों के क्षेत्र में खेती योग्य भूमि के लगातार बढ़ते कटाव से हो रही राजकीय हानि से बचाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न 1985 का है, सिंचाई विभाग पूरे क्षेत्र में काम कर रहा है, आगरा जनपद की 4 तहसीलों में, फिरोजाबाद, वाह, फतेहाबाद, और खैरागढ़ में जमुना, चंबल, उतंगन, सिरसा और सेंगर नदियां बहती हैं और उनकी कटान से कितनी भूमि की कटान होती है और उसको दूर करने के लिये शासन ने क्या कार्य किया है, मान्यवर, इसका उत्तर इसी सत्र में दिलाने का कष्ट करें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसका उत्तर 15 दिन में दिला देंगे।

श्री बदन सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सूचना एकत्र कर रहे हैं, माननीय रघुवर दयाल वर्मा के प्रश्न पर कि आगरा जनपद में नदियों से कितनी भूमि का कटान होता है, तो माननीय मंत्री जी उसी के साथ ही साथ उटंगन नदी जो तहसील किरावली जनपद आगरा में है, उसके बारे में भी सूचना एकत्र करने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

आप लिखकर भिजवा दें, मैं करवा लूंगा।

**उमरी माइनर तथा बबेरू माइनर के पानी के जल प्लावन से बचाने हेतु प्रस्तावित ड्रेन**

*16–श्री देव कुमार यादव–

क्या यह सही है कि जनपद बांदा की बबेरू तहसील के अन्तर्गत केन नहर प्रणाली के उमरी माइनर तथा बबेरू माइनर के टेलों को किसी नदी नाले में न गिराने के कारण तहसील के गांव अरथरा पून परास, जनवान, बबेरू तथा गुजेनी के काश्तकारों की हजारों बीघे की फसलें प्रति वर्ष जलमग्न होकर नष्ट हो जाती हैं जिसके बावत गांवों के काश्तकारों ने प्रश्नकर्ता के पत्र सहित दिनांक 5-11-85 को अधिशासी अभियन्ता, केन प्रखण्ड बांदा सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को उक्त माइनरों के पानी के जलप्लावन से बचाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां। पत्र दिनांक 5-11-85 का प्राप्त हुआ है।

ग्राम अरथरा पून, परास, अनवांन, बबेरू तथा गुजैनी के काश्तकारों की हजारों बीघा भूमि जलमग्न नहीं होती है केवल ग्राम बबेरू की लगभग 60 बीघा भूमि बबेरू माइनर की टेल से तथा ग्राम पून की उमरी माइनर के कुलाबा नं0 19 एवं 21 की गूल के फालतू पानी से लगभग 25 बीघा भूमि जलप्लावन से प्रभावित होती है।

उक्त भूमि को जलप्लावन से बचाने हेतु एक विभागीय ड्रेन बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, प्रश्न में उल्लिखित दोनों माइनर मेरी कान्स्टीटुएन्सी में हैं और इनके टेल में पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। 6 गांवों का कई हजार रकबा जल में डूबा रहता है और किसानों की खड़ी फसल सड़ जाती है, तो क्या मेरी जानकारी को सही मानते

हुये उच्चस्तरीय विभागीय जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि केवल 85 बीघा जमीन ही डूबती है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और जल प्लावन को समाप्त करने के लिये विभागीय ड्रेन कब तक बनायी जायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है आप लिखकर दे दें, उसकी जांच करा ली जायेगी और जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है तो जो काश्तकारों की भूमि लेनी है, वह नहीं दे रहे हैं तो इसके लिये भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कोई टाइम बाउन्ड समय बतायेंगे कि कब तक बना देंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरान्त शीघ्र करा देंगे ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, बड़े लोक महत्व का प्रश्न है और मैं जानना चाहता हूं कि कोई निर्धारित कर दें, समय । 10 वर्ष से दोनों नहरें किसानों को परेशान किये हैं, तबाह किये हैं । पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? यह स्पष्ट कर दें ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी हम उसको कर देंगे उसमें हम कोई टाइम नहीं बता सकते । क्योंकि दूसरी जगह से भूमि अध्याप्त की जाती है उसमें कई स्टेज पर कार्य कराना पड़ता है। यह भूमि जैसे मिल जायेगी हम पूरा कर देंगे ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं यह समस्या दसियों वर्षों से वहा पर किसानों के सामने बनी हुई है और इस समस्या के समाधान के लिए कोई स्पष्ट जवाब मंत्री जी नहीं देना चाहते हैं, कोई साल भर, 6 महीने समय निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

देव कुमार जी, वह जमीन एक्वायर करने का मामला है जब हो जायेगी तो कर देंगे।

**आर0 एफ0 सी0 लखनऊ द्वारा हरदोई जनपद के मण्डी समिति के माधोगंज केन्द्र के पांच फर्मों की जांच**

*17–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि श्री जयचन्द्र पासी के शिकायती-पत्र दिनांक 13-12-85 के आधार पर आर0 एफ0 सी0 लखनऊ द्वारा हरदोई जनपद के मण्डी समिति के माधोगंज केन्द्र की जांच कराई गयी और माधोगंज हरदोई की पांच फर्मों मे0 ममता ट्रेडर्स, मो0 संगम ट्रेडिंग कम्पनी, मे0 ठाकुर जी एण्ड कम्पनी, मे0 दीक्षित ट्रेडर्स और मे0 शिवकुमार रमेश चन्द्र के विरुद्ध लगभग 1 करोड़ 36 लाख 28 हजार रुपये की गम्भीर गोलमाल घोटाला तथा अनियमितता बरतने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना माधोगंज में दिनांक 15-8-85 को दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो उक्त सूचना में क्या अनियमितताएं पाई गयी थीं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

जी हां।

प्रश्नगत सभी पांचों फर्मों के विरुद्ध मुख्य रूप से यह अनियमितता पाई गई कि उन्होंने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर के तथा कतिपय मामलों में बिना लाइसेंस के लगभग 1 करोड़, 36 लाख, 28 हजार, 049 रुपये के मूल्य के खाद्यान्नों दलहनों तथा तिलहनों का अवैध व्यापार किया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 की धारा–3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

सभी पांचों फर्मों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत थाना माधोगंज, हरदोई में दिनांक 15 अगस्त 1985 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया गया तथा विभिन्न खाद्यान्न नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत जारी उनके सभी लाइसेंसों को निरस्त कर उनकी प्रतिभूतियों को शासन के पक्ष में जब्त कर लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों, दलहनों तथा तिलहनों की तस्करी के अवैध व्यापार की शिकायत पर तत्कालीन आर0 एफ0 सी0 लखनऊ ने हरदोई जनपद के माधोगंज केन्द्र पर छापा मारा और छापा मारने में लगभग 1 करोड़ 36 लाख, 28 हजार रुपये के अवैध व्यापार का मामला प्रकाश में आया और इसकी रिपोर्ट थाना माधोगंज में 15-8-85 में दर्ज करायी गयी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर0 एफ0 सी0 लखनऊ का स्थानान्तरण 15-8-85 के बाद क्यों और किस तरीके से किया गया और कहां किया गया ?

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट–

श्रीमन्, यह तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है और इन्होंने कह दिया कि प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

मान्यवर, मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। आर0 एफ0 सी0 लखनऊ ने जब छापा मारा और इन 5 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया....।

श्री अध्यक्ष–

अब आप प्रश्न कर लें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह अहम मसला है।

श्री हुकुम सिंह–

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माइक खराब है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये, जो आप सूचना देना चाहते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आप मेरा प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई बजट में चर्चा नहीं हो रही है। प्रश्न कर लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जिन फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट–

वे फर्में इस प्रकार हैं–मेसर्स शिव कुमार रमेश चन्द्र, माधोगंज, मेसर्स संगम ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज और मेसर्स ठाकुर जी एन्ड कम्पनी, माधोगंज। इन तीन ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कर ली ? श्री शिव कुमार, मनेश्वर

दयाल और राज कुमार। सिया राम और देवेन्द्र कुमार, ये दोनों फरार हैं।

(इस समय 12 बजकर 12 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए।)

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन्, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और श्री माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने बड़ा अहम मामला उठाया है। जिन पांच फर्मों का जिक्र किया गया है यह सबसे ज्यादा बदनाम फर्में हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन फर्मों के मालिकों ने दूसरे नामों से कोई दूसरी फर्म कायम कर ली हैं और उनका लाइसेन्स भी दे दिये गये हैं ?

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट–

ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर जिन पांच फर्मों का प्रश्न में जिक्र किया गया है उन्होंने नई फर्में कायम करके उन्हें लाइसेन्स दे दिया गया है, क्या मंत्री जी इन जानकारी को सही मानकर उनके विरुद्ध जो लाइसेन्स जारी किया गया है, उनको निरस्त करने पर विचार करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने मना कर दिया।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरे सवाल का मंत्री जी से जवाब दिलवायें। इसका संबंध माधोगंज से ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों से भी है। जैसे कानपुर, उन्नाव। नम्बर दो का धन्धा इन फर्मों के नाम से होता है। जब इसके विरुद्ध आर0 एफ0 सी0 ने कार्यवाही की तो दबाव डालकर उनका वहां से ट्रांसफर करवा दिया। इन्होंने दूसरी फर्मों का नया लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है। जिन फर्मों का जिक्र किया गया है उनके मालिक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि बतायेंगे कि किन नामों से इन फर्मों ने नया काम शुरू किया है तो उसकी जांच करायेंगे और उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है इसमें 36 करोड़ 28 लाख रुपया इनवाल्व है। इसमें उन्नाव के एक प्रान्तीय मंत्री थे और एक केन्द्र के मंत्री हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप सवाल करिये मंत्री से क्या मतलब?

श्री मनोहर लाल–

रिफरेंस में दो शब्द बता रहा हूं। उन्नाव के तत्कालीन प्रान्तीय मंत्री और केन्द्र के मंत्री हैं जिनकी इसमें साझेदारी इन फर्मों में है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की, इतना बड़ा गोलमाल होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा है इस प्रकार की कोई सूचना शासन के पास नहीं है कि उनकी कोई साझेदारी है।

श्री मनोहर लाल–

मैंने पूछा कि कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है (व्यवधान) उनको इसके बारे में पता नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, लखनऊ में जो आर0 एफ0 सी0 कार्यालय है उसके अन्तर्गत यह आता है और यहां के आर0 एफ0 सी0 ने इस अवैध व्यापार का भंडाफोड़ किया तो उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया और आज 7 महीने हो रहे हैं एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराये, इनमें से तीन व्यापारियों ने जमानत करा ली लेकिन एक दीक्षित फर्म और एक और फर्म जिसका नाम मंत्री जी ने बताया उसके अपराधी फरार हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि फरारी की हालत में उनके खिलाफ शासन ने क्या कानूनी कार्यवाही की है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं, यह गम्भीर प्रश्न है और शिकायत प्राप्त होते ही आर0 एफ0 सी0 ने जाकर जांच की और जांच के आधार पर पाया कि यह सारी की सारी फर्म गलत और अनियमित काम करती थी पैड छपाकर, गलत तरीके से सामान सप्लाई करती थी। जब आरोपों को सत्य पाया तो इन सभी फर्मों के लाइसेंस तुरन्त रद्द कर दिये गये और मुकदमा कायम करके कुछ लोगों ने जमानत करा ली। जितनी गम्भीरता से आपने दर्शायी है उससे ज्यादा ही शासन ने दर्शायी है और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो बात साफ हो गयी।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुलजिमों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने की बात कही। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो दो लोग फरार हैं क्या उनके खिलाफ 82, 83 में कुर्की की कार्यवाही की गयी है या नहीं?

श्री हुकुम सिंह–

मैं माननीय सदस्य किरनपाल सिंह जी को बताना चाहता हूं कि इसमें दो प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित है। एक तो यह कि यह फर्म्स जो हमारे सेल्सटैक्स की चोरी कर रही हैं या दूसरे करों की चोरी कर रही हैं तो इसकी सूचना जब मिली तो तुरन्त उनके लाइसेन्स कैंसिल करने की कार्यवाही की गयी। दूसरा जो जुर्म था उसमें 3/7 में तथा आई0 पी0 सी0 की दूसरी धाराओं में कार्यवाही हो रही है। जहां तक हमारा मामला था उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये गये और जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई उनके खिलाफ सी आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 82-83 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि उस कार्यवाही में और तेजी लाई जाय।

(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या–18, पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, प्रश्न सं0 17 में जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार के मंत्री भी संबंधित हैं केन्द्र और यहां के, इसलिए प्रार्थना है कि इस प्रश्न को

प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जिससे सारा मामला प्रकाश में आ जायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मूल प्रश्न को देखें जिसमें पांच फर्मों के नाम मैं बताने के लिए तैयार हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल एवं और माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं वह सत्य से परे हैं और सत्ता पक्ष के मंत्रियों का इन फर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उत्तर सही नहीं दिया गया है, इसलिए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को इसे सौंप दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कार्यवाही जारी है और यदि कार्यवाही न होती तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करना उचित होता। लेकिन कार्यवाही जारी है इसलिये प्रश्न एवं संदर्भ समिति को देना मैं उचित नहीं समझता हूं। नियम से उठायें। इसको बाद में उठा लीजियेगा। इस समय मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

**स्थानान्तरित जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर कार्यालय में आने पर रेपसीड आयल के लाखों रुपये का गोलमाल**

*18–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 26-7-85 को स्थानान्तरित जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर कार्यालय में आने पर रेपसीड आयल के अपने समय के लाखों रुपये के गोलमाल तथा एक बूंद भी तेल ड्यूज पर न बिकने के संबंध में जो भी रिकार्ड था सभी गायब मिला? यदि हां, तो रेपसीड आयल के स्कैण्डल और संबंधित रिकार्ड के लिए उच्च स्तरीय जांच कराकर सजा दिलाई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

26-7-85 को स्थानान्तरित जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर कार्यालय में नहीं आये। वे दिनांक 15-7-85 को अपने पद से स्थानान्तरण के उपरान्त कार्य मुक्त हो गये थे। उनके समय में रेपसीड आयल के लाखों रुपये के गोलमाल का कोई मामला न तो हुआ और न ही शासन की जानकारी में आया।

अतः उनके अपने समय के रिकार्ड गायब होने तथा उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*19–श्री राज किशोर सिंह–

[दिनांक 19-2-86 को ता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

**थाना व तहसील-सोरांव, ग्राम राजापुर में पुल निर्माण**

*20–श्री कनक सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम राजापुर थाना व तह0 सुराव जिला इलाहाबाद के नाले पर पुल बनवाने हेतु धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो प्रस्तावित स्थान पर पुल न बनाकर दूसरे स्थान पर एक छोटी सी पुलिया किस अधिकारी के आदेश से बनाई गई है ?

---

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद इलाहाबाद में सुराव नाम की तहसील नहीं है बल्कि सोरांव तहसील है । थाना व तहसील-सोरांव में केवल "राजापुर" नाम का बन्दोबस्ती ग्राम नहीं है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।।

अतारांकित प्रश्न

**श्री देवेन्द्र सिंह, ग्राम जटापुर, जिला बुलन्दशहर द्वारा लिपिक पद हेतु दिया गया साक्षात्कार**

1–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की जनपद बुलन्दशहर की 25-10-85 की चयन समिति के आयोजन के समय श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाबीर सिंह, ग्राम जटापुर डाकखाना सहकारी नगर जिला बुलन्दशहर ने लिपिक पद के लिए साक्षात्कार दिया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त श्री देवेन्द्र सिंह 1977 की चयन समिति के चयनित अभ्यर्थी थे ? यदि हां, तो क्या श्री देवेन्द्र सिंह को 25-10-85 की जिला चयन समिति ने चयनित नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से ? उक्त अनियमितता करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा श्री देवेन्द्र सिंह को चयन करके कब तक न्याय प्रदान कर दिया जाएगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, चयनित नहीं किया गया ।।

श्री देवेन्द्र सिंह के कुल प्राप्तांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी कम थे । अभ्यर्थी के साथ पूर्ण न्यायिक रूप से नियमानुसार कार्यवाही की गई है ।। चयन में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है । इसलिए शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें**

2–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों को वेतन से भी कम मिल रही उजरत को बढ़ाने के बारे में कोई विचार हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें दिनांक 21 जुलाई, 1984 को पुनरीक्षित की गई थी । उसके अग्रेसर पुनरीक्षण का अभी समय नहीं हुआ है ।

**सरजू नहर परियोजना के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, श्री श्यामा प्रसाद के बारे में पत्र**

3–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 291, दिनांक 1-10-85 जो सरजू नहर परियोजना बहराइच के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, श्री श्यामा प्रसाद के बारे में था मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 1-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र कराई जा रही है ।

**दोहरीघाट सहायक परियोजना में घोटाले में बदनाम सिंचाई कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच**

4–श्री शारदा नन्द अंचल तथा
श्री बालेश्वर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद की दोहरीघाट सहायक परियोजना में घोटाले में बदनाम सिंचाई कर्मियों को भारी धन लेकर सिंचाई उच्चाधिकारियों ने दंडित न कर सिंचाई खंड आजमगढ़ में महत्वपूर्ण काम सौंप दिया जो इस समय आजमगढ़ सिंचाई विभाग के सिरदर्द बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके मामलों की जांच विशेष सेल से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

दोहरीघाट से स्थानान्तरित होकर आजमगढ़ आये कतिपय अभियन्ताओं के विरुद्ध दोहरीघाट से संबंधित अनियमितताओं के लिये विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है । अतः इस सम्बन्ध में विशेष सेल द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के कटान को रोकने हेतु बलिया एवं आजमगढ़ के सिंचाई अभियन्ताओं की सेवा लेने की मांग**

5–श्री शारदा नन्द अंचल, श्री बालेश्वर तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी की भीषण कटान को रोकने में विफल अधिकारियों ने 1700 एकड़ भूमि कट जाने के बाद बलिया के सिंचाई अभियन्ताओं की सेवा लेने की मांग किन परिस्थितियों में किया? क्या सरकार समय से कदम न उठाने वालों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी की कटान को रोकने के लिए आजमगढ़ एवं बलिया दोनों जनपदों के सिंचाई अभियन्ताओं को लगाया गया था जिसका कारण विफलता नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर कार्य कराना था। इस कार्य में किसी तरह का विलम्ब नहीं किया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अलीगढ़ में करहला नाले पर पुल का निर्माण**

6–श्री सुरेश प्रसाद सिंह गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकराबाद-दमा शाहगढ़ मार्ग, जनपद अलीगढ़ में करहला नाले पर पुल निर्मित न होने से मार्ग अवरुद्ध है ? यदि हां, तो इस नाले के पुल को कब तक निर्मित करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

करहला नाले के मील 4-4-0 पर पुल न होने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पुल का निर्माण प्रस्तावित है तथा धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**श्री बी0 पी0 गोयल, तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) की अस्वस्थता तथा लिये गये अवकाश**

7—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 पी0 गोयल, प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक अस्वस्थता के कारण सितम्बर, 85 के द्वितीय सप्ताह से कार्यालय नहीं आ रहे हैं? यदि हां, तो वह कितने दिन के अवकाश पर हैं और उनका काम कौन देख रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री बी0 पी0 गोयल, तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) अक्टूबर तथा नवम्बर, 1985 में अस्वस्थता के कारण 10 दिन के आकस्मिक अवकाश पर रहे और प्राप्त सूचनानुसार शेष अवधि में उन्होंने कार्यालय में या अपने आवासीय कार्यालय में कार्य किया। जनवरी, 1986 में वे अस्वस्थता के कारण अवकाश पर रहे जिसकी स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है। उनका कार्य देखने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गयी थी। श्री गोयल दिनांक 31-1-86 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

**जिला पूर्ति कार्यालय, बलिया में लिपिक के विरुद्ध लगाये गये कथित आरोप**

8—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि बलिया जिला पूर्ति कार्यालय में एक ऐसा लिपिक है जो 15 वर्षों से अपने घर के पास एक ही स्थान पर है तथा वह अधिकारियों पर धौंस जमाकर ड्यूटी नहीं करता है, केवल हाजिरी बनाकर व्यक्तिगत कारोबार, ईंट भट्टा, कोल डिपो आदि विभाग के सौजन्य से चलता है? क्या यह भी जानकारी है कि उसने अपने भाई के नाम से प्रेट्रोल पम्प व किराशिन तेल डीलरशिप का प्रार्थना पत्र दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिपिक के कार्यालय में आतंक, दायित्व घोटाला, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा से कराने की घोषणा कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—

जिला पूर्ति कार्यालय, बलिया में ऐसा कोई भी लिपिक नहीं है जो 15 वर्षों से अपने घर के पास एक ही स्थान पर हो तथा वह अधिकारियों पर धौंस जमा कर ड्यूटी न करता हो अथवा केवल हाजिरी बनाकर व्यक्तिगत कारोबार ईंट भट्टा, कोल डिपो आदि विभाग के सौजन्य से चलाता हो। जिला पूर्ति कार्यालय, बलिया में कार्यरत श्री भगवान देव सिंह, लिपिक के भाई के नाम से बासडीह में मिट्टी के तेल डीलरशिप के लिए प्रार्थना-पत्र आई0 ओ0 सी0 को जिलाधिकारी, बलिया द्वारा भेजा गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

**ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, बस्ती को प्रोजेक्ट पर वितरित गेहूं**

9—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ड्रेनेज खण्ड बस्ती द्वितीय में 83-84 तथा 84-85 में किन-किन प्रोजेक्ट पर एन0 आर0 पी0 का कितना-कितना गेहूं दिया गया, कितना गेहूं निःशुल्क मजदूरों को वितरित किस एजेन्सी के माध्यम से किया गया, कितना वितरण करना शेष है, जिन मजदूरों को निःशुल्क गेहूं

नहीं दिया गया इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, बस्ती को वर्ष 1983-84 के लिये ढकवा बाजार के सुरक्षा कार्य हेतु 100 क्वींटल गेहूं का आवंटन हुआ था जिसका पूर्ण वितरण श्रमिकों को साधन सहकारी समिति स्वामी यज्ञानन्द बारी गांव के माध्यम से किया गया। वर्ष 1983-84 में निःशुल्क वितरण हेतु गेहूं नहीं दिया गया। वितरण हेतु गेहूं शेष नहीं रहा, अतः किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं आता है। वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया अतः गेहूं वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

**बांदा जिले के गढ़वा बांध का जीर्णोद्धार कराकर अधिक सिंचन सुविधा देने का प्रस्ताव**

10–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में गढ़वा बांध के स्केप के नीचा होने के कारण बांध में पानी कम संचित होता है और किसानों को अपर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलती है? स्केप की ऊंचाई को और अधिक बढ़ाकर तथा बांध का जीर्णोद्धार कराकर अधिक सिंचन सुविधा देने के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है? क्या यह सही है कि बरियारी माइनर से एक रजबहा बेलही की ओर निर्मित करने के लिए सर्वेक्षण हो गया है और किसानों को जमीन का मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो रजबहा न बनने का क्या कारण है? बांध का जीर्णोद्धार बेलही रजबहा के निर्माण तथा स्केप की ऊंचाई का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

इस बांध से निकलने वाली नहरों का कमांड क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ होने के कारण उपलब्ध सिंचन क्षमता का कृषक पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। जी नहीं।

जी हां।

विस्तृत जांच के उपरान्त यह पाया गया कि बेलही माइनर को तकनीकी दृष्टि से निर्मित करना उचित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

11–श्री राम सजीवन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**न्याय पंचायत कुकुर घाटी, निवासी सरयां के सस्ता गल्ला विक्रेता श्री राम वृक्ष गुप्ता की दुकान का निलम्बन**

12–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के वि0 खं0 भाटपाररानी के न्याय पंचायत कुकुर घाटी में सस्ते गल्ले के दुकानदार श्री रामवृक्ष गुप्ता, निवासी सरयां 1980 में नियुक्त थे? यदि हां, तो क्या इन्होंने बैंक ड्राफ्ट संख्या टी टी/ए यू 221862 दि0 18-2-80 रु0 4860-00 द्वारा तीन क्वींटल चावल आवंटन हेतु जमा किये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चावल

उठाने से पहले ही 20-2-80 को उक्त कोटेदार को निलम्बित कर दिया गया? यदि हां, तो उसकी जमा धन-राशि को अब तक वापस न किये जाने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां। श्री रामवृक्ष गुप्ता निवासी सरयां, न्याय पंचायत कुकुर घाटी वर्ष 1980 में सस्ता गल्ला विक्रेता नियुक्त थे। श्री रामवृक्ष गुप्ता बैंक ड्राफ्ट संख्या टी टी/ए यू0 221862 दिनांक 18-2-80 द्वारा रु0 4500.00 और ट्रेजरी चालान संख्या 32 दिनांक 18-2-80 द्वारा रु0 360.00 अर्थात सम्पूर्ण धनराशि रु0 4860.00 जो 30 कुन्तल चावल कामन की कीमत थी, जमा किये थे। परगनाधिकारी, सलेमपुर के आदेश संख्या 969(2) दिनांक 20-2-80 द्वारा श्री रामवृक्ष गुप्ता की दुकान निलम्बित कर दी गई। उक्त कुल जमा धनराशि रु0 4860.00 में से रु0 360.00 दिनांक 4-10-85 को श्री गुप्ता को वापस कर दिया गया है। शेष धन-राशि के शीघ्र भुगतान हेतु शासन स्तर से सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

**लखनऊ जनपद के बख्शी तालाब इण्टर कालेज के पास ताड़ी तथा शराब की दुकान को हटाने के लिये दिया गया प्रार्थना पत्र**

13–श्री भगौती सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के बख्शी तालाब इण्टर कालेज के एक कोने पर ताड़ी खाना और दूसरे कोने पर शराब की दुकान स्थित है जिनको हटाने के लिये जिलाधिकारी, लखनऊ और सचिव, आबकारी को प्रार्थना पत्र दिये गये थे? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि बख्शी तालाब इण्टर कालेज की पिछली चहार-दीवारी से लगभग 900 मीटर की दूरी पर देशी मदिरा की दुकान ग्राम रुदही में स्थित है। ताड़ी का दुकान इस वर्ष अभी तक नहीं खुली है। दिनांक 31-3-86 के बाद ताड़ी के दुकानों का ठेका समाप्त हो रहा है। सरचार्ज प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 1-4-86 से दुकानें तय किये जाने पर कालेज के निकट ताड़ी की दुकान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**नलकूप प्रखंड, जौनपुर के केन्द्रीय गोदाम में कथित चोरी**

14–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप प्रखंड, जौनपुर के केन्द्रीय गोदाम के चोरी के नाम पर लाखों की हेराफेरी की गई? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अभियन्ता के प्रति क्या कार्य-वाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**नलकूप प्रखंड, जौनपुर के केन्द्रीय गोदाम के इंचार्ज श्री सीताराम गुप्ता का कार्य-काल एवं उनका स्थानान्तरण**

15–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में नलकूप

प्रखंड के केन्द्रीय गोदाम के इंचार्ज सीताराम गुप्ता पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं और इनका स्थानान्तरण आठ बार होने के बाद भी प्रत्येक बार स्थानान्तरण निरस्त करके उसी स्थान पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आजमगढ़ व बलिया के प्रबन्ध में पशुहाड़ी तेलमा माइनर के पानी के निकास के लिये सर्वेक्षण**

16–श्री राम जनम–
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ व बलिया के प्रबन्ध में पशुहाड़ी तेलमा माइनर का पानी ग्राम तिरनई खिदिरपुर, तह0 रसड़ा, जिला बलिया में जाकर रुक जाता है? यदि हां, तो पानी निकास के लिए कोई व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–
पशुहारी तेलमा माइनर नाम की कोई माइनर नहीं है। रामपुर माइनर के नाम से माइनर है जिसके हेड पर ग्राम पशुहारी तल टेल पर तेलमा पड़ता है । पानी के निकास के लिए सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

**फैजाबाद स्थित बाढ़ खण्ड विभाग में मस्टर रोल पर रखे मजदूरों अथवा कर्मचारियों के नाम व पते**

17–श्री अवधेश प्रसाद–
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित बाढ़ खंड विभाग में माह जनवरी व फरवरी, 84 तथा जुलाई व अगस्त, 85 में मस्टर रोल पर कितने कर्मचारी विभाग में काम किये, उन पर कितना वेतन अथवा मजदूरी के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई? उन मस्टर रोल पर रखे मजदूरों अथवा कर्मचारियों के नाम पते क्या हैं? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–
सूचना एकत्र की जा रही है।

18–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–
[6वें बुधवार में अता0प्र0सं0 56 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

19–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–
[7वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**आबकारी विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक श्री अजय सिंह यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही**

20–श्री यदुनाथ सिंह–
विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें शुक्रवार के लिए निर्धारित अ0 ता0 प्र0 सं0 82 के उत्तर के संदर्भ में आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था उसका क्या परिणाम रहा? तथा निलम्बित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–
प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज आठ व्यक्तियों में से पांच के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर

दिया गया है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। शेष तीन व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस विवेचना जारी है। तत्कालीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक श्री अजय सिंह यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी, जिसमें श्री यादव दोषी नहीं पाये गये।

**पाम आयल बेचने वाली फर्मों तथा व्यापारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही**

21—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 12 के उत्तर के संदर्भ में जिन तीन फर्मों के विरुद्ध पाम आयल बेचने के बारे में कार्यवाही की गयी थी, उसका क्या परिणाम रहा ? क्या दोषी व्यापारियों को दंडित किया गया ? यदि हां, तो क्या दंड दिया गया ? यदि व्यापारियों को दोषी नहीं पाया गया तब उन व्यापारियों के विरुद्ध गलत आरोप लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिन तीन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी उन्हें जांचोपरान्त दोष मुक्त पाया गया तथा मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। चूंकि फर्मों के विरुद्ध विधिक रूप से एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नही उठता।

**ड्रेनेज खण्ड-प्रथम व द्वितीय, बस्ती को एन0आर0ई0पी0 कार्यों हेतु प्राप्त धन व गेहूं का विवरण**

22—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज विभाग नम्बर एक तथा ड्रेनेज विभाग नम्बर दो में 1984—85 तथा 1985—86 में डी0आर0डी0 व एन0 आर0 ई0 पी0 का कितना-कितना धन उक्त दोनों विभागों को किन-किन कार्यों पर दिया गया, कितना नकद, कितने रुपये का गेहूं और कितने रुपये का गेहूं निःशुल्क वितरण के लिए दिया उसमें से कितना काम पूरा हुआ, कितना धन शेष है? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खण्ड-प्रथम बस्ती को वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में डी0 आर0 डी0 ए0, बस्ती द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 कार्यों हेतु प्राप्त धन व गेहूं का विवरण निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | प्राप्त | | | व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नकद रु0 | गेहूं मूल्य से | गेहूं निःशुल्क वितरण हेतु | नकद रु0 | गेहूं मूल्य से | गेहूं निःशुल्क वितरण हेतु |
| 1984—85 | 18-19 लाख | 2-7 मै0टन 4050 रु0 | 2-7 मै0टन 4050 रु0 | 13,86,161.72 | 2-7 मै0टन 4050 रु0 | 2-7 मै0टन 4050 रु0 |

| 1 | 2 | | | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | 24-86 लाख | 46-05 मै0टन | 14,54,827.70 | 46.05 मै0टन |
| | 69075.00 | | | 69075.00 |

वर्ष 84–85 में 8-58 कि0मी0 बांध पूर्ण हुए।
वर्ष 85–86 में 10-85 कि0मी0 बांध 1/86 तक पूर्ण हुए।
वर्ष 84–85 में रु0 4,32,838.28 अवशेष रहा।
वर्ष 85–86 में 14,64,010.58 शेष है। माह 1 (86 के अन्त तक). ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में वर्ष 1984–85 एवं 85–86 में डी0आर0डी0ए0 के द्वारा एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अन्य विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता है।

---

**सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण**

23–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग लखनऊ के कितने अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण इस वर्ष 1984–85 व 85–86 में केवल एक वर्ष में किन-किन कारणों से किया गया? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता जो वर्ष 1984–85 एवं 1985–86 में एक वर्ष में स्थानान्तरित किये गये का विवरण निम्नवत् है:–

| पद नाम | स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 1984–85 | 1985–86 |
| अधिशासी अभियन्ता | 5 | शून्य |
| सहायक अभियन्ता | 19 | 8 |
| अवर अभियन्ता | 24 | 2 |

उपरोक्त स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में अथवा निजी अनुरोध पर किये गये हैं। वर्ष 1984-85 में स्थानान्तरित 24 अवर अभियन्ताओं में एक अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण उनकी स्वयं की प्रार्थना पर 30-4-86 तक के लिये स्थगित किया गया है तथा एक अवर अभियन्ता अभी कार्यमुक्त नहीं हुआ है। वर्ष 1984-85 में एक सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण दो बार किया गया जिसकी गणना दो बार की गई है।

24–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद को श्री राम की पैड़ी के निर्माण हेतु मजदूरों को गेहूं का वितरण**

25–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ विभाग फैजाबाद राम की पैड़ी में कुल कितना गेहूं मजदूरों को फ्री देने के लिए 83–84 व 84–85 में आवंटित किया गया था तथा कितना

मजदूरों में वितरित किया गया, कितना शेष है? प्रत्येक खण्ड का अलग-अलग विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद को श्री राम की पैड़ी के निर्माण हेतु मजदूरों को फ्री गेहूं देने के लिये वर्ष 1983–84 व 1984–85 में गेहूं आवंटित नहीं हुआ। अतः वितिरित किये जाने या शेष रहने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद के अन्तर्गत अन्य उपखण्डों में कार्यों के लिये वर्ष 1983–84 में मजदूरों को फ्री गेहूं देने के लिये न तो कोई आवंटन हुआ था और न वितरित किया गया।

वर्ष 1984–85 में मजदूरों को फ्री गेहूं देने के लिये 1031·20 कुन्तल गेहूं का आवंटन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण हेतु हुआ। मजदूरों को फ्री गेहूं देने के लिये कूपन दिये गये।

**गाजीपुर माइनर का निर्माण कार्य**

26–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत गाजीपुर माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 1975–76 में प्रारम्भ हुआ था परन्तु अब तक सिर्फ 1 किमी0 नहर की खुदाई हो पायी है? यदि हां, तो इस नहर की खुदाई में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, गाजीपुर माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 1975–76 में प्रारम्भ किया गया था। माइनर की पूर्ण लम्बाई 3·950 किमी0 में खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है।

**बलिया जिले के आबकारी राजस्व की वसूली**

27–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के आबकारी राजस्व की वर्ष 1978–79, 79–80, 80–81 81–82, 82–83, 83–84 एवं 84–85 की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली हो गयी है? यदि बकाया है तो किस वर्ष की तथा कितनी और क्यों?

श्री वीर बहादुर–

बलिया जनपद के वर्ष 1978–79 तथा 1984–85 के आबकारी राजस्व की सम्पूर्ण वसूली हो गई है। वर्ष 1979-80, 80–81, 81–82, 82–83 तथा 83–84 सम्बन्धी बकाया धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| वर्ष | बकाया धनराशि |
|---|---|
| 1979–80 | 2,36,579 |
| 1980–81 | 2,76,783 |
| 1981–82 | 2,37,703 |
| 1982–83 | 475 |
| 1983–84 | 1,44,742 |

उपरोक्त बकाया वृक्षकर सहनीलाम प्रणाली के अन्तर्गत ताड़ी दुकानों के लाइसेंस से सम्बन्धित है।

उक्त धनराशि की वसूली हेतु राजस्व विभाग के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

**बस्ती जिले की तहसील बांसी, नौगढ़, डुमरियागंज, खलीलाबाद, में खोले गये धान क्रय केन्द्र**

28–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी, नौगढ़, डुमरियागंज, खलीलाबाद बस्ती तथा हरैया तहसीलों में तहसील के अनुसार कुल कितने

धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं? क्रय केन्द्रों के बीच की अधिकतम दूरी क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जिले की तहसील बांसी में-8, नौगढ़ में-10, डुमरियागंज में-7, खलीलाबाद में-5, बस्ती में-2, तथा हरैया में-8 धान क्रय केन्द्र तहसीलों के अनुसार खोले गये हैं जिनकी कुल संख्या-47 है। इन क्रय केन्द्रों के बीच की अधिकतम दूरी 15 कि0मी0 है।

29–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**वाराणसी के श्री सुरेन्द्र तिवारी पत्रकार द्वारा वाराणसी नगर सेक्टर-1 के आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती पत्र**

30–श्री सरदार सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के सुरेन्द्र तिवारी पत्रकार द्वारा कोई शिकायती पत्र जो वाराणसी नगर सेक्टर-1 के आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था और इसे 4-12-85 को प्रश्नकर्ता ने अग्रसारित किया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो विभाग ने क्या तथ्यों की जांच करायी? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

तथ्यों की जानकारी जांच के बाद ही मिल सकती है। शिकायतकर्ता को शिकायतों की पुष्टि के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया था, उन्होंने वाराणसी में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा है। उनके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

31–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[दि0 26-2-86 को अता0 प्र0 सं0 36 द्वारा उत्तरित]

32–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे गरुवार में अता0 प्र0 सं0 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

33–श्री यदुनाथ सिंह–

[मा0 सदस्य ने वापस लिया]

**प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की मांगों की पूर्ति हेतु सरकार को दिया गया कथित ज्ञापन, 'युवा आयोग' के गठन पर विचार**

34–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 85 में भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में प्रदर्शन कर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की मांगों की पूर्ति के लिए सरकार को ज्ञापन दिया था ?, यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार न दिला सकने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

ज्ञापन न मिलने के कारण उसमें उल्लिखित मांगों का बता पाना सम्भव नहीं है। जहां तक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रश्न है, सरकार इस ओर सतत् प्रयत्नशील रही है और अब भी है। प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत करा कर, उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज-

कीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ाई जा रही है और स्वतः रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त शासन के उद्योग विभाग द्वारा संचालित शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को पैकेज सहायता द्वारा अपना उद्योग लगाने, सेवा, उद्योग अथवा व्यवसाय/कारोबार प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित और इन्हें कार्यरत कराया जाता है।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाए जाने के प्रयासों को तथा उद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की नई योजना चलाना शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं है।

35—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या प्रदेश के युवकों (शिक्षित बेरोजगारों) की समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए शासन एक 'युवा आयोग' के गठन पर विचार करेगा? क्या इसका कोई प्रारूप सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**मेसर्स हरक चन्द फ्लोर मिल्स, सीतापुर के कर्मचारियों द्वारा कतिपय मांगों को लेकर धरना तथा लिये गये निर्णय एवं श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने के संदर्भ में दिये गये निर्देश**

36—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के सातवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संबंध में क्या श्रम मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अन्य मांगों के संबंध में पक्षों के माध्यम से जो वार्ता कराई जा रही थी, उसकी प्रगति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह प्रश्न मेसर्स हरकचन्द फ्लोर मिल्स, सीतापुर के विषय में है। प्रतिष्ठान में कार्यरत यूनियन के मंत्री श्री बृजलाल यादव तथा 26 निष्कासित श्रमिकों का विवाद अभिनिर्णय में प्रेषित किया जा चुका है। अन्य 22 श्रमिक जिन्हें दिनांक 22-7-85 को बैठकी समाप्त होने के उपरान्त कार्य पर नहीं लिया गया था के विवाद संराधन समिति में चल रहे हैं।

प्रतिष्ठान का दिनांक 24-6-85 को निरीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि फार्म नं0 12 पर 4 श्रमिकों के नाम अंकित नहीं थे तथा श्रमिकों का वर्गीकरण नहीं किया गया था जिसके लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किया जा चुका है। निरीक्षण में श्रमिकों से अतिकाल कराये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान में कार्यरत अस्थायी एवं स्थायी श्रमिकों के लिए निर्धारित टिकट न दिये जाने के कारण प्रबन्धकों के विरुद्ध इस उल्लंघन के लिए स्थायी आदेश अधिनियम के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर किये गये।

प्रतिष्ठान के श्रमिकों को वर्ष 1983-84 व 1984-85 के लिए गणना के अनुसार दोनों वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का वितरण अक्टूबर, 1984 तथा नवम्बर, 1985 में क्रमशः किया जा चुका है।

अन्य मांगों जैसे निशुल्क आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि दिए जाने के लिए प्रबन्धक अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहमत नहीं हैं।

37—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता का उत्तर मिलने के बाद से अब तक संराधन अधिकारी के यहां जो पेशियां हुईं उसमें मालिक अथवा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 26 श्रमिकों की सेवा समाप्ति के विवाद को अभिनिर्णय हेतु कब संदर्भित किया गया ? क्या निर्णय हो गया है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

26 श्रमिकों की सेवा समाप्ति के विवाद को अभिनिर्णय हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण (2), लखनऊ को दिनांक 5-9-85 को संदर्भित किया जा चुका है। इस प्रकार वांछित कार्यवाही कर दी गई है।

38—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त 23 ए0 पी0 सेन मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक संख्या 11347-48/लखनऊ क्षेत्र/औ0 सं0 दिनांक 29-9-85 से मंत्री भारतीय मजदूर संघ, 6 नवीन मार्केट, कैसरबाग लखनऊ को जो सूचना दी गयी है, कि वह मेसर्स हरक चन्द फ्लोर मिल के सेवायोजकों के पास फैक्ट्री से निकाले गये मजदूरों को नौकरी पर भेजे तथा श्रम निरीक्षक सीतापुर को निर्देशित किया गया था कि वह अपनी उपस्थिति में श्रमिकों को कार्य पर रखें, के संदर्भ में कितने मजदूरों को कार्य पर लिया जा चुका है ? जिनको कार्य पर नहीं लिया गया है उनके नाम क्या हैं ? तथा श्रमायुक्त के आदेशों का अनुपालन न कराये जाने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ ने मंत्री, भारतीय मजदूर संघ को अपने प्रश्नगत पत्र द्वारा यह परामर्श दिया था कि वह प्रतिष्ठान में उन श्रमिकों को कार्य पर भेजें जिन्हें बैठकी की समाप्ति के उपरान्त कार्य पर नहीं लिया गया था। सेवायोजकों द्वारा सर्वश्री भोला एवं मुन्ना को कार्य पर लिया गया और सर्वश्री (1) जय प्रकाश (2) ईश्वरी (3) बराती (4) प्यारे लाल (5) भगवती प्रसाद (6) मो0 रफीक (7) सूरज प्रकाश (8) बनबू राम यादव (9) राम दास (10) नन्द किशोर (11) अर्जुन लाल (12) हरवंश लाल (13) सूबेदार (14) जलील (15) जवाहर लाल (16) सतीश कुमार (17) नईम (18) राम कुमार (19) भगवान दास (20) राम विलास को कार्य पर वापस नहीं लिया गया। यूनियन को यह परामर्श भी दिया गया था कि यदि वे चाहें तो उक्त श्रमिकों की सेवा समाप्ति के संबंध में संराधन तंत्र के समक्ष विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यूनियन द्वारा 20 श्रमिकों की सेवा समाप्ति के संबंध में दिनांक 15-1-86 को संराधन विवाद उप श्रमायुक्त, लखनऊ कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम तुलापुर बहादुरान, जनपद वाराणसी के ग्रामवासियों का नलकूप चालक के विरुद्ध शिकायती-पत्र**

39—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तुलापुर बहादुरान, विकास खण्ड भदोही, जनपद वाराणसी के ग्रामवासियों का वहां के नलकूप चालक के विरुद्ध गंभीर शिकायती पत्र दिनांक 12-6-84 मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा जिलाधिकारी वाराणसी को दिनांक 6-7-84 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता भदोही (वाराणसी) द्वारा उक्त नलकूप चालक का स्थानान्तरण दिनांक 22-6-84 को कर दिया था ? यदि हां, तो वह स्थानान्तरण कब और क्यों निरस्त कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**जनपद लखीमपुर खीरी में खोले गए धान के क्रय केन्द्र**

40—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कब और कहां धान के क्रय केन्द्र खोले गए ? क्या इन पर केवल किसानों से धान की खरीददारी की गई ? इन्हें रेट क्या दिया गया? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 30 नवम्बर, 85 तक किन-किन केन्द्रों से कितने धान की खरीदारी की गई ?

श्री हुकुम सिंह—

जनपद लखीमपुर खीरी में विभिन्न एजेंसियों द्वारा खोले गए धान क्रय केन्द्रों तथा उन पर 30 नवम्बर, 85 तक की गई धान खरीद का विवरण संलग्न है । एजेंसियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से ही धान की खरीद की गई ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124 पर)

**अरिन्द नदी एवं सेंगर नदी की खुदाई के संबंध में प्रार्थना-पत्र**

41—श्री प्रेम पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जलेसर, एटा के पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में बहने वाली अरिन्द नदी एवं सेंगर नदी की खुदायी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता के प्रार्थना पत्र दिनांक 1-1-85 से 18-7-85 के बीच प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त नदियों की खुदाई करके गहरा करने के आदेश जारी कर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । वर्ष 1984-85 में अरिन्द नदी की 26 कि0मी0 लम्बाई में सफाई हेतु 1.56 लाख रुपये लागत की एक परियोजना पर सिंचाई द्वारा जून 1984 में कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है ।

स्थायी निदान हेतु ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (विश्व बैंक) के अन्तर्गत 15 कि0 मी0 लम्बाई में सेंगर नदी तथा 72 कि0मी0 लम्बाई में अरिन्द नदी का नहरीकरण प्रस्तावित है । यह कार्य वर्ष 1990 तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।

**विधान सभा क्षेत्र जलेसर एटा में माइनरों से सिंचाई**

42—श्री प्रेम पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जलेसर एटा में जितनी भी माइनर हैं उनका पानी टेल तक नहीं पहुंचता है जिससे किसानों की फसलें सूख जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके ? यदि हां,

तो वह योजना क्या है और कब तक क्रियान्वित की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

फसलें नष्ट नहीं हुई हैं अतः और किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**आबकारी उप आयुक्त, गोरखपुर द्वारा सिपाहियों की भर्ती में विभागीय नियमों की अवहेलना की जांच**

34–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र दिनांक 5-11-85 जो आबकारी उप-आयुक्त, गोरखपुर द्वारा सिपाहियों की भर्ती में विभागीय नियमों व निर्देशों की अवहेलना की खुली जांच के संबंध में दिया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र जांच हेतु आबकारी आयुक्त को भेजा जा चुका है, जिनके द्वारा जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में नियुक्तियों के मामले में नियमों की अवहेलना**

44–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 510 दिनांक 6-12-85 सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में नियुक्तियों के मामले में नियमों की खुली अवहेलना के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 6-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में मांगी गई जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता से जानकारी प्राप्त की गई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त मा0 विधायक को समुचित उत्तर शीघ्र भिजवा दिया जायगा ।

**प्रदेश में नलकूपों का छिद्रण एवं ऊर्जीकरण**

45–श्री राम नरेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ट्यूबवेल वर्ष 1985-86 में लगने थे एवं उनमें से कितने काम करने लगे हैं? क्या उनमें से मैनपुरी जनपद में लगने वाले सभी नलकूप लग चुके हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में प्रदेश में 926 नलकूपों का छिद्रण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1200 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जाना है जिसमें से 31-1-86 तक 734 नलकूपों का छिद्रण हुआ है तथा 746 नलकूप ऊर्जीकृत होकर कार्यरत हो गये हैं । वर्ष 1985-86 में मैनपुरी जनपद में 29 नलकूपों के छिद्रण एवं 21 नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है, इसमें से 13 नलकूपों का छिद्रण हो गया है तथा 14 नलकूप ऊर्जीकृत करा कर चला दिये गये हैं।

**सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति**

46–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में सहायक

अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के लिए क्या कोई नीति निर्धारित थी ? यदि हां, तो वे नीतियां क्या थीं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति प्रतिबन्धित स्थान पर किये जाने हेतु आदेश जारी किये थे किन्तु उन्हें स्थगित व निरस्त कर दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, सम्बन्धित शासनादेश की प्रति संलग्न है। वर्ष 1985-86 में 36 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 33 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की नियुक्ति प्रतिबन्धित स्थानों पर किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये थे । इनमें से 7 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 4 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के स्थानान्तरण आदेश स्थगित एवं एक सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 9 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 125-127 पर)

**सहायक अभियन्ताओं को प्रतिबन्धित स्थानों पर पूरे सेवा काल में नियुक्ति की अवधि**

47–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ताओं को कितने वर्षों तक प्रतिबन्धित स्थानों पर नियुक्ति अनिवार्य रूप से आवश्यक है ? सिंचाई विभाग में कार्यरत कितने ऐसे सहायक अभियन्ता हैं जिनकी नियुक्ति अब तक प्रतिबन्धित स्थानों पर नहीं की गयी और ऐसा न करने के कारण क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रतिबन्धित स्थानों पर पूरे सेवा काल में नियुक्ति के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है । लेकिन शासनादेश दिनांक 5 अगस्त, 1975 के अनुसार सेवा के प्रथम 10 वर्षों में 2/3 वर्ष की प्रतिबन्धित स्थान पर नियुक्ति आवश्यक है। सिंचाई विभाग में 4 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 15 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की पदस्थापना प्रतिबन्धित स्थानों पर कार्यहित/जनहित में नहीं की गयी।

**सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में किये गये आदेश**

48–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने ऐसे सहायक अभियन्ता हैं जिन्होंने अपने प्रतिबन्धित स्थान के अनिवार्य कार्य काल को पूरा कर लिया है किन्तु उसके बाद भी उन्हें प्रतिबन्धित स्थानों पर नियुक्ति के आदेश 1985 में जारी किये गये? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग में 21 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 3 सहायक अभियंता (यांत्रिक) को अनिवार्य कार्यकाल पूरा करने के पश्चात भी प्रतिबन्धित स्थान पर रखा गया। प्रथम 10 वर्षों में प्रतिबन्धित स्थान पर कार्य करना आवश्यक है किन्तु आवश्यकतानुसार उसके पश्चात् भी कार्यहित में अथवा निजी अनुरोध पर प्रतिबन्धित स्थान पर पदास्थापित किया जा सकता है।

**धान खरीद की राजकीय योजना**

49–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने

देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 30 नवम्बर, 1985 तक कितने-कितने धान की खरीद की गयी? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लगभग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति कुन्तल कम रही?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 18620.4 मी0 टन धान की खरीद की गयी (जनपदवार विवरण संलग्न है)। जबकि गत वर्ष इसी दिनांक को 15198 मी0 टन धान की खरीद की गयी थी। इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई। जहां कहीं धान के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे वहां ऐसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 128 पर)

**जनपद बाराबंकी में धान की खरीद करने हेतु खोले गये क्रय केन्द्र**

50–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 85 में धान की खरीद सीधे किसानों से करने के लिये कब और कहां क्रय केन्द्र खोले गये तथा 30 नवम्बर, 85 तक किन-किन केन्द्रों से कितनी खरीदारी धान की गयी?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा खोले गये केन्द्र तथा उन पर दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक की गयी धान खरीद का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 129 पर)

**जिला पूर्ति कार्यालय, उरई में कोल के व्यापारियों के लाइसेन्स लेने के बारे में विधायक श्री यदुनाथ सिंह के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग**

51–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 504 दिनांक 6-12-85 जिला पूर्ति कार्यालय उरई में 3 कोल के व्यापारियों के लाइसेन्स लेने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-12-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तब मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक दी जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–504/85 दिनांक 3-12-85 को प्राप्त हुआ था, न कि दिनांक 6-12-85 को।

उक्त पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक उत्तर प्रश्नकर्ता को भेज दिया गया है।

उपर्युक्त स्थिति में प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

**गणेश शुगर मिल्स आनन्द नगर, गोरखपुर के उत्तरी लाइन के श्रमिक आवासों हेतु शौचालय**

52–श्री हर्ष वर्धन–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शुगर मिल्स आनन्द नगर,

गोरखपुर के उत्तरी लाइन के श्रमिक आवासों हेतु कितने शौचालय हैं ? क्या यह सही है कि इनकी संख्या श्रमिकों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेसर्स गणेश शुगर मिल्स आनन्द नगर, गोरखपुर के उत्तरी लाइन में कुल 42 सिंगिल रूम नान-फेमिली क्वार्टर हैं जिनके लिये 2 शौचालय हैं जो पहले सर्विस शौचालय थे परन्तु अब इन्हें फ्लश शौचालय बना दिया गया है।

सिंगिल रूम नान-फेमिली क्वार्टरों की उपरोक्त संख्या को देखते हुए तथा फ्लश शौचालय में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण इनकी संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है।

53–श्री विजय सिंह राणा–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

**बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की दानोंगाड़ा बंधी के बह जाने से काश्तकारों की हुई क्षति एवं उसका भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी**

54–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की दानोंगाड़ा बंधी के वर्ष 1977 में बह जाने के कारण काश्तकारों की हुई क्षति जिसकी जांच परगनाधिकारी, चकिया की जांच रिपोर्ट सं0 162/आ0 लि0 चकिया/19-7-77 जिसकी प्रतिलिपि उक्त अधिशासी अभियन्ता को दी गयी थी, के आधार पर क्षति का प्रस्तावित देय मुआवजा रु0 800/- आज तक काश्तकारों को भुगतान क्यों नहीं किया गया? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वारा रु0 800/- मात्र श्री महफूज आलम ठेकेदार के दानोगाड़ा बंधी के कार्यों के बीजक से काटकर डिपाजिट में रखा है? यदि हां, तो किस लिये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

परगनाधिकारी, चकिया वाराणसी की जांच रिपोर्ट सं0–162/आ0 लि0 चकिया/19-7-77 की मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई, बल्कि एक काश्तकार द्वारा उसकी एक अप्रमाणित प्रति दी गयी थी। उनसे तथा परगनाधिकारी, चकिया से जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी, जो प्राप्त नहीं हो सकी है।

मूल जांच रिपोर्ट अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका।

उपरोक्त के प्राप्त होने पर भुगतान के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

जी हां।

उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण होने की प्रतीक्षा में।

55–श्री राजित प्रसाद यादव–

[दि0 26-2-86 को अता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

**जनपद अल्मोड़ा में मद्यनिषेध के उल्लंघन के आरोप में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या**

56–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में विगत तीन वर्षों से उत्तराखण्ड क्रान्ति दल उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी द्वारा मद्य निषेध हेतु किये गये आन्दोलन के परिणामस्वरूप किस तिथि से जनपद अल्मोड़ा में मद्य निषेध लागू किया गया और उसके बाद से

मासिक कुल कितने लोग मद्य निषेध उल्लंघन करने के आरोप में पकड़े गये?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 26-5-84 के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा में परमिट-धारियों के लिये विदेशी मदिरा की सुविधा सहित मद्य निषेध लागू है। प्राप्त सूचना के अनुसार मद्य निषेध लागू होने के बाद प्रत्येक माह में मद्य निषेध के उल्लंघन के आरोप में पकड़े गये व्यक्तियों की कुल संख्या 78 है, जिनकी मासिक संख्या निम्न प्रकार है:—

| माह | पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या | माह | पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| जून, 1984 .. | 4 | अप्रैल, 1985 .. | .. |
| जुलाई, 1984 .. | 1 | मई, 1985 .. | 1 |
| अगस्त, 1984 .. | 10 | जून, 1985 .. | .. |
| सितम्बर, 1984 .. | 1 | जुलाई, 1985 .. | 3 |
| अक्तूबर, 1984 .. | 1 | अगस्त, 1985 .. | 1 |
| नवम्बर, 1984 .. | 1 | सितम्बर, 1985 | 6 |
| दिसम्बर, 1984 .. | 1 | अक्तूबर, 1985 .. | 9 |
| जनवरी, 1985 .. | 4 | नवम्बर, 1985 .. | 8 |
| फरवरी, 1985 .. | 2 | दिसम्बर, 1985 .. | 11 |
| मार्च, 1985 .. | 12 | जनवरी, 1986 .. | 2 |

**आजमगढ़ जिले में निर्माणाधीन कबीरपुर माइनर**

57—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में स्थित कबीरपुर माइनर नहर से टेल तक किसानों को पानी मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कबीरपुर माइनर अभी निर्माणाधीन है। पूर्ण होने पर टेल तक पानी पहुंच सकेगा।

**मध्य गंगा निर्माण मण्डल प्रथम मेरठ के खण्डों में मस्टर रोल पर रखे गये कर्मचारी एवं उसका भुगतान**

58—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा निर्माण मण्डल प्रथम मेरठ के खण्डों में वर्ष 1984 से अब तक कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर रखे गये एवं उनका भुगतान किस अस्थाई अग्रदाय द्वारा किया गया और वह कुल कितने धन के थे व प्रत्येक माह में कितने टी0 आई0 का भुगतान किया गया है? क्या इनकी स्वीकृति ली जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

**मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड के उपखण्ड तृतीय एवं चतुर्थ के मुख्यालय में परिवर्तन**

59–श्री मयंकर सिंह –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड 14 के उप खण्ड तृतीय एवं चतुर्थ का मुख्यालय गुलावटी से हापुड़ किये गये? यदि हां, तो इस पर कुल खर्चा कितना हुआ ? क्या इन्हें बदलने के आदेश शासन ने दे दिये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । इस मुख्यालय परिवर्तन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है। चूंकि अतिरिक्त व्यय न होने की स्थिति में उपखण्डों का मुख्यालय परिवर्तन करने के लिये, मुख्य अभियन्ता स्वयं समक्ष है, अतः शासन से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**थियोसाफिकल मान्टेसरी स्कूल, सीतापुर की कतिपय अध्यापिकाओं की समाप्त सेवाओं के संबंध में पत्र**

60–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती पुष्पा सिन्हा, कु0 मिथलेश निगम, कु0 इनजात कौर अध्यापिकाएं थियोसाफिकल मान्टेसरी स्कूल सीतापुर की ओर से श्रम निरीक्षक सीतापुर को अपनी जबरिया सेवा निवृत्त के बारे में दिनांक 26-11-85 को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि (श्रम मंत्री को) 26-11-85 तथा 5-12-85 के बीच किसी दिन मिली ? यदि हां, तो सन्दर्भित विषय में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस मामले की जांच कराई गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि इन शिक्षिकाओं की सेवायें प्रबन्धकों द्वारा वित्तीय कठिनाइयोंवश समाप्त की गई हैं । ये तीनों शिक्षिकाएं कनिष्ठतम थीं तथा सेवा समाप्त करने से पूर्व प्रबन्धकों ने इन्हें तीन मास की नोटिस दी थी । इन शिक्षिकाओं को सुझाव दिया गया है कि यदि वे चाहें तो संराधन अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत कर सकती हैं ।

**जनपद गोरखपुर के तहसील महाराजगंज में मिट्टी के तेल के विक्रताओं को मिट्टी के तेल का वितरण**

61–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बतायेंगे कि जनवरी, 1985 से अक्टूबर 1985 तक महाराजगंज तहसील जिला गोरखपुर में किन-किन मिट्टी के तेल विक्रेताओं को किस-किस महीने में कितना मिट्टी का तेल वितरण हेतु दिया गया और मिट्टी के तेल के वितरण में आवंटन के आधार क्या थे? क्या यह सही है कि इस संबंध में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप जिला परामर्शदात्री समिति की पिछली मीटिंग में प्रश्नकर्ता और अन्य माननीय सदस्यों ने लगाया था? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद गोरखपुर के तहसील महाराजगंज में माह जनवरी 85 से अक्टूबर 85 तक जिन फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं को कार्ड धारकों में वितरण हेतु मिट्टी तेल आवंटन दिया गया है उनको ब्लाकवार एवं महीनेवार मात्रा सहित सात सूची संलग्न† है ।

†छापी नहीं गई

मिट्टी तेल का आवंटन फुटकर विक्रेताओं के मध्य दुकान पर सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या, विद्यार्थियों के परिचय पत्र तथा बाजार स्थल को आधार मानकर जन सुविधाओं को देखते हुए जनहित में किया गया है।

जिला खाद्य सलाहकार समिति की पिछली बैठक दिनांक 2-11-85 में माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी और अन्य सदस्यों द्वारा मिट्टी तेल के अनियमित वितरण के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये थे। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी द्वारा उक्त बैठक में मिट्टी तेल के अनियमित वितरण के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप के कारण 4 दुकानदारों की आपूर्ति रोक दी गयी तथा खण्ड विकास अधिकारी, परतावल से जांच करायी गयी जिसमें संबंधित चारों दुकानदारों द्वारा मिट्टी तेल का वितरण संतोषजनक पाया गया। खण्ड विकास अधिकारी की सूचना के अनुसार माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी भी उनकी जांच रिपोर्ट से सहमत हो गये हैं।

62—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

**विकास खंडों द्वारा चीनी/सीमेंट वितरण के जारी परमिटों की सूची क्षेत्रीय विधायकगणों को उपलब्ध कराने का प्राविधान**

63—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्डों द्वारा परमिट पर चीनी/सीमेण्ट वितरण की सूची मांगने पर विधायकगण को देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के लिखित रूप से मांगने पर सीमेण्ट व माह जुलाई की चीनी जो परमिट पर खण्ड विकास अधिकारी भाटपाररानी द्वारा वितरण करायी गयी, सूची दी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

लेवी सीमेंट की 20 या अधिक बोरियों के जारी परमिट की सूची क्षेत्रीय विधायकगणों को उपलब्ध कराने का प्राविधान है। लेवी चीनी के विशेष परमिटों की सूची विधायकगणों को उपलब्ध कराने का प्राविधान नहीं है।

2—खण्ड विकास अधिकारी, भाटपार रानी द्वारा माह अगस्त से दिसम्बर, 85 तक 20 या अधिक लेवी सीमेन्ट की जारी परमिटों की सूची प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराई गयी। माह जुलाई में सीमेन्ट की परमिट जारी न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गयी।

लेवी चीनी के परमिटों की सूची उपलब्ध कराने का प्राविधान न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गयी।

**जिलापूर्ति कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक व ज्येष्ठ लेखा लिपिक की नियुक्ति एवं पदोन्नति**

64—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय में कार्यरत वर्ष 1973 में नियुक्त सीधी भर्ती के प्रधान लिपिक एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों को, जो वर्तमान समय में लिपिक पद पर कार्यरत हैं पुनः उनके मूल पद पर पदोन्नति देने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक इनकी पदोन्नति की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

जिला पूर्ति कार्यालय गोरखपुर में वर्ष 1973 में 2 प्रधान लिपिक 2 ज्येष्ठ

लेखा लिपिक की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई थी । उक्त नियुक्तियां नियमानुसार नहीं थीं, जिसकी जानकारी होने पर उक्त नियुक्तियां समाप्त करने संबंधित कर्मचारियों को उनकी स्वयं की सहमति लेकर लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था । इन लिपिकों को रिक्तियां होने पर इनकी ज्येष्ठता एवं नियमानुसार यथासमय प्रोन्नति दी जायेगी।

**सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) से लेकर मुख्य अभियन्ता-स्तर-1 (सिविल) के सम्बन्ध में पदवार अपेक्षित सूचना**

65—श्री भीखा राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 30-9-85 को अवर अभियंता (सिविल) से लेकर मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) तक पदवार कितने पद स्वीकृत थे और नियमानुसार उनमें से कितने -कितने पद पदवार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे ? इन आरक्षित पदों के विरुद्ध 30-6-85 को पदवार कितनी रिक्तियां विभाग में उपलब्ध थीं ? 30-6-85 को पदवार अनुसूचित जाति के लिए कितने पात्र व्यक्ति इन पदों पर प्रोन्नति हेतु उपलब्ध थे ? क्या सरकार इन रिक्त पदों की पूर्ति अनुसूचित जाति के उपलब्ध पात्र व्यक्तियों को प्रोन्नति करके करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अवर अभियंता (सिविल) से लेकर मुख्य अभियंता, स्तर—1 (सिविल) के सम्बन्ध में पदवार अपेक्षित सूचना एवं विवरण निम्न प्रकार है:—

**(1) अवर अभियन्ता (सिविल)**

दिनांक 30-9-85 को अवर अभियन्ता (सिविल) के 6,506 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 538 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित थे ।

इन आरक्षित पदों के विरुद्ध दिनांक 30-6-85 को 322 रिक्तियां उपलब्ध थीं। चूंकि अवर अभियन्ता (सिविल) का पद सीधी भर्ती का पद है, जिस पर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं अतः इन पदों पर प्रोन्नति हेतु विभाग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने तथा प्रोन्नति द्वारा इन पदों को भरने का प्रश्न नहीं उठता ।

**(2) सहायक अभियन्ता (सिविल)**

दिनांक 30-9-85 को सहायक अभियन्ता (सिविल) के कुल 2055 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 1602 पद सीधी भर्ती हेतु तथा 453 पद प्रोन्नति हेतु थे। उक्त तिथि को अनुसूचित जाति के लिये क्रमशः 75 तथा 63 पद आरक्षित थे ।

दिनांक 30-6-85 को इन आरक्षित पदों के विरुद्ध क्रमशः 75 तथा 34 रिक्तियां विभाग में उपलब्ध थीं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर प्रोन्नति होने का प्रश्न नहीं उठता । अवर अभियन्ता से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले सहायक अभियन्ता (सिविल) के 34 रिक्त पदों के लिये निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति के 33 अवर अभियन्ता विभाग में उपलब्ध थे, जिनकी प्रोन्नति करने तथा रिक्त पदों को भरने के संबंध में यथासमय नियमानुसार विचार किया जाता है ।

**(3) अधिशासी अभियन्ता (सिविल)**

दिनांक 30-9-85 को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के कुल 527 पद स्वीकृत थे तथा अनुसूचित जाति के लिए अवशेष आरक्षित पदों की संख्या-6 थी ।

दिनांक 30-6-85 को विभाग में उपलब्ध आरक्षित श्रेणी की 6 रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के 2 पात्र सहायक अभियन्ता उपलब्ध थे । इनमें से एक अधिकारी पिछले चयन में अवक्रमित हुये। अनुसूचित जाति के पात्र सहायक अभियन्ताओं को उपयुक्त पाये जाने की दशा में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत करने तथा उस सीमा तक रिक्त पदों को भरने हेतु यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

**(4) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)**

दिनांक 30-9-85 को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के कुल 126 पद स्वीकृत थे तथा अनुसूचित जाति के लिए अवशेष आरक्षित पदों की संख्या–4 थी ।

दिनांक 30-6-85 को आरक्षित श्रेणी की अग्रेनीत की जाने वाली रिक्तियां 4 होती थीं किन्तु उक्त तिथि को विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी ।

दिनांक 30-6-85 को यद्यपि अनुसूचित जाति के 9 अधिशासी अभियन्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हतायें पूरी करते थे किन्तु इनमें से कोई भी पात्रता क्षेत्र में नहीं आते थे । अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये अनुसूचित जाति के पात्र अधिशासी अभियन्ता उपलब्ध होने पर नियमानुसार विचार किया जाता है ।

**(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-2 तथा स्तर-1 (सिविल)**

दिनांक 30-9-85 को मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के 24 पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के 5 पद स्वीकृत थे । उक्त तिथि को इन पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों की संख्या क्रमशः 4 तथा 1 होती थीं।

दिनांक 30-6-85 को मुख्य अभियन्ता स्तर-2 तथा स्तर-1 (सिविल) की क्रमशः 4 तथा 1 रिक्तियां उपलब्ध थीं किन्तु रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के कोई पात्र अभ्यर्थी विभाग में उपलब्ध नहीं थे । आरक्षित अवशेष अग्रेनीत रिक्तियों को भरने के लिये अनुवर्ती अवसरों पर अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

**नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद में कार्यरत नियमित नलकूप मिस्त्री**

66–श्री अहिबरन–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद में वर्तमान रूप (दिनांक 15-8-1985) में कितने ऐसे नियमित नलकूप मिस्त्री कार्यरत हैं, जिनके पास वायरमैन परमिट नहीं हैं, ऐसे अनर्ह नलकूप मिस्त्री जिनके पास वायरमैन परमिट नहीं हैं, उनको नियमित मिस्त्री के पदों पर किन नियमों के अंतर्गत कार्यरत रखा जा रहा है ? इस अनियमित कार्य करने के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद के अंतर्गत दिनांक 15-8-85 तक कुल दस नलकूप मिस्त्री नियमित रूप से कार्यरत हैं।

इन्हें ट्यूबवेल मिस्त्री सेवा नियमावली 1951 के नियम 5(11) तथा 9(बी) के अंतर्गत नियुक्त किया गया है । उक्त दिनांक तक कथित नलकूप मिस्त्रियों में से किसी के पास वायर मैन परमिट नहीं था । ऐसे नलकूप मिस्त्रियों को सर्वथा

अनर्ह नहीं कहा जा सकता । जब तक वायरमैन परमिटधारी नलकूप मिस्त्री उपलब्ध नहीं हो जाते वर्तमान कार्यरत नलकूप मिस्त्रियों को जनहित व कार्यहित में कार्यरत रखा जा रहा है जिसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

**सिंचाई विभाग के भूमि अध्याप्ति निदेशालय में तृतीय श्रेणी के दम्पत्ति के दोनों सदस्यों द्वारा मकान किराया भत्ता का आहरण**

67—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सि0 वि0 के भूमि अध्याप्ति निदेशालय में कितने तृतीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जो मय दम्पत्ति के राजकीय सेवा में हैं एवं शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए दम्पत्ति के दोनों सदस्यों द्वारा मकान किराया भत्ता आहरित किया जा रहा है? क्या जितनी धनराशि अवैध रूप से आहरित कर ली गई है उसकी रिकवरी शीघ्र कर ली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के भूमि अध्याप्ति निदेशालय में तृतीय श्रेणी के दो कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पति/पत्नी मकान किराया भत्ता पाते हैं । उनमें से एक वरिष्ठ सहायक के पति प्रान्तीय कोआपरेटिव फेडरेशन लखनऊ में तथा दूसरे वरिष्ठ सहायक की पत्नी नगर महापालिका के प्राइमरी कन्या पाठशाला, लखनऊ में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं । उक्त दोनों कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद गाजीपुर के ग्राम बीरपुर तथा गौसपुर में गंगा नदी के कटान से भयानक स्थिति**

68—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम बीरपुर तथा गौसपुर में गंगा नदी के कटाव से भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या इन कटानों की रोक-थाम के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा गाजीपुर के कोई योजना बनाकर शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इन योजनाओं को क्रियान्वित करेगी और ये योजना क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गंगा नदी अपना बायां किनारा काटती हुए इन गांवों के समीप पहुंच गई है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के अनुसंधान संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। अतः किसी योजना के कार्यान्वियन का प्रश्न नहीं उठता ।

**गण्डक परियोजना, गोरखपुर में प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का क्रियान्वयन**

69—श्री राम सरन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 7277/ई-4/46-926/मिस 2 खंड दिनांक 5 दिसम्बर, 1982 लखनऊ के अंतर्गत किये गये आदेश का पालन गण्डक परियोजना गोरखपुर में कार्यान्वित किया गया और क्या वहां के कर्मचारियों के काउन्टर परिवर्तन किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ शासनादेश नहीं है बल्कि प्रमुख अभियन्ता का स्थाई आदेश है, जिनका कार्यान्वियन गण्डक परियोजना गोरखपुर में किया गया है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

**सदन की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग में त्रुटि होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री राम आसरे वर्मा–

इस पर मैं व्यवस्था चाहूंगा कि एक सदन के जिम्मेदार सदस्य, भूतपूर्व मंत्री वह हैं . . . ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं । अब इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है किन्तु आपने मेरा नाम पुकारा था, इसलिये निवेदन है कि यह नियम 51 में ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियमों में नहीं आता है, इस लिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राम सरन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ ऐसे आदेश कर दिए हैं कि जो सदस्यगण इनके, मुख्य मंत्री के संबंध में बोलें वह कार्यवाही में न लिखें जांय । मान्यवर, कल पूरा पैरा का पैरा, 3-4 लाईनों का, जो भाषण मैंने कल दिया था कार्यवाही से गायब है । मान्यवर, एक लाईन छूट जाय, एक शब्द छूट जाय, किसी शब्द का उल्टा लिख जाय, किसी गांव के नाम में अशुद्धि हो जाय तो . . . ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसका मुख्य मंत्री से कोई वास्ता नहीं है ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

आपने जो कहा है, उसका जवाब तो मुझे देने दीजिए . .

(व्यवधान)

(जोर से बैठ की एक आवाज आने पर)

श्री राम सरन–

मैं नहीं बैठता, देखूं कैसे तुम बिठालते हो ? जो करना हो करो मैं इस तरह नहीं बैठता हूं, तुम हमें डाटोगे . . . ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गलत बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह बैठ जायं ।

(व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाएं ।

(लोकदल के माननीय सदस्य उत्तेजित अवस्था में बोलते रहे-"व्यवधान")

श्री विजय सिंह राणा–

यह इनकी [* * *] यहां नहीं चलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह की कोई डांट करना, किसी के लिए भी कोई बात कहना सम्मानजनक नहीं है । मैं मुख्यमंत्री और माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा अपने सदस्यों पर अंकुश रखें, उन पर ध्यान दें । जब माननीय सदस्य बोल रहे हों, लीडर आफ अपोजीशन या राम सरन जी बोल रहे हों तो डांट कर कोई ऐसी भावना पैदा करें तो यह अच्छी चीज नहीं है, इस पर रोक होनी चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारे सारे विपक्ष के लोग नेता सदन का जितना आदर कर सकते हैं, करते हैं और करते रहते हैं। एक तो मान्यवर, आपने अन्याय किया, राम सरन जी की बात पूरी सुनी नहीं . . .

(व्यवधान)

नोट:– [***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया

आप फिर पूरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

कहिये-कहिये, आप अपनी बात कहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने पहले पूरी बात को नहीं सुना और जैसे नेता सदन खड़े हुए उधर से एक डांट पड़ती है कि बैठ जायं और आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं और आपको व्यवस्था यह देनी चाहिए, इस प्रकार की डांट वह आज नहीं पहले भी कई बार दे चुके हैं। हम लोग संयम, शालीनता और धीरज के साथ ही काम करना चाहते हैं.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरीके से नहीं करना चाहिए...

(व्यवधान)

मैंने कह दिया है मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं वह अपने आप उसे करेंगे...

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरी बात पूरी नहीं हुई और आपने बिठाल दिया...

श्री उपाध्यक्ष–

राम सरन और नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया था...

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरा आपसे निवेदन है कि नेता सदन या जो भी सदस्य आपकी आज्ञा से खड़े हों, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को आप यह आदेश दें कि वह कोई अपशब्द का प्रयोग किसी माननीय सदस्य के लिए न करें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कह दिया है। नहीं करेंगे। कोई बिलकुल नहीं करेगा, मैंने कह दिया है और नेता सदन को भी मैंने कहा है, वह अपने सदस्यों को रोक दें।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरी बात पूरी नहीं हुई और आपने नेता सदन को कह दिया

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

राम सरन खड़े हुए, वह बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। उनसे और आपसे बैठने को मैंने नहीं कहा। नेता सदन खड़े हो गये, तो राम सरन अपने डिकोरम के हिसाब से बैठ गए। नेता सदन के खड़े होने पर आप बोल रहे थे, तो नेता सदन बैठ गए। तो उसमें पैरा कहां कहां जाता है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने आपसे व्यवस्था मांगी थी और आप फिर बोलने लगे। आप सुनते तो हैं नहीं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग नेता सदन का पूरी तरह से आदर करते हैं। कभी नेता सदन खड़े होते हैं तो हम अपनी बात रोक देते हैं। राम सरन जी खड़े हुए थे, जैसे ही नेता सदन की वजह से वह बैठ गए इसलिए कि हमारी बात बाद में सुन लीजियेगा। उधर से गुस्से में डांटने का शब्द आया तो वह फिर खड़े हुये। हमारे सम्मानित सदस्यों ने कुछ कहा तो मैं खड़ा हुआ। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि शालीनता और संयम से विपक्ष के लोग रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का वातावरण पैदा करते हैं, हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरह का जो व्यवहार करते हैं उनको माननीय नेता सदन को समझाना

चाहिये । यह मेरा निवेदन है और आपसे प्रार्थना है कि हमारे लोगों की पूरी बात सुना करें । आप जो डिसीजन देंगे या आदेश देंगे वह मान्य होगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, एक बात जरूर है जब माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं । मुख्य मंत्री के क्या अधिकार हैं, क्या मुख्य मंत्री के काम हैं ? जो प्रोसीडिंग लिखी जाती है, मुख्य मंत्री लिखवाते हैं क्या उसके अंदर क्या लिखा जाय यह विधान मंडल का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अंदर आता है । आप आक्षेप लगा रहे हैं कि नेता सदन नहीं लिखने देते हैं । अगर आपकी आदत पड़ गयी है आक्षेप लगाने की तो लगाते रहें । सही है या नहीं, तो आप लगाते रहिए, उसका कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, कल मैं यहां इसी सदन में जब पशुपालन के बजट पर बोल रहा था तो डा0 कौशल आपकी चेयर पर थे । तो मैंने फिजूलखर्ची पर कुछ कहा था, टी0 वी0 लगाने पर, उसमें मैंने बर्जन कर दिया माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीया सरस्वती अम्माल जी, सीताराम निषाद जी की खूबसूरती के ऊपर और मैंने 5-6 लाइनें बोली थीं । हुकुम सिंह जी बैठे हैं, कौशल साहब हैं, तो मैंने कल कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया । बहुत अच्छा माहौल था तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तीनों की खूबसूरती की मैंने तारीफ किया कि उनके चेहरे को दिखाने के लिए फलां-फलां जिले में टी0 वी0 लगाया जा रहा है । चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं या मशीनों, दवाओं का इन्तजाम नहीं है । मैं यह बोला था लेकिन पूरे का पूरा पैराग्राफ साफ कर दिया गया है । मैं समझा शायद मुख्य मंत्री को बुरा लगा इसलिये निकाल दिया । मैंने कौन सा आक्षेप लगाया है, यह मेरे पुराने मित्र हैं । खूबसूरती में फर्क हो सकता है, हो सकता है कि मुझ से ज्यादा खूबसूरत हों या मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत होऊं लेकिन शरीर में कोई फर्क नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यवाही की प्रतियां सबको वितरित की जाती हैं और उसमें अगर कोई शब्द छूट जाता है तो उसमें बढ़ा दें इसीलिए भेजते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कार्यवाही में करेक्शन कर सकते हैं लेकिन अगर पैराग्राफ छूटा है तो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

लाइन कोई छूट जाती है तो उसको बढ़ा सकते हैं । जहां तक सवाल माननीय राम सरन जी ने जो उठाया है, मुख्य मंत्री का उससे कोई वास्ता नहीं है । उससे तो अध्यक्ष पीठ का वास्ता है । सदन की कार्यवाही का संबंध अध्यक्ष पीठ से है, मुख्य मंत्री से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कार्यवाही में सेंटेंस के सेंटेंस गलत होते हैं, वाक्य के वाक्य छूट जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

हिदायत कर दूंगा । मैं हिदायत कर दूंगा कि सेंटेंस ठीक लिखे जायं लेकिन और इसमें किसी का दोष नहीं है ।

यह तो इस पीठ से संबंधित है ।

**कन्या वैदिक विद्यालय गाजियाबाद को इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता दिलाये जाने की माग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं जिन में से 7 स्वीकार हुयी हैं । श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री बदन सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री बिष्णुदेव, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अमिताभ लवानियां, श्री मनोहर लाल और कौशिक रमाशंकर की सूचनायें स्वीकार हुयी हैं । मैं एक-एक करके बुला रहा हूं ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना लाना चाहता हूं । कन्या वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज गाजियाबाद नगर की सबसे पुरानी व शहर के मध्य स्थित संस्था है । इस विद्यालय में इण्टर कक्षा में विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान करने का प्रकरण विशेष संस्तुति के साथ मण्डलीय कार्यालय मेरठ से जून 84 में शिक्षा विभाग को भेज दिया गया था । 1985 में वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों के आश्वासन पर विज्ञान वर्ग में छात्राओं को प्रवेश भी दे दिया गया परन्तु खेद है कि समस्त औपचारिकाताएं पूर्ण करने के उपरान्त भी अभी तक विज्ञान वर्ग की मान्यता शासन द्वारा प्रदान नहीं की गयी जिससे सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अधंकारमय हो रहा है । अस्तु मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि इस विद्यालय को इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता अविलम्ब प्रदान की जाये ।

*प्रवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**आगरा के 'सूर सरोवर' की सफाई हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जनपद आगरा स्थित सूर-सरोवर (कीठमझील) जो 7.2 कि0मी0 की लम्बाई में जल भण्डारन का स्रोत है, पूर्णरूप से जलकुम्भी खरपतवार से आक्षादित हो गयी है । वर्ष 1984-85 में जिला योजना अंतर्गत 8 लाख 40 हजार की स्वीकृति धनराशि में से 4 लाख 49 हजार की धनराशि की सिंचाई अभियंताओं द्वारा अनियोजित ढंग से खर्च कर डकार ली गयी है । पर इस सरोवर का एक इंच क्षेत्र भी अभी तक जलकुम्भी मुक्त नहीं हो सका है । जिसके कारण प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की राजस्व हानि गत 6 वर्षों से होती चली आ रही है। मत्स्य पालन हेतु मत्स्य विभाग का स्टाफ भी बेकार बैठा वेतन ले रहा है । आस पास बसे कीठम, अरसेना, चौमाफरह, नगला-भुपला, सींगना, रुनकता और जुगसेना आदि ग्रामों के पानी पीने आने वाले सैकड़ों पशु प्रति वर्ष जलकुम्भी में फंस-फंस कर मर रहे हैं । जलकुम्भी जन्य मच्छर प्रकोप से वर्षा ऋतु में नागरिक मलेरिया रोग से कुप्रभावित होते रहते हैं । ग्रीष्म काल में आगरा नगर पेयजल आपूर्ति भण्डारन का स्रोत समाप्त होने से आगरा नगर में पेयजल संकट उत्पन्न होकर तवाही मच जाती है और इसी तवाही की कल्पना से इस वर्ष भी आगरा नगरी के नागरिक भय आशंका से ग्रसित हो रहे हैं ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर जनजीवन उपयोगी सूरसरोवर को शीघ्र जलकुम्भी मुक्त कराने की मांग करता हूं ।

**सोहावल, फैजाबाद में खाद के वितरण में धांधली होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, शासन द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को छूट की खाद देने की घोषणा की थी लेकिन इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के किसान लाभ से वंचित रह गये। मेरे जनपद फैजाबाद स्थित 18 विकास क्षेत्र हैं। कहीं पर किसानों को यह सुविधा उपलब्ध न हो सकी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में मसौधा और सोहावल विकास क्षेत्र हैं, एक भी किसान को छूट की खाद नहीं मिल पायी। यहां तक कि इस मामले को जब सोहावल विकास क्षेत्र के प्रधानों ने विकास क्षेत्र अधिकारी के सम्मुख रखा तो उसने प्रधानों को मारा-पीटा और बेइज्जत किया। फलस्वरूप समस्त विकास क्षेत्र के प्रधानों ने सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय कर लिया है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि 65 प्रधानों के सम्मान को देखते हुये दोषी विकास क्षेत्र सोहावल को दण्डित किया जाये और प्रधानों के सम्मान की रक्षा की जावे एवं खाद न वितरित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

**आजमगढ़ में चकबन्दी प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विष्णुदेव–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में जनपद आजमगढ़ के बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के नियम और कानून से ऊपर उठकर लम्बी रकमों को लेकर चकबन्दी करके सैकड़ों किसानों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और उन गरीबों के चार-चार, पांच-पांच चक बनाकर चक सीमा छोटी कर दी जिससे चकबंदी की मंशा का हनन हुआ, किसान आक्रोश में है तथा वकीलों का जन मानस हिल उठा है। अस्तु आप से अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच करवाकर उन्हें दण्ड दिलायें और जांच को निष्पक्ष एवं निष्प्रभावी बनाये रखने के लिये जनहित में आवश्यक है कि शीघ्र उनका स्थानांतरण करावें ताकि चकबंदी की प्रक्रिया चकबंदी के नियमों के तहत शुरू हो सके

**सीतापुर मार्ग में बरई जलालपुर नामक कस्बे में बस स्टापेज की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सीतापुर लखनऊ मार्ग पर बरई जलालपुर एक प्रमुख कस्बा तथा आवागमन का केन्द्र है। परिवहन निगम की यह सूचना होने के बाद भी कि सीतापुर से लखनऊ आने वाली सीतापुर डिपो की सभी राजकीय बसें वहां रूक कर सवारियां लेंगी परन्तु सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि जलालपुर में कोई भी बस नहीं रोकी जाती। अनेक बार मैंने ए0 आर0 एम0 आदि का ध्यान आकृष्ट किया परन्तु अभी तक बस स्टाप पर कोई समय सारिणी तक नहीं लगी। बसों न रुकने से जनता को भीषण कष्ट है। जन असंतोष बढ़ रहा है। क्षेत्रीय जनता ने निर्णय लिया है कि यदि बसें रुकना अविलम्ब न शुरू हुईं तो जलालपुर से बसें गुजरने नहीं दी जायेंगी।

अतएव यह स्थिति शासन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि वहां अविलम्ब बसों को रूकना प्रारम्भ कराया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री भूरे निवासी ग्राम मुरिला, थाना ढेबरूवा, बस्ती को पुलिस द्वारा हत्या एवं अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, बस्ती जनपद के ढेबरूवा थाना के अन्दर स्थित बढ़नी चौकी के इंचार्ज श्री बी0डी0 यादव व ढेबरूवा थाना के इंचार्ज श्री वाई0 एन0 सिंह व अन्य कई पुलिस कर्मियों ने दिनांक 19 नवम्बर, 1985 को मुरिला ग्राम के निवासी श्री भूरे पुत्र श्री तिलकराम को दिन में 12 बजे उसके घर से पकड़ कर चौकी में लाये और उससे वहां पर घटित एक घटना के संदर्भ में स्वीकारोक्ति के लिए कहा परन्तु उसके इन्कार करने पर उसके हाथ पैर बांधकर पेड़ में बांध कर बोरिंग की तरह नीचे ऊपर तब तक पटकते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गयी । उसके बाद भी उसे लाठियों व डन्डों से पीटा गया रात्रि में चौकी से उसकी लाश को ले जा कर चरगांवा नाला के पास जो ढेबरूवा थाने के 4 किलोमीटर पश्चिम है फर्जी मुठभेड़ दिखाया गया है । इसके संदर्भ में जब जनता ने संघर्ष का रास्ता अपनाया तो डी0 आई0 जी0 के आदेश पर उक्त चौकी इंचार्ज बी0 डी0 यादव व दो अन्य सिपाहियों के विरुद्ध 304 व अन्य दफाओं में मुकदमा दर्ज कराया गया परन्तु न तो आज तक किसी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई और न ही चौकी से किन्हीं सिपाहियों का स्थानान्तरण किया गया और थाना अध्यक्ष ढेबरूवा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जब वह निरन्तर इस घटना को छिपाने व साक्ष्यों को मिटाने व आतंकित करने पर लगे हुए हैं ।

अतएव शासन से मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें तथा उन्हें थाने से तत्काल स्थानान्तरित करें ।

**आगरा स्थित ऐतिहासिक इमारत ताजमहल में दरार पड़ने तथा उसकी उपेक्षा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

श्री अमिताभ लवानियां–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय "ऐतिहासिक इमारत ताजमहल" में पड़ी दरार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विगत कई वर्षों से शाही मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल की नगर महापालिका आगरा व पुरातत्व विभाग द्वारा निरन्तर उपेक्षा की जा रही है । रख-रखाव के नाम पर धन का अपव्यय किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस कीमती इमारत में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं तथा बरसात के मौसम में मुख्य इमारत में कई जगह से पानी का रिसाव होना प्रारम्भ हो गया है । भारतीय स्थापत्य कला एवं संस्कृति की अमूल्य धरोहर इस इमारत को देश विदेश के लाखों सैलानी प्रति वर्ष देखने आते हैं, जिनसे राजस्व के रूप में एक मोटी रकम सरकार को प्राप्त होती है । इसलिए इस भव्य और कीमती ताजमहल की देखभाल विशेष तकनीकी सलाहकारों से कराकर रख-रखाव की अच्छी व्यवस्था अविलम्ब करायी जाये, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं ।

**औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं**

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इनको ध्यान से पढ़ने के बाद यह पाया गया कि यह कोई भी नियम

*प्रवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

300 के अन्तर्गत आने वाली नहीं है। इसलिए मैंने सबको अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, उसको आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

जब नियम 300 के अन्तर्गत मामला नहीं बनता है, तो मैं क्यों सुन लूं ? मैंने सबको अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने क्या विषय उठाया है, इसको तो आप बता दें।

मान्यवर, मैंने जो विषय उठाया है, यह कार्यवाही रखी हुई है, सदन के संज्ञान में यह आया हुआ मामला है। आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सदन के बाहर की घटना है। सदन के संज्ञान में आप लाये हुए हैं, लेकिन यह है तो सदन के बाहर की घटना।

दो चीजें इसमें ऐसी उल्लिखित हैं, जो सदन के बाहर की हैं। आप सदन के संज्ञान में लाते रहें, यह तो नियमों के अन्तर्गत ही देखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह सदन के संज्ञान में आया हुआ मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे निर्णय के बाद कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप समझते हैं कि आपको सुनने के बाद सब समस्या हल हो जाएगी। मैंने कह दिया आपका मामला नियम–300 में नहीं आ रहा है आप नियम–300 को नियम–300 की ही तरह इस्तेमाल करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा यह आपके ऊपर आरोप है मैं स्वीकार नहीं करता आप जानबूझ कर श्री संकठा प्रसाद शास्त्री की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। श्री संकटा प्रसाद शास्त्री ने रामायण की निन्दा की है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। अब मैं नहीं सुन रहा हूं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सदन नियमों के अन्तर्गत चलेगा।

(घोर व्यवधान)

गौरी शंकर भइया आप याचिका प्रस्तुत करें।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैंने भी औचित्य का प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

आप याचिका प्रस्तुत करिए।

(व्यवधान)

गुप्ता जी आप कानून के पंडित हैं। अगर यह नियम 300 में आता होता तो मैं सुन लेता, लेकिन यह नियम–300 में नहीं आता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कैसे नहीं आता है? आप नियम 300 को देखने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप मेरी सूचना पढ़ लीजिए यह नियम 300 में आती है या नहीं आती है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री गौरी शंकर भइया आप याचिका प्रस्तुत करें और कुछ मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। सारे सदन के समक्ष इस सदन का घोर अपमान हुआ . . . .

(व्यवधान)

माननीय गुप्ता जी आपको इंगित करके कह रहे थे कि आप ने जानबूझकर, यह आप पर आरोप है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सही कह रहा था। मैंने कहा कि सदन को अव्यवस्थित करने के लिये मुझे मजबूर न करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका आरोप अनुचित है। आपका आरोप सही नहीं है, मैंने जो कुछ किया है अपने विवेक से किया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इन्होंने आपका घोर अपमान किया है। जब मैं कह रहा था तो इन्होंने पुनः वही बात कही बजाय खेद व्यक्त करने के। अगर आज आप नोटिस नहीं लेंगे तो आये दिन लोग खड़े होकर इस तरह से कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कह दिया अब आगे इसको न बढ़ायें। उन्होंने भावावेश में जो कुछ कहा है, उसके लिये कह दिया। कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सदन की कार्यवाही देख लें। शोर से काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

**जनपद बलिया के सिंहाचवर में कागज का कारखाना लगाये जाने के संबंध में याचिका†**

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया में सिंहाचवर में कागज का कारखाना लगाये जाने विषयक श्री मदन सिंह, निवासी, जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक स्थित राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी नसीरपुर में डाक्टर स्टाफ उपलब्ध कराने तथा भवन निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में याचिका†**

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद कटेहरी ब्लाक में स्थित राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में डाक्टर तथा अन्य आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने और

†छापी नहीं गयी।

चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण कराने विषयक श्री राम कृपाल सिंह तथा श्री चिन्तामणि पाण्डेय निवासीगण, जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे को उरई, जालौन से सीधा जोड़ने हेतु कोटरा मार्ग के बेतवा नदी पर रिपटा बनाये जाने की मांग के संबंध में याचिका†**

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मैं आपकी अनुमति से जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे को सीधा जालौन जिले के मुख्यालय उरई से जोड़ने के लिये कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर रिपटा बनाने विषयक श्री बहादुर सिंह तथा अन्य निवासीगण, जनपद, झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**जनपद बाराबंकी के छुलहा घाट पर कल्याणी नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में याचिका†**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बाराबंकी के छुलहा घाट पर कल्याणी नदी पर पुल बनवाने विषयक श्री बफाती तथा श्री आशाराम अवस्थी, निवासीगण, जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव**

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 मार्च, 1986 की बैठक में दिनांक 30 मार्च, 1986 तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सिफारिश की है :–

1–दिनांक 6 मार्च, 1986 को निम्नलिखित कार्य लिये जांय :

(क) ऊर्जा विभाग से संबंधित आय-व्ययक की मांग पर मतदान,

(ख) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण . . . . . आधा घंटा।

(ग) अतरौली (अलीगढ़) में पुलिस फायरिंग के संबंध में श्री कल्यान सिंह तथा अन्य सदस्यगण की सूचनाओं पर चर्चा . . . दो घंटा।

2–दिनांक 15 मार्च, 1986 को सदन की बैठक न हो।

3–दिनांक 17 मार्च, 1986 को निम्नलिखित कार्य लिये जायं:

(क) आवास तथा नगर विकास विभाग से संबंधित आय-व्ययक की मांगों पर मतदान . . . . . आधा दिन।

(ख) सूचना विभाग से संबंधित आय-व्ययक की मांग पर मतदान . . आधा दिन।

4–दिनांक 22 मार्च, 1986 को सदन की बैठक पूर्वाह्न, 10 बजे से आरम्भ हो और उस दिन निम्नलिखित कार्य लिये जांय:

(क) पर्वतीय विकास विभाग से संबंधित आय-व्ययक की मांग पर मतदान . . . . . डेढ़ घंटा।

(ख) संस्थागत वित्त विभाग से संबंधित आय-व्ययक की मांगों पद मतदान . . . . . डेढ़ घंटा।

---

†छापी नहीं गयी।

(ग) गृह विभाग (कारागार) तथा गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) से संबंधित आय-व्ययक की मांगों पर मतदान . . , . डेढ़ घंटा ।

(घ) पर्यटन विभाग से संबंधित आय-व्ययक की मांग पर मतदान . . डेढ़ घंटा।

5–दिनांक 24 मार्च, 1986 को–

(क) नियम 301, नियम 56 और नियम 51 की सूचनाएं न ली जांय, तथा

(ख) उस दिन के लिये निर्धारित आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अपराह्न 2.00 बजे तक हो और तदुपरान्त उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसके पारण की मदें ली जांय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना मा0 उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी, से सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 मार्च, 1986 की बैठक में दिनांक 30 मार्च, 1986 तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जिस संशोधन की सिफारिश की, यह सदन उसे स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार श्री शिव कुमार मिश्र के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में वक्तव्य**

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 22-12-85 को मो0 छीपीबाड़ा, थाना पिलखुआ, गाजियाबाद निवासी श्री कैलाशचन्द्र ने अपनी 17 वर्षीया बहन को उसी मोहल्ले के निवासी श्री गौतम शर्मा द्वारा भगाये जाने की रिपोर्ट लिखायी थी। इस पर धारा 363/366 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अभियोग थाना पिलखुआ पर पंजीकृत हुआ था। इस घटना को लेकर कस्बे में असंतोष व्याप्त था। ऐसे मामलों को लेकर पहले पिलखुआ थाने पर प्रदर्शन हो चुके थे। इसलिए पुलिस भगायी गयी लड़की को बरामद करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही थी। विवेचना के दौरान विवेचक को निश्चित सूत्रों से इस बात की जानकारी हुयी कि लड़की को भगाने और छिपाने में श्री शिव कुमार मिश्र पत्रकार का हाथ है। जनता का एक वर्ग पुलिस पर इस बात के लिये भी दबाव डाल रहा था कि वह श्री शिव कुमार मिश्र से कड़ाई से पूछताछ करे।

2–इस स्थिति में श्री शिव कुमार मिश्र से पुलिस ने पूछताछ की थी। पूछताछ से कोई लाभप्रद बात नहीं ज्ञात हो सकी। अतः उन्हें वापस जाने दिया गया। भगायी गयी लड़की उसी दिन शाम को वापस आ गयी और मुल्जिम गिरफ्तार हो गया।

3–जहां तक श्री शिव कुमार मिश्र से दुर्व्यवहार का प्रश्न है, उनकी इस आशय की शिकायत पर जांच के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार का खंडन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है और कुछ लोगों ने समर्थन। दुर्व्यवहार का समर्थन करने वालों में कुछ श्री मिश्र के निकट सम्बन्धी हैं। ऐसी स्थिति में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सका है। जांच अधिकारी को गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें जो जवाब आया है, इसमें . .

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना पर वक्तव्य है, मुझे पूछा ही नहीं गया ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो सदन की सम्पत्ति है, किसी को भी समय दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अपराध कोई भी हो, हर नागरिक का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह अपराधी का पता लगाने में सहयोग दे। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि श्री शिव कुमार मिश्र, पत्रकार को पुलिस ने इस आशंका से हिरासत में लिया था कि उनके बारे में दोष बताया गया था। फिर वक्तव्य में यह बात भी साफ जाहिर कर दी गयी कि उसमें उनका हाथ साबित नहीं हुआ। तो माननीय मंत्री जी बताएं कि किन लोगों ने पुलिस पर जोर डाला इस बात के लिये कि उनके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार किया जाय। दूसरे क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस के सांसद श्री के0 एन0 सिंह तथा श्रीमती शीला दीक्षित, कांग्रेस विधायक और लोकदल के विधायक . . . . .

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री
(श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, इसमें इस तरह से कांग्रेस (आई) के विधायक का नाम लेकर स्पष्टीकरण किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप सवाल पूछें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप की सबने भर्त्सना की। मान्यवर, अपर पुलिस अधीक्षक को जो जांच सुपुर्द की गयी थी, उस जांच में दो सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर भी किया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सवाल पूछें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं यह जानना चाहता हूं कि अपर पुलिस अधीक्षक ने जो जांच की, वह जांच रिपोर्ट क्या है? उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जहां तक कांग्रेस के एम0 पी0 और एम0एल0ए0 के हस्तक्षेप की बात है, मान्यवर, यह सत्य से परे है। इस तरह का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं है कि किसी एम0पी0 या एम0एल0ए0 ने हस्तक्षेप किया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, किन लोगों के दबाव पर पुलिस पत्रकार को पकड़कर के थाने पर ले आई ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, वहां के संभ्रांत व्यक्तियों और मुद्दई, जिनकी लड़की को भगाया गया, उन्होंने दबाव डाला, जिसके आधार पर पत्रकार को बुलाया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है। इस वक्तव्य में एक लफ्ज "भगाये जाने" का कई बार इस्तेमाल

हुआ है। मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि भविष्य में इस लफ्ज "भगाये जाने" के स्थान पर यदि "ले आये जाने" का इस्तमाल हो तो उससे भी यही आशय निकलेगा। मान्यवर, इस प्रकार के लफ्ज इस्तमाल नहीं होने चाहियें, यह खूबसूरत नहीं लगता है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप सवाल पूछें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने तो यह आपके माध्यम से एक निवेदन किया है। मान्यवर, इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें यह लिखा है कि 22-12-85 को भगाये जाने की रिपोर्ट लिखायी गयी, जिस दिन श्री शिव कुमार मिश्र जी को पकड़ा गया है और उनको थाने में मारा पीटा जाता है, वह तारीख क्या थी ?

दूसरे आपने इसमें दिखाया है कि "उन्हें वापस जाने दिया गया। भगायी गयी लड़की उसी दिन शाम को वापस आ गयी और मुल्जिम गिरफ्तार हो गया। मान्यवर, यह जो जुमला है इसमें यदि यह किया जाय कि भगायी गयी लड़की उसी दिन शाम को वापस आ गयी, और मुल्जिम गिरफ्तार हो गया, अतः उन्हें वापस आने दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जुमला इससे पहले है या बाद में दूसरे इसकी गिरफ्तारी की तारीख क्या थी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, 22 तारीख से लेकर 4-5 तारीख तक तफ्तीश चलती रही। 5 को बातचीत के बाद अलीगढ़, हाथरस और खुर्जा-इन जगहों पर पत्रकार को साथ लेकर पुलिस जाती रही। रात को जब लौटकर आये तो उन्हें थाने से जाने दिया गया। फिर अगले दिन फिर बुलाया गया। मान्यवर, 22 तारीख को रपट दर्ज हुई, 5 तक तफशीश चलती रही, 5 पत्रकार को बुलाया गया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, श्री शिव कुमार मिश्र को थाने पर कितनी देर रखा गया, उनकी क्या-क्या शिकायतें हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, 3 दिन नहीं रखा गया है, यह सत्य से परे है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैंने 3 दिन का जिक्र नहीं किया, मान्यवर, यह पूछा कि उन्हें थाने पर कितनी देर रखा गया ? शायद मंत्री जी ठीक से सुन नहीं पाये थे और उनकी शिकायत क्या-क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, थाने पर बुलाया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मार-पीट की गयी, तरह-तरह से मुझे उत्पीड़ित किया गया, कुल मिलाकर यही शिकायतें हैं।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एफ0आई0आर0 लिखाई गई थी, क्या उसमें श्री शिव कुमार मिश्र का नाम था। दूसरा, जिस लड़की को भगाने की बात कही गई है क्या उसकी कोर्ट मैरिज हो चुकी थी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जी0 डी0 में यह हवाला आया है कि इन्हें रिक्शे में जाते हुए देखा गया। अन्य लोगों के कहने के मुताबिक श्री मिश्र को थाने पर जानकारी करने के लिए बुलाया गया।

श्री मित्रसेन–

माननीय मंत्री जी जी0डी0 का नम्बर बता दें?

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मेरी जानकारी को निश्चित मानते हुए कि कैलाश चन्द्र की बहिन, जिसका उत्तर में भगाये जाने का जिक्र किया गया है की कोर्ट मैरेज श्री गौतम शर्मा से 6 महीने पहले हो चुकी थी। यदि हां, तो फिर भगाये जाने का प्रश्न ही कहां से पैदा होता है?

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी तो जांच हो रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, चूंकि लड़की माइनर थी, इसलिए उसे भगाया जाना माना जायेगा। कोर्ट मैरेज हुई है, इस प्रकार का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि उसी दिन शाम को वह वापस आ गई और मुल्जिम गिरफ्तार हो गया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुल्जिम जो गिरफ्तार हुआ है वह कौन है क्या उस मुल्जिम का पत्रकार से कोई संबंध था?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मुल्जिम श्री गौतम शर्मा को गिरफ्तार किया गया और इनके घर के पास ही पत्रकार भी रहते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह 17 वर्ष की लड़की थी और लड़की बरामद भी हो गई। क्या उसका 164 के तहत बयान हुआ था? क्या उस लड़की ने श्री शिव कुमार मिश्र को उसे भगाये जाने में हाथ बताया था? क्या डाक्टरी जांच में भी उसकी उम्र 17 वर्ष की ही थी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, विवेचना हो रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इसकी जांच हो रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, विवेचना का एक तरीका होता है। जब उस लड़की को बरामद किया गया होगा तो उस समय आई0 ओ0 ने जी0डी0 में उसका कलम बन्द बयान लिया होगा। क्या जिस समय लड़की ने बयान दिया तो उसने यह बताया कि उसे भगाने में श्री शिव कुमार मिश्र का भी हाथ था?

श्री राम सरन–

मान्यवर, कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट नहीं होगा जो नाबालिग लड़की की कोर्ट मैरेज कर दे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, कोर्ट मैरेज का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप निवेदन नहीं प्रश्न करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आपसे निवेदन है, पूछ तो उनसे रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब वह लड़की गिरफ्तार की गयी तो क्या उसका धारा 164 में बयान हुआ और इसमें क्या गौतम शर्मा को उसने अभियुक्त बताया या उस पत्रकार से कोई सम्बन्ध बताया? धारा 164 के बयान में उसकी उम्र क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इसे लोकहित में बताना उचित नहीं होगा, इसकी विवेचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

हाई स्कूल का सर्टीफिकेट उस लड़की का है, उसमें जन्म-तिथि 1965 की है और 86 चल रहा है, आप स्वयं अनुमान लगा लें कि आयु कितनी होगी? लड़की ने कोर्ट मैरेज की, प्रमाण यह है कि लड़की ने धारा 164 में बयान दिया, उसमें लड़की ने क्या कहा है, बता दें?

श्री उपाध्यक्ष–

विवेचना से पहले बताना जरूरी नहीं है, अभी तो उन्होंने कहा है, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

किसी पत्रकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाना कहां तक उचित है?

**जनपद फतेहपुर में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य**

[लोक

* गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

[प्राप्त सूचनानुसार दि0 23/24-2-86 की रात्रि में स्व0 श्री मथुरा प्रसाद सिंह निवासी ग्राम बराहा, थाना ललौली, जिला फतेहपुर के परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गयी तथा सोने चांदी के कुछ जेवरात, बर्तन तथा रु0 6,000 नकद लूट लिए गए। घटना की सूचना स्व0 श्री मथुरा प्रसाद की बहन श्रीमती यशोदा देवी द्वारा दिनांक 24-2-86 को लगभग 8.30 बजे प्रातः थाना ललौली पर दी गयी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस, कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। इस हत्याकाण्ड में श्रीमती सुन्दी देवी, श्रीमती महरनियां, कुमारी सरोज एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह मारे गए। घटना के सम्बन्ध में थाना ललौली पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 396 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में 9 अभियुक्त नामजद किए गये हैं। नामांकित अभियुक्तों में से तीन अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा तीन ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

इस हत्याकाण्ड की पृष्ठभूमि में ग्राम बराहा निवासी दो चचेरे भाइयों स्व0 श्री मथुरा प्रसाद सिंह एवं श्री जुगराज सिंह के बीच सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद है। इन दोनों भाइयों के बीच आम के बाग तथा मकान के संबंध में काफी दिनों से मुकदमें चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन हत्याओं का उद्देश्य सम्पत्ति को हड़पना है क्योंकि अब स्व0 श्री मथुरा प्रसाद सिंह के परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा है।

ग्राम बराहा में सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गयी है। स्थिति सामान्य है। इस घटना से किसी प्रकार की असुरक्षा, क्षोभ या आतंक का वातावरण नहीं है।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मृतक परिवार के लोग घटना से पहले जान-माल की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों से थानेदार से पत्र लिखकर मिले थे ? यदि हां, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस तरह की कोई मांग नहीं की गयी थी, इसलिये आगे का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, यह मेरे जनपद से लगा हुआ थाना है मुझे जानकारी है कि इस घटना की पहली शाम को स्थानीय पुलिस के लोग वहां देखे गये थे। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं गयी। पहले पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने आर0 टी0 किया तब पुलिस पहुंची?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

पुलिस गश्त वगैरह में रही होगी, 8.30 बजे सूचना जैसे ही मिली 10 बजे एस0 पी0 पहुंच गये।

श्री किरन पाल सिंह–

जिस थाने के अन्तर्गत यह घटना हुई है, उस थाने के अन्तर्गत घटना होने के बाद स्थानीय पुलिस पहले पहुंची या एस0 पी0 पहले पहुंचे? यदि स्थानीय पुलिस बाद में पहुंची है तो उसकी इस शिथिलता के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

थोड़े-बहुत अन्तर से ही पहुंचे हैं, स्थानीय पुलिस पहले पहुंच गयी थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मेरी निश्चित जानकारी है कि घटना से पहले मृतक परिवार के लोगों ने थानेदार से अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की थी। थानेदार की मारने वाले लोगों से सांठ-गांठ थी इसलिये जब मर्डर हो गया पहले डिप्टी एस0 पी0 पहुंच गये, थाने के लोग उसके बाद पहुंचे हैं। क्या इसको सही मानकर आप इसकी जांच कराकर दोषी थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

बहुत दिनों से जमीन और सम्पत्ति को लेकर चचेरे भाइयों में झगड़ा चल रहा था, मामला हाईकोर्ट में था। थानेदार की बात नहीं थी। माननीय सदस्य को भी जानकारी है और उन्होंने स्वीकार किया है कि आपसी रंजिश थी, मामला हाईकोर्ट तक चला गया था।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं इसकी जांच करा लूंगा।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनको मैं विधायकों के नाम सहित, विषय को भी पढ़ रहा हूं जो कि इस प्रकार से हैं:–

1–श्री मनोहर लाल

कानपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज।

2–श्री मित्रसेन

सूती मिल, काशीपुर, नैनीताल के मजदूरों पर लाठी चार्ज।

3—श्री कुशलपाल सिंह
मांट क्षेत्र में गन्ना क्रय केन्द्रों के बन्द होने के संबंध में।

4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी
श्री राम गोविन्द चौधरी
श्री गौरी शंकर भइया
फर्जी बुनकर समितियों के माध्यम से करोड़ों रुपयों का घपला।

5—श्री किरन पाल सिंह
श्री बदन सिंह
श्री राम सरन
श्री नरेश पाल सिंह
पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों को बेचना।

6—श्री राम आसरे वर्मा
श्रीमती शारदा देवी
बस्तौली लखनऊ में 5 एकड़ भूमि का फर्जी बैनामा।

7—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
ललितपुर में 5 व्यक्तियों की हत्या।

8—श्री बुनियाद हुसैन
श्री राम सागर
श्री फरीद महफूज किदवई
श्री हरेन्द्र सिंह
श्री महेन्द्र सिंह भाटी
श्री मोहम्मद मसूद खां
श्री सुखपाल पाण्डेय
श्री नंगा राम
श्री परमाई लाल
सीतापुर जिले में गांजर वासियों द्वारा पदयात्रा।

9—कुंवर रेवती रमण सिंह
श्री शफीकुर्रहमान बर्क
श्री अशोक बाजपेयी
तदैव।

10—श्री राज किशोर सिंह
भदोही वुलेन्स लि0 बनारस में घपला।

11—डा0 बंगाली सिंह तथा
श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी
अलीगढ़ में जाली नोटों का चलन।

12—श्री भोपाल सिंह
श्री रिछपाल सिंह बंसल
जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के बारे में।

13—श्री बाबूराम यादव
मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दवाओं का घपला।

14—श्री अनुग्रह नारायण सिंह
श्री गोपाल दास यादव
श्री पारस नाथ यादव आदि
प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षक परिषद् के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन।

15—श्री कमलेश कुमार पाठक
श्री महराज सिंह
श्री बाबूराम यादव
श्री गया प्रसाद वर्मा
इटावा में लोकदल के कार्यकर्ता की हत्या।

16—श्री चन्द्रभान मौर्य
थाना अलीगंज, एटा की हरिजन बालिका के साथ बलात्कार और हत्या।

18—श्री अवधेश प्रसाद
धर्म परिवर्तन के बारे में।

19—श्री दीपचन्द्र सोनकर
श्री पारस नाथ यादव
जौनपुर तहसील, शाहगंज में चकबन्दी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार।

20—श्री राम नरेश
प्रदेश में सी0 आई0 ए0 का जाल।

21—श्री देव कुमार यादव
मेरठ की बिगड़ती हुई स्थिति।

22—श्री यदुनाथ सिंह
मण्डी परिषद् में घोटाला।

23—श्री रघुवर दयाल वर्मा—
श्री विजय सिंह राणा
आगरा के ग्राम पिरथौली में दो व्यक्तियों की हत्या।

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
सीतापुर में दिन दहाड़े हत्या।

25—श्री हृदय नरायन दीक्षित—
उन्नाव में सरकारी देयों की वसूली के बारे में।

26—श्री शारद प्रताप—
विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन।

27—श्री जमुना प्रसाद बोस—
बांदा में आला पीड़ित किसानों पर लाठी चार्ज।

इस तरीके से यह 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इसमें से मैं यह चाहूंगा कि पांच सूचनाओं के विषय की ग्राह्यता पर एक-एक आदमी थोड़ा सा बोल लें।

* श्री मनोहर लाल—
मान्यवर, मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सूचना दी है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले बनारसी बाबू जो कि कांग्रेस के विधायक हैं उनको पुलिस ने पीटा।

श्री उपाध्यक्ष—
आप केवल ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री मनोहर लाल—
मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। पुलिस का मनोबल बढ़ता जा रहा है। दरोगा विन्ध्याचल सिंह उर्फ लोहा सिंह उर्फ कुत्ते वाले इसी नाम से लोग उन्हें पुकारते हैं, उन्होंने भारत बन्द के अवसर पर समस्त महिलाओं के ऊपर तथा विरोधी दल के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया जिसमें से 10 लोगों को चोटें आयी थीं और उसने उन पर अपने कुत्ते को छोड़ दिया। जब एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 मौके पर आये तो उन्होंने कहा कि मैं लोहा सिंह दरोगा उर्फ कुत्ते वाले को सस्पेन्ड कर रहा हूं। लेकिन तीन दिनों के बाद वह दरोगा फिर आ गया। ला कालेज के लड़के चुनाव कर रहे थे और वे सब अपने चुनाव में व्यस्त थे तो यह दरोगा वहां अपना कुत्ता लेकर पहुंचा और जहां पर ला कालेज में चुनाव का माहौल था, वहां पर लाठी चार्ज किया, कुत्ता दौड़ाया और लड़कों को पीटा, इससे लड़कों में असन्तोष उत्पन्न हो गया और वे परेड चौराहे पर आ गये और जमा हो गये। उस कुत्ते वाले दरोगा ने कुत्ता दौड़ाया और लड़कों पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया, उससे तमाम दुकानों को नुकसान हुआ। डी0 ए0 वी0 कालेज के वाइस-प्रेसीडेन्ट को चोट आयी, जितेन्द्र और महेन्द्र मिश्रा को चोटें आयीं, वह अस्पताल में भर्ती हैं। कानपुर में कुत्ते का डर बहुत व्याप्त है, अधिकारी भी उससे डरते हैं। उसको 3 दिन के बाद फिर वहीं कर दिया गया। इसलिए आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री मित्रसेन—
मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर कहना चाहता हूं, इसका तत्कालीन लोक महत्व है। मान्यवर, 26 तारीख को काशीपुर सूती मिल के मजदूर गेट पर मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करते समय पुलिस ने उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया और उस लाठी चार्ज से डेढ़ दो दर्जन मजदूर घायल हो गये हैं, पुलिस ने उनको मारा पीटा और उनके घरों में घुस गये, उनकी महिलाओं को भी मारा और घरों

* अध्यक्ष ने आसन का पुनर्ग्रहण नहीं किया।

से टेप रिकार्डर और घड़ियां, रेडियो छीन लाये। वह लोग मुख्याधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गेट पर मीटिंग कर रहे थे। वहां पर धारा 144 भी नहीं लगी थी, परन्तु फिर भी मजदूरों पर बर्बर लाठी चार्ज किया और मजदूरों को मान्यवर, गिरफ्तार किया है। मजदूरों में तनाव व्याप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए और सदन का काम स्थगित करके इस पर आप आज चर्चा करा दें। पुलिस जिस तरह से मजदूरों पर लाठी चार्ज कर रही है, उसकी तमाम घटनायें हैं, इसलिये जो नैनीताल जिले की काशीपुर सूती मिल है, उन पर जो लाठी चार्ज हुआ है और 150 मजदूर गिरफ्तार हैं। उस पर सदन का कार्य रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

* संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख माननीय यादव जी ने किया है, जैसे ही इसकी जानकारी मिली, डी0 एम0 और एस0 पी0 दोनों वहां पर गये और लेबर लीडरों के साथ बात किया और सौहार्द पूर्ण वातावरण बन गया है, अब वहां पर कोई तनाव नहीं है और अगर कोई विशेष बात हो तो वह बता दें, मैं जांच करा लूंगा। लेकिन वहां पर तनावपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरे काम रोको के माध्यम से जो सवाल उठाया गया है, वह बड़े महत्व का है। मान्यवर, फर्जी बुनकर समितियों में लगभग 1 अरब रुपये का घपला है, जिसमें से केवल कानपुर शहर में 20 करोड़ रुपये का मामला 40 समितियों की जांच में बिलकुल फाइनलाइज्ड हो गया है और उसके आधार पर कार्यवाही होनी थी और कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपये के द्वारा राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में इस प्रकार की फर्जी समितियां हैं, जो अस्तित्व में नहीं हैं। न करघा है, न आफिस है और न कर्मचारी हैं और करोड़ों रुपये का ऋण ऐसी समितियों को बांट दिया गया है, केवल 6 प्रतिशत कमीशन लेकर और इस शिकायत पर स्वयं तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने जांच के आदेश दिये और वह जांच विजिलेंस को मिली और डी0 एस0 पी0 रैंक का अधिकारी उसकी जांच कर रहा था और जांच में 284 समितियों में से केवल 40 की जांच अभी तक पूरी हुई और उनमें 20 करोड़ रुपये का घपला स्टेबलिश हुआ। उस अधिकारी ने जो अंतरिम रिपोर्ट भेजी है शासन को, उसने कहा है कि अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो एक अरब का घपला होगा और ऋण की वसूली असंभव हो जायेगी। आप देखें इसमें खेल क्या खेला जा रहा है ? इसमें मान्यवर, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। रजिस्ट्रार, जो सहकारी समिति के हैं, वह पहले वाले थे, श्री बी0 के0 मित्तल थे शायद, उन्होंने एक आदेश दिया था। मान्यवर, मैं कह रहा हूं और आपने लाल बत्ती कर दिया पहले एक सर्कुलर था कि बिना स्थल निरीक्षण किये इन समितियों को न तो ऋण दिया जाय और न उनकी कैश क्रेडिट लिमिट बांधी जाय लेकिन उसको वापस ले लिया रजिस्ट्रार साहब ने और अब अपने आप बिना देखे ऋण बंटने लगा और करीब 3 करोड़ का ऋण इन फर्जी समितियों को बंट गया। जब इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह की समस्या सामने आई तो कुछ लोग जो हैं इस मामले को उठाने की कोशिश करने लगे और तभी से इसे दबाने के लिए राजनैतिक प्रेसर होने लगा। 19-2-86 को कलेक्टर कानपुर ने, जो निदेशक हथकरघा भी हैं, उन्होंने डिवाई0 एस0 पी0 को आदेश देकर उस जांच को रुकवा दिया। इसी बीच 21-2-86 को बिजिलेंस के जो डी0 आई0 जी0 हैं, ने 3 करोड़ के घपले का मामला था इसकी जांच भी रोक दिया और कहा कि लखनऊ में आकर मुझसे मिलो। मान्यवर, 28-2-86 को जो माननीय मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव हैं उन्होंने एक आदेश दिया कलेक्टर कानपुर को, श्री मनजीत सिंह ने कि आप इस पर जांच रुकवा दीजिये और इसकी जांच किसी विभागीय अधिकारी से करायें, बिजिलेंस से इसको लेकर जांच को शीघ्र समाप्त कर दें। मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है, करीब एक अरब रुपये का घपला है। मान्यवर, जो डी0 एस0 पी0 की अन्तरिम रिपोर्ट है उसको मंगाकर देखिये या सदन के पटल पर रखवा दें और जो यहां से आदेश गया मनजीत सिंह का वह किन परिस्थितियों में गया इसको मान्यवर, देखिये। मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से भी, नेता सदन से और संसदीय कार्य राज्य मंत्री से कि इस समस्या पर सारी कार्यवाही रोककर, आप अगर भ्रष्टाचार को मिटाने में सही मायने में रुचि रखते हैं तो बहस कराइयें। इसको सदन के संज्ञान में लावें ताकि इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम और आप दोनों पक्ष के लोग मिलकर लड़ाई लड़ सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

(श्री गौरी शंकर भइया, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा डा0 बंगाली सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)।

श्री उपाध्यक्ष–

डा0 बंगाली सिंह जी, आपका तो मामला पार्लियामेन्ट का है, यहां क्यों उठा रहे हो? राम गोविन्द जी आप बैठें।

* श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, कानपुर सहकारी समिति के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं वह कांग्रेस के एम0 पी0 हैं। उन्होंने पहले अरुण सिंह मुन्ना पर दबाव डाला जब नहीं बन पाया तो माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव डाला। यह कहा जाता है कि 10 हजार रुपये इन बुनकरों से इकट्ठा किया है कि सचिवालय स्तर पर जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने आदेश किया है उनको दिया जाय। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी जो बुनकर की सोसाइटियां हैं यह कहा गया कि इसमें काफी फर्जी हैं एक बात मान्यवर, जरूर है कि जो बुनकर हैं उनको सरकार सहायता देती है ताकि वे अपने पैर पर खड़े हो सकें, यह बड़ा गरीब तबका है उसमें यह भी देखना है कि उनका शोषण न हो सके, उनके साथ कोई अन्याय न हो सके। लेकिन जो लोग जानबूझकर गल्ती करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ऐसे किसी आदमी को मौका नहीं दिया जायेगा और किसी को गलत काम करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। जो जांच हो रही है, अगर कोई बात साबित होती है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

विजीलेंस से किन परिस्थितियों में जांच वापस ली गई ? वे कौन से कारण थे ? विजीलेंस का अधिकारी जांच कर रहा था, उसने रिपोर्ट भी दी होगी। यूपिका जैसी संस्थायें इसमें इन्वाल्व हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इसका जवाब नहीं आया कि विजीलेंस से वापस लेकर विभागीय जांच क्यों करवा रहे हैं?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

सब लोग एक साथ बोलेंगे क्या? राम गोविन्द जी, आप बैठ जायं। सब लोग बैठ जायं। (व्यवधान)। बंगाली सिंह जी, आप बैठ जायं। आपका तो जाली नोटों का मामला है। वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है। बैठ जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने और माननीय गौरी शंकर भइया ने कहा और मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उनको बख्शा नहीं जायेगा। तिवारी जी ने कहा कि विजीलेंस से जो जांच चल रही थी उसको वापस कर लिया गया। उसमें 1 अरब रुपये का मामला है और मुख्य मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार बयान दिया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो मैं मान्यवर, यह निवेदन करूंगा कि जो विजीलेंस की जांच चल रही थी, उसी में इस मामले की जांच करेंगे, तो अच्छा होगा, इस संबंध में आप आश्वासन दें?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विजीलेंस की जांच चल रही है और चलेगी। उसको रोका नहीं जायेगा।

(व्यवधान)। (श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जायं। बंगाली सिंह जी आप बैठें।

डाक्टर बंगाली सिंह–

आप एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर घटना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे समाज के अन्दर नारी वर्ग के ऊपर वैसे ही बहुत अत्याचार होते हैं। अशिक्षा, बाल-विवाह, दहेज प्रथा और गरीबी की हालत में नारी के ऊपर और भी अत्याचार होते हैं। मान्यवर, जिन लोगों के ऊपर इनकी रक्षा की जिम्मेदारी है वही इनके साथ अत्याचार करेंगे तो यह गंभीर विषय बन जाता है। श्रीमन्, गाजियाबाद दादरी के अन्तर्गत नाबालिक लड़कियों का अवैध धन्धा जोरों पर चला हुआ है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में दरभंगे से एक लड़की लाई गई जो वहीद नामक व्यक्ति के यहां पकड़ी गई।

उसने गौतम और सारस्वत नामक दरोगा के साथ मिलकर उसे नजदीक के एक गांव में बेच दिया। जब यह बात मोहल्ले वालों को मालूम हुआ तो उस लड़की को साढ़े सात हजार रुपये देकर वापस लाया गया और उसका डाक्टरी इलाज करवाया। जब पुलिस वालों को यह बात पता चली तो पुलिस ने डाक्टर की दुकान में इन्टरवीन किया और लड़की को अपने साथ ले लिया और जो डाक्टर इलाज कर रहा था उसको उल्टा बन्द कर दिया। इस मामले से दादरी के आस पास जितने गांव हैं उनमें रोष फैल गया। उन्होंने इसके खिलाफ थाने में प्रदर्शन किया तो उस डाक्टर और कम्पाउन्डर को छोड़ा। मान्यवर, इस तरह से पुलिस के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही न उस लड़की को खरीदने वाले और न बेचने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है। मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर मसले पर आज सदन की शेष कार्यवाही को रोककर आप चर्चा की अनुमति दें।

* श्री राम सरन–

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं भी कहना चाहता हूं यह बहुत गम्भीर मामला है। जब पुलिस और कुछ गिरोह बन्द लोग लड़कियों का व्यापार करेंगे, पुलिस के संरक्षण में ऐसे काम होंगे और सरकार देखती रहेगी तो समाज का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। हमारे मंत्री लोग इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, हंस कर मजाक कर टाल देते हैं। इस पर गंभीर और कड़ा रुख अपनाकर आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराइये। यह बहुत अहम् मामला है। संसदीय कार्य मंत्री जी को तो मजा आ रहा है, वह हंसते रहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो सब के हैं लेकिन सबको थोड़े सुना जा सकता है (व्यवधान) रोज आते हैं, ऐसा कौन माननीय सदस्य है जिसका कार्यस्थगन न आता हो ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री विजय सिंह राणा–

सब के अलग अलग हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

सब के हैं, 27 प्रस्ताव आये हैं क्या सबको सुनना सम्भव है ? आप बता दीजिये।

श्री विजय सिंह राणा–

अगर मैरिट पर आता है तो दो-दो मिनट सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीतापुर जनपद की दो तहसीलें बिसवां और महमूदाबाद कुछ लहरपुर का इलाका है जहां पर लगभग 10 लाख आदमी निवास करते हैं। वह बहुत पिछड़ा इलाका है और वहां के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है सड़ा हुआ पानी पीने को मिलता है थोड़ी सी वर्षा में कुओं का पानी ऊपर निकल आता है, वहां पर भुखमरी और बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जब सिंचाई मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर में सीपेज की समस्या के हल के लिए योजना विश्व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैंक को भेजी है। वहां से पैसा मिलने के बाद इस समया का निराकरण हो जायेगा। मान्यवर, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है जिसका एक वर्ष बीत भी गया है लेकिन बाराबंकी, सीतापुर की सीपेज की समस्या के हल के नाम पर एक पैसा नहीं रखा गया है, कोई योजना उसके लिए नहीं है। इससे पीड़ित होकर, मजबूर होकर 1 मार्च, 86 से वहां के लोगों ने पद-यात्रा शुरू की है शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। वहां से लोग यहां आ रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तो जगह-जगह पर थानों पर उनको रोका जा रहा है, बहुत से लोग इनके समर्थन में बसों में आ रहे थे उनकी बसों को परमिट नहीं दिया गया, जिनको पर-मिट मिले थे उनके परमिट कैंसिल कर दिये गये। रास्ते में उनके साथ अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे मूल अधिकारों का दमन हो रहा है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आप लाल बत्ती बुझा दें इससे मुझको डर लगता है।]

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

इससे गम्भीर मसला और क्या हो सकता है? विधान सभा के नजदीक दो फर्लांग तक दफा 144 लगा दी गयी है, जो परमानेंट तौर पर लगा दी गयी है, यह नियम विरुद्ध है, यह असंवैधानिक है इससे साबित है मुख्य मंत्री जनता से मिलना नहीं चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना नहीं चाहते हैं। उनकी यही मांग है कि वे बेरो-जगारी और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, समाधान हो। गांजर की समस्या का समाधान करने के लिए उनकी मांग है कि एक निगम कायम किया जाय जिसका वह ज्ञापन देना चाहते हैं। इसलिए इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं और उनके ज्ञापन को सरकार को देने के लिए आपके पास भेज रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद है कि कुछ घोषणा वह करेंगे। यह गांजर का इलाका है सीतापुर में जहां पर अभी तक लोग गंदा पानी पीते हैं साफ पानी उनको पीने के लिए नहीं मिलता है। मैं मौके पर गया था और एक विशाल जनसभा हुई थी उन्होंने बताया कि अभी तक शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। उस क्षेत्र में शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, खरीफ की फसल में एक दाना पैदा नहीं होता है क्योंकि वहां बाढ़ और सीपेज की जबरदस्त समस्या है। इसी सवाल को लेकर आज हजारों लोग लखनऊ में पैदल आये हैं। मान्यवर, जो आज क्षेत्रीय विषमता बढ़ती जा रही है उसके खतर-नाक परिणाम हो सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज उस क्षेत्र के लिये शिक्षा, सड़क, पीने के पानी और जानवरों के चारे के प्रबन्ध के सम्बन्ध में तात्कालिक कोई सहायता करने की मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे? यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक-एक गांव में 2-4 हैन्ड पाईप अवश्य लगवा दें जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। इसके साथ ही एक कमीशन नियुक्त करें जिससे उस क्षेत्र की जांच हो जाये यही मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है।

श्री गंगा स्वरूप भटनागर–

मान्यवर, अभी जो बातें कही गयीं उसमें श्री बुनियाद हुसैन के संबंध में कहना चाहता हूं कि यह वहां की हालत क्या जानें क्योंकि वहां जब तरक्की होनी शुरू हुई तब इनकी बुनियाद भी इस दुनिया में थी ही नहीं। तो यह क्या वहां की तरक्की के सम्बन्ध में जाने कि क्या कब हुआ ? मान्यवर, हमने उस क्षेत्र की तरक्की कब करना शुरू किया था तो वह क्या जाने। "पत्ता पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है। जाने तो जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है"

मान्यवर, आप जब कहते हैं कि हमारी यात्रा पद यात्रा है तो बसों की परमिट की क्या जरूरत लेने की थी? इनका तिकड़म इसी से जाहिर है मान्यवर, वहां से आदमी आये नहीं हैं बल्कि महोना, जो श्री भगौती सिंह का क्षेत्र है, वहां रिउसा में 200 आदमी इकट्ठे किये गये और श्री मुलायम सिंह यादव वहां गये थे तो उन्होंने कहा कि हाथ आप लोग उठायें कि चलना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह बात सही है कि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, कई नदियों के बीच में यह क्षेत्र आता है। कई नदियों के बीच में आने के कारण प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आती है, जलप्लावन की समस्या पैदा होती है और शारदा सहायक नहर से सीपेज की समस्या वहां है। इसके लिये प्रयास जारी है और गतवर्ष, दो वर्षों से वहां पर ड्रेनेज का काम हो रहा है, जैसे कि पहले भी कहा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना से इस वर्ष से मैंने इस योजना में 10 करोड़ रुपये रखा है कि जो सीपेज का काम होता है, नहर को पक्की करने का काम और जब तक वह पक्की नहीं करते हैं सीपेज नहीं रुक सकता है, इसलिये इस वर्ष से 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष इस पर खर्च के लिये रख रहे हैं। मान्यवर, ज्यादा रख देंगे तो एक महीने नहर बंद की जाती है और उसी महीने में काम हो सकता है इसलिये 10 करोड़ रुपये रखा गया है और हर वर्ष 10 करोड़ रुपये का काम होगा और जहां से नहर की शुरुआत होती है तो वहीं से काम शुरू हो रहा है। ड्रेनेज के लिये इस वर्ष पैसे की ज्यादा व्यवस्था किया है ताकि काम ज्यादा हो सके।

मान्यवर, जहां पीने के पानी की समस्या है–इंडिया मार्क-2 हैन्डपाईप लगाये जा रहे हैं और वहां भी लगाया जा रहा है और अब पानी ऊपर आ गया है किन्तु उतना अच्छा नहीं है इसलिये प्रयास होगा कि जहां पीने के पानी की समस्या है वहां इस प्रकार के हैन्डपाईप लगें ताकि यह समस्या हल हो सके। इससे काफी फायदा होगा और हो रहा है और भी जो समस्याएं हैं उनका फायदा है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प की आप घोषणा कर दें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

निगम की आप स्थापना कीजिए

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैं सुना दूं। (व्यवधान)

अगर खड़े रहियेगा तो लिखा नहीं जाएगा। यह जो आपका है, जिनमें मैंने कहा था कि दो आदमियों के नाम नहीं होने चाहिए, किन्तु वह बराबर हो रहा है। आज 4/5 ऐसी सूचनाएं हैं, जिनमें डबल नाम है। एक बाबू राम यादव का नाम है, उनका नाम मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी के मामले पर है और इटावा में लोकदल कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर भी है। उसी तरह दूसरी पारसनाथ यादव की सूचना है उनका नाम अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना पर है और दीपचन्द्र सोनकर वाली जौनपुर तहसील शाहगंज में चकबंदी में भ्रष्टाचार की सूचना पर भी है। तो इस तरह (व्यवधान)।

श्री रामनरेश–

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

जो आपने उत्तर प्रदेश में सी0आई0ए0 के जाल पर दिया है। आप उस पर यहां कुछ नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान) सभी को नहीं सुना जा सकता है। आप लोग बैठ जायं। सबकी बातों को एक दिन में नहीं सुना जा सकता है (व्यवधान)।

श्री रामनरेश–

मेरा सवाल बड़े लोक महत्व के प्रश्न का है, आप उसे देख लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जायं। अंचल जी आप बैठें। यह नहीं लिखा जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनरेश–

श्रीमन्, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं केवल आपका दो मिनट समय लूंगा। (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आपके इस रवैय्ये से सदन चल नहीं पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन तो चलेगा और सदन चल रहा है। (व्यवधान) आपको मुझ पर आक्षेप लगाने की आदत पड़ गई है। आपके नियमों से सदन नहीं चलेगा। पीठ के निर्णय को आपको मानना पड़ेगा। पीठ पर किसी का अधिकार नहीं है। उस पर किसी का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम नरेश–

यह बहुत ही लोक महत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा निर्णय हो गया है। मैं अपने निर्णय को नहीं बदलूंगा। मैं अपने निर्णय को रोज नहीं बदलूंगा। आप लोग आसन ग्रहण करें। मैंने राम नरेश जी को बुलवाया है।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है जो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह इस देश और प्रदेश के लिये बहुत चिन्ता का विषय बन गया है। अभी पता चला है 2-3 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश में सी0आई0ए0 का जाल फैल रहा है। अभी लखनऊ में 5 लोग पत्रकार बनकर आये।

श्री उपाध्यक्ष–

यह विषय यहां का नहीं है, यह केन्द्र का विषय है। इसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार करेगी। सी0आई0ए0 का मामला तो केन्द्र से संबंधित है, यहां पर कैसे उठायेंगे?

श्री राम नरेश–

मान्यवर, यहां की सरकार का इसमें हाथ है और प्रदेश की स्थिति खतरनाक होती चली जा रही है। प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ रही है उसमें सी0आई0ए0 के लोगों का हाथ है। सरकार जानबूझकर इधर ध्यान नहीं दे रही है। देश की सुरक्षा का सवाल इससे जुड़ा है। इसके महत्व को देखते हुये मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री शारदा नंद अंचल–

मान्यवर, मुझे सुन लें। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। जिसमें दो दस्तखत हो गये हैं उसको मैं एलाउ नहीं करूंगा। (शोर)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–
का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शारदा नंद अंचल–

मान्यवर, बलिया में स्थिति बिगड़ती जा रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। मैंने मा0 देवेन्द्र कुमार सिंह को बुलाया है।

श्री शारदा नंद अंचल–

मान्यवर, बलिया में कैशियर को लूट लिया गया। पुलिस प्रशासन ठप्प हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। बोलना है तो बोलते रहें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह नहीं लिखा जायगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने से व्यवधान)

श्री शारदा नंद अंचल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप रुक जायं, कोई कार्यवाही नहीं लिखी जा रही है। इन्हें बोलने दें। यह नहीं लिखा जायगा।

श्री शारदा नंद अंचल–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा। बोलने दीजिये, कब तक बोलेंगे?

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा। सदन नियमों के तहत ही चलेगा

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप अपने ही समय को बरबाद कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। इस संबंध में कई दिन पहले निर्णय लिया जा चुका है कि जिस किसी सूचना पर दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर एक साथ दो सूचनाओं पर होंगे, वह नहीं सुनी जायेगी। इसके बावजूद रोजाना ऐसे ही होगा तो कैसे काम चलेगा? मा0 देवेन्द्र कुमार सिंह, आप अपनी बात कहें।

(कुछ देर तक सदन में घोर व्यवधान होता रहा)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

अव्यवस्था में व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप जो बात करते हैं, वह हम लोगों को सुनाई नहीं देती है, इसकी सही व्यवस्था कराइए।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की जान व माल और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। मान्यवर, प्रदेश की जनता के प्रत्येक व्यक्ति की जान तथा माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार की है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के ललितपुर जनपद में पुलिस से जनता की सुरक्षा व्यवस्था बिलकुल समाप्त प्राय हो गयी है। पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही से आये दिन जनपद में हत्यायें हो रही हैं। दिनांक 24-2-86 को पिपरिया (पाली) में कुन्दन के परिवार पर हमलावरों ने कातिलाना हमला किया। उसमें कुन्दन की जान गयी और उसके 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र अर्जुन तथा दूसरे 24 वर्षीय पुत्र पारस की जान घटना-स्थल पर ही मारे जाने से चली गयी साथ ही उनकी पत्नी तथा 18 वर्षीय पुत्र ताहर गम्भीर रूप से घायल हुए। मान्यवर, इस कातिलाना हमले के बाद पूरे गांव में भगदड़ मच गयी। घटनास्थल से पुलिस गार्द केवल 200 मीटर की दूरी पर थी, परन्तु वह उनकी सुरक्षा के लिए नहीं आयी। मान्यवर, मृतक कुन्दनने और उसके भाई पन्ना लाल ने घटना के एक सप्ताह पूर्व एस0 पी0, ललितपुर और थानाधाक्ष, नाराहट को यह सूचना दी कि हमारी जान का खतरा है, हमारी जानमाल की सुरक्षा की जाय। इस हत्याकाण्ड की जानकारी थानाध्यक्ष को 8 साढ़े 8 बजे रात तक हो गयी थी और एफ0 आई0 आर0 लिखाने भी लोग गये, परन्तु थाने में थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। दूसरे दिन सुबह जब गांव वालों ने और वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया, तब एफ0 आई0 आर0 थाने में दर्ज की गयी। कुन्दन की लाश रात में नहीं मिली, बाकी मृतकों की लाश रात में मिल गयी थी, जबकि कुन्दन की लाश इन लाशों से 20 कदम की दूरी पर खेत में सुबह

पड़ी मिली। मान्यवर, पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण ही यह काण्ड हुआ। ललितपुर जनपद में पुलिस प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण आये दिन हत्यायें, डकैतियां और चोरियां हो रही हैं। वहां की जनता पुलिस से भयभीत और आतंकित है। वहां की पुलिस अवांछनीय तत्वों से सांठ-गांठ करके हत्याकाण्ड करवा रही है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करावें तथा वहां के पूरे पुलिस अधीक्षक को अविलम्ब स्थानान्तरित करके जनता के मन में जो भय व्याप्त है, उसे समाप्त करवायें। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

(घोर व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री शारदा प्रताप तथा अन्य कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने श्री मनोहर लाल की सूचना पर वक्तव्य के लिये कह दिया है। श्री कुशल पाल सिंह, श्री किरनपाल सिंह तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। कार्य-स्थगन के रूप में सभी अस्वीकार हैं।

(डाक्टर संजय सिंह के पुकारे जाने पर कई सदस्य एक साथ खड़े होकर पुनः बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैंने माननीय परिवहन मंत्री को पुकार लिया हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

सदन नियमों से चलेगा। आप सब बैठें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कल जब आप नियम-56 देखने लगें, तो शारदा नन्द अंचल जी के मामले पर भी विचार कर लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठें। राम गोविन्द जी आप बैठें। यह आपने घुड़साल समझ रखी है। हद हो गयी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ही बोलेंगे। और कोई बोलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आज जो पांच सूचनायें आपको लेनी थीं आपने ले लीं। कल जब आप लें तो इन पर भी विचार कर लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं, जो आचरण यह करते हैं क्या यह शोभनीय है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

हमारा शक है कि हम प्रश्न करें और आप प्रश्न का मौका दें . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियम 56 पर बोलना चाहते हैं, तो मैं नेताओं की बैठक फिर बुला लेता हूं उसमें यह तय हो जाए कि पूरे दिन सदन में नियम 56 पर बहस होगी, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

आप आगे बैठने वालों को समय दे देते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आगे बैठ जाएं नेताओं को पीछे कर दें।

(व्यवधान)

अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। आप लोग अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने शारदा नन्द अंचल को बुलाया, जब वह बोलने लगे तो आपने कह दिया नहीं लिखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने नहीं बुलाया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[ x x x ]

श्री उपाध्यक्ष–

जो कुछ आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों में और आप में बुनियादी फर्क इतना है कि आप ऊपर बैठते हैं और हम लोग नीचे बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अपने आप नहीं बैठा।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मेरी बात सुनने के बाद जवाब दें। मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को व्यवस्था का प्रश्न करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

पूरा अधिकार है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं कहने के लिये खड़ा होता हूं तो आप स्वयं सुनाने लगते हैं। आप सुनते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्या सुनूं?

**1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग**

*परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 29,27,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री शारदा नन्द अंचल सदन त्याग कर चले गये)

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, आज हमारा जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, आज के इस वर्तमान समय में जिस तरह से प्रगति की रूप-रेखा में यातायात बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रखता है। ऐसे समय में यदि

नोट: [ x x x ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें बहुत ज्यादा जनसंख्या में बहुत ज्यादा वाहनों की तादाद के साथ विकास करना है तो हमें अवश्यमेव यातायात के साधनों को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। मान्यवर, इसी माननीय सदन में पिछले बजट के समय कुछ बातों के बारे में विभाग की ओर से कुछ बातें कही गयी थीं। मैं इस समय उनमें से थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। जैसे कि एक सबसे बड़ा अहम फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को विकेन्द्रित किया जाय और विकेन्द्रीकरण की तरफ पल्लव कन्सल्टेंसी, मद्रास से सलाह ली गयी। उसका परिणाम निकला है और इसी बजट सत्र के शुरू में फर्स्ट पेज में इसको चार रीजन्स में एटानमस किया जायगा, जिसमें से दो पश्चिमी क्षेत्र में और 2 पूर्वी क्षेत्र में होंगे। इस बारे में बहुत सारे अखबारों की राय, बहुत सारे मा0 सदस्यों के पिछले बजट से लेकर आज तक जो सलाहें अपनी ओर से दीं, उन सारी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। दूसरे यह निश्चय किया गया था और मा0 सदस्यों ने यह बात कही थी कि टिकट प्रणाली बहुत गलत है, खराब है, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाई होती है और पैसे की हेराफेरी होती है। उस तरफ भी उसी कन्सल्ट एजेन्सी से सलाह लेकर फैसला लिया गया कि आगामी माह से जो नये चार रीजन्स हैं उनमें और नगरीय बस सेवा में नयी टिकट प्रणाली लागू कर दी जायगी। आपने देखा होगा कि निगम में जो बसों का बेड़ा है, उसकी तादाद में काफी बसों के रिप्लेसमेन्ट की आवश्यकता है। उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इस बारे में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष लगभग 1600 नयी बसें उसमें डालेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब 800 नयी बसें यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 में लायी गयी हैं और आगामी एक महीने में इसी मार्च में लगभग 1600 बसें हो जाएंगी। आगामी वर्ष में 1500 नयी बसें डालने की योजना है। इसमें हमारी प्रगति उत्साहवर्धक है। उस ओर हम ठीक से काम कर रहे हैं। मान्यवर, स्टाफ की मानीटरिंग की बात को मैंने स्वयं स्वीकार किया था कि इस निगम में बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं जिससे काफी खर्च पड़ रहा है। हम प्रयास करेंगे कि जैसा कहा था कि इस स्टाफ और बसों के रेशियो को घटाया जायेगा। मुझे खुशी है कि यह रेशियो अब (इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जयदीप सिंह बरार पीठासीन हुए।)

घटकर 8.92 हो गया है। इसमें कोशिश करके हमने 1133 कर्मचारियों को कम किया है और समझता हूं कि आगामी वर्ष भी इसी तरह से और घटा सकेंगे। मान्यवर, पिछले बजट सत्र में यह बात कही गयी थी कि अधिकारियों/कर्मचारियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी। मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी, 1985 से फरवरी, 1986 तक करीब 200 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदेश के बाहर विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजकर, प्रदेश में इसकी व्यवस्था नहीं है, उन्हें ट्रेन्ड कराया गया है।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हरिद्वार में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगने जा रहा है। जहां वहां बसों की व्यवस्था है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उसके अतिरिक्त 800 बसों को यहां हम लगा रहे हैं ताकि प्रदेश

के विभिन्न जिलों से आये यात्रियों को बसें तीर्थस्थल तक पहुंचा सके और उनके लिये सुविधा हो।

मान्यवर, एक घोषणा मैंने की थी कि इंडियन वाटर ट्रान्सपोर्ट जो भारत सरकार की तरफ से लागू हो रहा है, उसका कार्य प्रगति पर है। यू0 पी0 डेस्को की तरफ से सर्वे करके एक फाइनल रिपोर्ट भेज दी गयी है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इस पर कार्यवाही होगी। जोकि फर्स्ट फेज में पटना से इलाहाबाद और पटना से बनारस तक के लिये होगी। उसमें मैं समझता हूं कि यह विभाग उसमें प्रभावी कदम उठायेगा और उसमें जो भी भारत सरकार की नीति है, उसको ठीक से लागू करने में अपना सहयोग दे सकेगा। मान्यवर, नगरीय सेवा के बारे में पिछले सत्र में यह निवेदन किया गया था कि उसको सुदृढ़ किया जायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, देहरादून में—इन जगहों पर कुछ बसें लगायी गयी हैं और मुझे विश्वास है कि इससे यात्रियों को कुछ लाभ जरूर मिला होगा। मान्यवर, लखनऊ में उदाहरण के तौर पर 50 लाख यात्री ज्यादा ढोये हैं। यहां पर जोकि नगरीय सीमा पहले 12 कि0मी0 थी, उसे बढ़ाकर 20 कि0मी0 किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि टिकटों की जो दिक्कत थी, उसे 50 पैसे के गुणांक में राउंडडे किया गया है। मैं समझता हूं कि जो नयी टिकट प्रणाली लागू करने जा रहे हैं मार्च, 20 से इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे यात्रियों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मान्यवर, अभी तक जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं समस्त वाहनों के मालिकों से, वह कई जगह से होता है। मान्यवर, इसमें जो सिस्टम है, उसको भी हम आसान करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही हम उसके बारे में फैसला ले लेंगे। जिससे कि लोगों को जो तमाम जगह जाना पड़ता है, उसमें आसानी होगी। मान्यवर, एक बात यह भी कही जाती है कि जो टेक्नीकल साइड है, उसमें बहुत बड़े घपले हैं और बहुत सारी अव्यवस्थायें हैं। मान्यवर, इस बाबत भी हम फैसला लेने जा रहे हैं। एक आटोनामस रीजन बनेगा कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप। मान्यवर, हम आटोनोमी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी कार्यशाला है, उसमें औजारों के रखरखाव की उचित व्यवस्था रहेगी ट्रेन्ड कर्मचारी हम रखेंगे। मानिटरिंग सिस्टम को भी सुदृढ़ करने की हमारी योजना है। जिससे कि जो खराब इन्तजाम है, वह सब काफी ठीक हो सकेंगे। मान्यवर, उससे चोरी भी घटेगी और काम में भी तेजी आयेगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्तर्गत जो कर वसूली है, उसमें स्थिति यह है कि पिछले साल में इसके अन्तर्गत 120 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर इस वर्ष 150 करोड़ रु0 किया गया है। मान्यवर, करीब 14.17 प्रतिशत अधिक कर वसूली इस तरह से हम कर सकेंगे। मान्यवर, प्रवर्तन कार्य में भी विकास हुआ है। जनवरी, 1985 तक चालान हुए थे 90,921, जनवरी, 1986 तक चालान हुए 96,700, उस हिसाब से जो वसूली की गयी कर राशि है वह है 1,47,48,057.35 और जनवरी, 1986 तक 1,42,23,470.41 धनराशि वसूल की गयी। जनवरी, 1985 तक शमन वादों की संख्या 50,040

थीं, जो जनवरी, 1986 तक घटकर 47,050 हो गयी है। जनवरी, 1985 तक शमन शुल्क के रूप में रु0 1,06,85,105 की वसूली हुई जो जनवरी, 1986 तक बढ़कर रु0 1,17,69,662 हो गयी। न्यायालय में जनवरी, 1985 तक निस्तारित वादों की संख्या 25,625 थी जो जनवरी, 1986 में घटकर 24,231 हो गई। इस पर आप देखें तो हम काफी प्रगति पर हैं। हमारे यहां विभाग के कार्यालयों की कमी थी, इस वर्ष हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, देवरिया, गाजीपुर एवं मैनपुरी में सहायक सम्भागीय अधिकारियों (प्रशासन) के कार्यालयों की स्थापना हो जायेगी। इस तरह से मैं समझता हूं कि पहाड़ के 3-4 जिलों को छोड़कर आगामी सत्र तक हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा, जहां हमारे कार्यालय नहीं होंगे। 4 नये प्रवर्तन दल बाराबंकी, हमीरपुर, ललितपुर एवं बिछिया (वाराणसी) में स्थापित किये गये हैं।

मान्यवर, हम नये चेक-पोस्ट भी खोल रहे हैं। दिल्ली–गाजियाबाद रूट पर महराजपुर, भोजपुरा, भोयापुर एवं इन्द्रपुर में 4 चैक पोस्टों की स्थापना की गयी है। जो आज हमारे वाहनों की तादाद है, उनकी मानीटरिंग हो सके और उन पर कन्ट्रोल हो सके, इसके लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। 6 महीने में सारे वाहनों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का काम कम्प्यूटर के माध्यम से हो सकेगा। विभागीय विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत चालकों एवं परिचालकों को सम्भागीय अधिकारी द्वारा जो ड्राइविंग लाइसेन्स दिये जाते थे, अब इस वर्ष यह अधिकारी सहायक सम्भागीय निरीक्षक को भी दे दिया गया है। पहले प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी को गाड़ियों के पंजीयन का अधिकार था, लेकिन अब यह अधिकार सहायक सम्भागीय निरीक्षकों को भी दे दिया गया है, जिससे बहुत आसानी होगी।

मान्यवर, विभागीय सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 50 नये पद सहायक सम्भागीय निरीक्षकों के सृजित किये गये हैं। विभाग की तरफ से पहले कुछ गैराजों की व्यवस्था थी, लेकिन अब हमने इसे 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी में बांट दिया है। गैराज 'ए' के लिए प्रतिभूति 25 हजार रुपये की है, गैराज 'बी' के लिये प्रतिभूति 15 हजार रुपये की है और गैराज 'सी' के लिए प्रतिभूति 5 हजार रुपये की है। ये भी अपने माध्यम से फिटनेस दे सकते हैं।

मान्यवर, अभी तक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण में कोई भी हमारा गैर सरकारी आदमी का प्रतिनिधित्व नहीं होता था लेकिन अब यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण में दो गैर सरकारी सदस्य नामित किये जायेंगे। ताकि जो तमाम शिकायतें आती हैं और घपले होते हैं, उन पर रोक लग सके।

मान्यवर, माल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट के बारे में भी अभी आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा। भारत सरकार ने इसके लिए बड़ा उदार रुख अपनाया है। जो आज तक इसका परमिट लेना पड़ता था, उसमें बहुत शिथिलीकरण किया गया है। प्रत्येक राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश को कर के रूप में 2000 रुपये और 1000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जमा करने पर परमिट आसानी से मिल जायेगा।

मान्यवर, दिल्ली-उत्तर प्रदेश परिवहन समझौता जो 1957 में हुआ था और कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर भी किया था। दिनांक 13-12-1985 को यह फैसला हो गया है कि दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली टैक्सियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी।

सप्तम पंचवर्षीय योजना में प्रवर्तन दल, सम्भागीय कार्यालयों की स्थापना, नयी चैक पोस्ट, लीगल सैल और तकनीकी अधिकारियों के पदों के सृजन के लिए 4 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, ताकि विभाग और चुस्ती से काम कर सके। और इस प्रदेश में वाहनों के संचालन में मदद कर सकेगा।

जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको और ज्यादा सिम्प्लीफाई करने का विचार लोग कर रहे हैं, जिससे जो असुविधायें होती हैं लोगों को टैक्स पेमेन्ट करने में, इसके बारे में रैशनालाइज करने का इसको आसान करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अभी तक जो दुर्घटना में 20 हजार रु0 प्रति मृतक के हिसाब से आर्थिक सहायता दे रहे थे, उसमें 5 हजार रु0 और बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश की जनता जो एक्सीडेंट में मौत की तरफ जाती है, उसके परिवार को और भी आर्थिक मदद हो सकेगी।

परिवहन निगम, जिस तरह से अपने वायदे हमने किये थे, इसको मजबूत बनाने में, विकेन्द्रीकरण के लिये, उसमें बहुत कठोर कदम उठा रहे हैं और हम समझते हैं कि जल्द ही और भी परिणाम आने लगेंगे।

वर्ष 1985-86 में अप्रैल, 1985 से जनवरी, 86 तक 133.35 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी जो वर्ष 1984-85 के इसी अवधि की तुलना में 17.21 करोड़ रुपये अधिक है।

वर्ष 1985-86 में अप्रैल, 85 से जनवरी, 86 तक की अवधि में 36.98 करोड़ कि0मी0 अर्जित किया गया जो पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.39 करोड़ कि0मी0 अधिक रहा।

वर्ष 1985-86 के प्रथम दस मासों में 32.32 करोड़ यात्रियों ने निगम की सेवाओं से यात्रा लाभ किया जो पूर्व वर्ष की तुलना में 3.06 करोड़ अधिक है। ज्ञातव्य है कि जनवरी, 86 के द्वितीय पक्ष से कानपुर क्षेत्र का संचालन पूर्णतया बन्द हो गया था जिससे परिचालन प्रतिफल उस सीमा तक बेहतर नहीं हो सके जितने अनुमानित थे, उसमें शिथिलता आयी, अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं।

बसों के प्रतिदिन उपयोग में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। अप्रैल, 85 से जनवरी, 86 तक 214 कि0मी0 प्रति बस प्रतिदिन अर्जित किया गया जो पूर्व वर्ष इसी अवधि में 203 कि0मी0 प्रति बस प्रति दिन से आगे नहीं बढ़ सका था। इस प्रकार 11 कि0मी0 प्रति बस प्रति दिन का उपयोग आलोच्य अवधि में पूर्व वर्ष की तुलना में बढ़ा।

ईंधन के संबंध में बताना चाहूंगा कि जनवरी, 1985 के 4.15 कि0मी0 प्रति लीटर की तुलना में जनवरी, 1986 में माध्य बढ़कर 4.25 कि0मी0 प्रति लीटर तक आ गया है।

बसों एवं मार्गों का पुनर्निर्धारण एवं रिशैड्यूलिंग की जा रही है ताकि एक बस अधिक से अधिक ट्रिप कर सके एवं उसके द्वारा अर्जित कि0मी0 में वृद्धि हो।

क्षेत्रीय स्तर पर समय-सारिणी तैयार करायी जा रही है। इस संबंध में तमाम माननीय सदस्यों से लिखकर मिलता है, माननीय

सदन में भी बातें कही जाती हैं । इसलिए बस स्टेशनों पर कुछ व्यवस्थायें की गई हैं। प्रत्येक स्टेशन पर किराया सूची एवं समय सारिणी का अंकन कराया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है ।

जो पूछताछ विण्डों होती है "इन्क्वायरी काउण्टर" होता है, जिस पर माननीय सदस्यों ने कहा कि व्यवहार कम अच्छा होता है, उस पर भी विशेष बल दे रहे हैं । बसों, बस स्टेशनों एवं कार्यशालाओं की सफाई पर भी विशेष बल दिया जा रहा है । निर्णय किया गया है कि 6 महीने में पहले "कवल" टाउन्स में यह व्यवस्था सुदृढ़ की जाय ।

प्रशिक्षण व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है । निगम के 87 अधिकारियों को वर्ष 1985-86 के प्रथम 10 मासों में देश के प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित कराया गया है । इसके अतिरिक्त 108 प्रबन्ध प्रशिक्षार्थियों को नियुक्त कर सी0 आई0 आर0 टी0 पुणे, टेल्को, पल्लवन तथा महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट में प्रशिक्षित कराया गया है । आपने भी महसूस किया होगा कि इसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं, लेकिन हम अभी इससे संतुष्ट नहीं हैं, और भी ज्यादा करने का प्रयास है ।

जिन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन क्षेत्रों में से उनको ऐसे क्षेत्रों में, जहां स्टाफ की कमी है, स्थानान्तरण करने की व्यवस्था की गयी है ताकि आवश्यकता के अनुरूप सामन्जस्य हो सके ।

मान्यवर, इस निगम में पहले छोटे-छोटे खिलाड़ी खेलों में भाग लेते थे । उनको कुछ और सहूलियतें दी गयीं और उसका सुदृढ़ीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप परिवहन निगम की हाकी एवं टेबिल टेनिस टीमों ने अखिल भारतीय परिवहन निगमों की प्रतियोगिताओं में विजय हासिल की है और प्रथम स्थान ग्रहण किया है ।

नगरीय बस सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप इन सेवाओं से पूर्व की तुलना में बेहतर परिचालन प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं ।

लखनऊ क्षेत्र में ही वर्ष 84-85 में (अप्रैल से फरवरी तक) 25.75 लाख कि0 मी0 की तुलना में 85-86 (अप्रैल से फरवरी तक) 31.33 लाख कि0मी0 अर्जित किया गया । पूर्व वर्ष की तुलना में 5.58 लाख कि0मी0 जो कि लगभग 22 प्रतिशत होता है, की इस क्षेत्र में काफी वृद्धि अंकित की गयी ।

यात्रियों की संख्या में भी इस क्षेत्र में काफी वृद्धि अंकित की गई है वर्ष 1984-85 के अप्रैल से फरवरी माह में केवल 68.90 लाख यात्रियों ने लखनऊ क्षेत्र की नगरीय सेवाओं से यात्रा लाभ किया था जबकि वर्ष 1985-86 के अप्रैल से फरवरी तक 113.74 लाख यात्रियों ने लखनऊ क्षेत्र की नगरीय बस सेवाओं से यात्रा किया। यात्रियों की संख्या में इस प्रकार से 11 महीने में 44.84 लाख यात्रियों की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, कानपुर एवं वाराणसी नगरों के प्रतिफल पूर्व की तुलना में बेहतर प्राप्त हुए हैं ।

अभी तक वर्कशाप में आफ रोड बसों की संख्या ज्यादा होती थी उसको घटाने के लिए टाटा और लीलैण्ड के इंजीनियर्स की सेवायें क्रेश प्रोग्राम के जरिये शुरू की हैं। जनवरी, 1985 में 73 प्रतिशत बसें आन-रोड थीं जो कि अब जनवरी, 1986 में बढ़कर 81 प्रतिशत तक हो गयी हैं ।

टायरों की उचित देखभाल के लिए भी समुचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं । टायरों

की लम्बी आयु के लिए समय से टायर उतार कर उनकी रिट्रीडिंग एवं वल्कनाजिंग कर जीर्णोद्धार किये गये टायरों के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे एक ओर नये टायर क्रय करने की संख्या में कमी की सम्भावना साकार हो सकेगी तथा दूसरी ओर टायरों के पुनर्चारण के पश्चात् टायरों के उपयोग से कम धन का व्यय भी सम्भव होगा। बरेली क्षेत्र में एक नये टायर रिट्रीडिंग शाप की स्थापना कर दी गयी है तथा पूर्वी जोन में भी एक टायर रिट्रीडिंग शाप खोलने की व्यवस्था की जा रही है ।

इस तरह से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम जो सेवा कर रहा है उसके परिणाम मिल रहे हैं और उसमें आपके सुझाव हमारा सम्बल हैं । जो विधायक अपने सुझाव हमें लिखता है उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं और मानीटियरिंग द्वारा उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । अभी तक बच्चों को बस द्वारा ले जाने की व्यवस्था नहीं थी । अब इसके लिए भी इलाहाबाद, देहरादून, वाराणसी आदि में बच्चों को ले जाने के लिए बस की व्यवस्था कर दी गई है ।

अभी तक जो बस की बाडी बनती थी वह लोहे की हुआ करती थी अब हम बसों की बाडी अलमुनियम की बना रहे हैं और फैजाबाद, टनकपुर और वाराणसी में ऐसी बसों का संचालन प्रारम्भ हुआ है । इस टेकनीक की व्यवस्था हम कानपुर के वर्कशाप में भी कर रहे हैं । इससे लाभ यह होगा कि जैसे पहले एक बस 64 लाख कि0 मी0 के बाद बनने के लिए आती थी तो इससे अब उसकी दो या ढाई लाख कि0मी0 की लाइफ और बढ़ जायेगी और वह ज्यादा चल सकेगी। हमारी कोशिश है कि परिवहन निगम अच्छी तरह से सेवा कर सके और मैं समझता हूं कि इसी तरह से इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अगर लगन से कार्य करेंगे तो परिणाम जरूर अच्छे रूप में सामने आयेंगे और निरन्तर आपके सुझाव हमको मिलते रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि आप इस बजट को पारित करें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना और इसे पुलिस के भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है ।

मान्यवर, यह परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सीधा संबंध प्रदेश के जन-जीवन से है । इसका सीधा संबंध प्रदेश की आर्थिक स्थिति से है । लेकिन मान्यवर, अगर इस विभाग को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि इस विभाग में लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है और राजतंत्र पूरी तरह से छा गया है । और 38 वर्षों से अब तक कोई प्रगतिशील श्रम नीति नहीं बनी है, जिससे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और उनका हित हो, सिवाय इसके कि उत्पीड़न और शोषण बढ़ा है और कोई फायदा नहीं हुआ है, मिसाल के तौर पर मुख्यालय ट्रेड यूनियन के लोग जब अपनी मांग लेकर माननीय मंत्री जी के पास गये, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है । माननीय मंत्री जी उस ट्रेड यूनियन को कुचलने के अलावा लोकतंत्रीय मांगों को कभी नहीं सोचा और परिणाम यह हुआ कि उनको निलम्बित कर दिया गया, 11 लोगों को निलम्बित कर दिया गया तथा बिना जांच की कार्यवाही किए उन्हें पदच्युत कर दिया गया और जब उन्होंने हाई कोर्ट से अपनी बहाली का स्टे आर्डर ले आये तो माननीय मंत्री जी ने उन लोगों

के विरुद्ध फाटकबन्दी कर दिया और अन्दर जाने से मना कर दिया। इससे बड़ी तानाशाही की मिसाल नहीं मिल सकती है और लोक तंत्र का मूल्य समाप्त हो गया है। कर्मचारी परिषद् के लोग जाते हैं तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनसे लड़कर कुछ नहीं पायेंगे, मैं मंत्री के साथ-साथ राजा भी हूं, पहले मान्यवर, केवल राजा होता था जिसको अधिकार होता था और इनको तो राजा के भी अधिकार हैं और मंत्री के भी अधिकार हैं। दोनों अधिकार हैं। इन्होंने तो हिटलर और मुसोलनी को भी मात कर दिया है। अब मैं मान्यवर, आता हूं दूसरी बात पर मान्यवर, यह 1948 में विभाग बना था और इसके बनने के बाद जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो 45 प्रतिशत सड़कें रोडवेज की बसों से आच्छादित हो गयीं और मान्यवर, 1972 में इनका निगम बना तो केवल 20 प्रतिशत सड़कें इनकी बसों से आच्छादित थीं, 25 प्रतिशत की कमी हुई, एक तो यह बात है, दूसरी बात यह है कि 80 प्रतिशत प्राइवेट बसें चल रही हैं और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि माननीय मंत्री जी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यवर, जब यह विभाग शुरू हुआ था तो 33 करोड़ की पूंजी लगायी गयी थी और आज यह पूंजी 133 करोड़ रुपये हो गयी है, तीन गुनी बढ़ गयी है और मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 45 करोड़ से इस समय घटकर 35 करोड़ रह गया है तो यह बीच का पैसा कहां चला गया। घाटा बढ़ता गया मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने केवल घाटे की बात जो की है वह केवल निगम की ही कही है, जो 15 करोड़ 66 लाख का है, इसमें मुख्यालय का घाटा, एलन फारेस्ट केंद्रीय कार्यशाला का घाटा नहीं जोड़ा गया है, नहीं तो यह घाटा 50 करोड़ रुपया पहुंच जाता। इसके साथ ही साथ इनके कारखाने बढ़े हैं, यह कहते हैं कि कारखाने बढ़ रहे हैं, लेकिन आफ रोड बसों की संख्या बढ़ रही है, तो जब यह कारखाने बढ़ रहे हैं तो खराब बसों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इन कारखानों में क्या होता है। इनका जो निगम में समान खरीदने का मामला है, 5 करोड़ रुपये के सामान की आवश्यकता है, लेकिन मान्यवर, मंत्री जी कमीशन लेने के लिये 12 करोड़ रुपये से ज्यादा सामान खरीदवा लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इतना ही नहीं अगर आप देखें सामान, ओवर स्टाफिंग हो या अन्डर स्टाफिंग हो, जो मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा, है। तो इस तरह से मान्यवर, 12 करोड़ रुपये का सामान इन्होंने कमीशन के जरियें से खरीदा है। मान्यवर यह कह रहे हैं कि वर्क लोड बढ़ रहा है जब यह सामान नहीं देंगे, जब ये बसों की मरम्मत नहीं करायेंगे तो खराब बसों की संख्या बढ़ेगी। इस समय 90 प्रतिशत इनका वर्क लोड बढ़ रहा है, जब इनकी बसें खराब है तो वर्क लोड बढ़ेगा ही। जिन बसों का निर्माण करा रहे हैं वह आउट डेटेड बसें हैं। मान्यवर, जो लागत लग रही है उससे बसें 2 लाख 80 हजार कि0 मी0 चलनी चाहिए उसके बाद ओवर हालिंग होनी चाहिए लेकिन यह 6 लाख 5 लाख कि0 मी0 चलते हैं बिलकुल ढंक्चर फंक्चर बसें चलती हैं जिससे यात्री सुरक्षित नहीं है।

मान्यवर, इन्होंने आकड़े पेश किये हैं मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी

ने अपने आकड़ों में पूरी कलाकारी दिखाई है। अपनी 1978-79 की महालेखाकार की रिपोर्ट देखिये .01 करोड़ का घाटा है वहां पर .01 करोड़ का फायदा दिखाया है यह आप देखें इसके साथ-साथ बीमा की जो आपकी लक्षित धनराशि है वह 11 लाख 19 हजार 458 है और शासन के अनुसार 12 लाख 27 हजार 340 है तो आप यह बतायें कि जो अन्तर है यह कहां आपने हेराफेरी कर दिया है। इस वक्त इनके बसों की संख्या जो उपयोग में लाई जा रही है 75 परसेंट है और 25 परसेंट बसों का कोई पता नहीं है, उन बसों से स्मगलिंग हो रही है या नैपाल से धन्धा करा रहे हैं। यह मान्यवर, माननीय मंत्री जी जानें। मान्यवर, बस चलाने का औसत 250 कि0 मी0 प्रति बस होना चाहिए लेकिन 204 कि0 मी0 औसत रह गया है तो आपके निगम घाटे में नहीं जायेंगे तो और क्या होगा। मान्यवर, इस पर भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी घाटे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कहिये तो मैं बता दूं।

एक सदस्य–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

आपको लास कभी नहीं हुआ है जब आपके विभाग में कमल टावरी थे तब उन्होंने कुछ कार्य किया लेकिन अब उस तरह की सख्ती आप भी बरतें तो जैसा विभाग के लोगों ने उसको मारा है वैसे ही विभाग के लोग आपको भी मार सकते हैं। मान्यवर, बसों की परिचालित संख्या 6 हजार कुछ है जिसमें से 4 हजार कुछ चल रही है और 2 हजार कुछ खराब है आपकी बसें। इस तरह से आपकी केवल 4 हजार 362 बसें ही चल रहीं हैं, बाकी बसें खराब पड़ी हुई हैं।

मान्यवर, जब आप यू0 पी0 डी0 एफ0 में थे तो आपके निदेशक मि0 के0 एस0 वर्मा साहब थे।

लेकिन जब आपने यह विभाग संभाला तो के0 एस0 वर्मा को फिर इस विभाग में ले आये। इससे साफ जाहिर है कि वह आपके निहित स्वार्थ सिद्धी का एक साधन हैं आप उनके परम भक्त हैं। आप इन के0 एस0 वर्मा के कमरे में चले जायें। 20–20 हजार रुपये के दो फ्रीज रखे हैं और 15-15 हजार रुपये के 7 एयर कंडीशनर खरीदे गये हैं। यही नहीं आपने प्रचार के लिये 1985-86 के पूरे साल के लिये 40 हजार रुपया लिया था जो कि आपने 30-9-85 को ही खर्च कर दिया। और 40 हजार रुपये के बजाय 5 लाख रुपये खर्च कर दिये। इसका जो ठेका दिया है वह आपने संयुक्त निदेशक केशव वर्मा के भाई जो गुजरात से आये हैं उनको दिया है। 40 हजार रुपये के बजाय 5 लाख रुपये खर्च कर दिये। इससे जाहिर होता है कि निश्चित रूप से इसमें आपका कमीशन बंधा है।

गाड़ियों के दुरुपयोग के बारे में कहना चाहता हूं। आपके पास चार स्टाफ कारें हैं। दो टी0 आई0 आप इसलिये रखते हैं ताकि आप उनका व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल कर सकें जो फर्जी टूर दिखाते हैं। तो इससे आपको घाटा नहीं होगा तो क्या होगा। आपके यहां जो 180 अधिकारी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो भारत भ्रमण के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। आपने उनका कोई बांड नहीं भरवाया है कि वे कितने साल नौकरी करेंगे।

जिसकी वजह से आपके 20 ऐसे अधिकारी इस्तीफा देकर चले गये और अभी भी उन पर प्रति माह 2 लाख 70 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं। यह अनावश्यक खर्च हो रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं सन् 1974 में कांग्रेस (आई) के उत्तर प्रदेश के महामंत्री के ऊपर 45 लाख रुपया बकाया है जिसको अभी तक वसूल नहीं किया गया है। घाटा नहीं होगा तो क्या होगा।

आपके यहां जो आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अफसर डेपुटेशन पर पर आते हैं वे आपके यहां से हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया कर्जे के रूप में ले लेते हैं और जब आपके यहां से जाते हैं तो जो लास्ट पे सर्टीफिकेट उनको आप देते हैं उसमें इस कर्जे को मेंशन नहीं करते हैं। लिहाजा वह कर्जा बट्टे खाते में चला जाता है, डूब जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप ऐसे लोगों के लास्ट पे सर्टीफिकेट में यह इन्ट्री जरूर कर दें ताकि जो कर्जा उनके ऊपर हो वह वसूल किया जा सके। बसों की नीलामी के बारे में कहना चाहता हूं। आपके हर डिपो में 30-30 हजार रुपये में बसों की नीलामी गुन्डा-गर्दी के बल पर होती है और जब वह खरीद ली जाती है तो बड़े सेठों के हाथ 90-90 हजार रुपये में बेच दी जाती है। उसके बाद वह बसों की डेन्टिंग-पेन्टिंग कराकर निहित स्वार्थों में आकर उन्हें निगम से अनुबन्धित करा लेते हैं। आपकी निगम की बसों का जो मानक है वह है 250 किलोमीटर और जो अनुबंधित बसों के लिये है वह है 300 और 400 किलोमीटर, जिसकी वजह से आपकी बसें घाटे में जाती हैं। जबकि आपकी बसों को अच्छे मार्ग भी दिये जाते हैं फिर भी अनुबंधित बसों को फायदा होता है और आप घाटे में रहते हैं।

इसके अतिरिक्त आपके यहां जो कैंटीन की नीलामी होती है उसका पैसा आप बजट में नहीं दिखाते। इसी तरह से तार, अल्मूनियम और ड्रम आदि जो भी सामान होता है, उसको भी आप बजट में नहीं दिखाते हैं जिसे आपके अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं। लिहाजा यह आपको घाटे का कारण बनता है। आपने इस साल 1070 बसों को खरीदा जिसमें 535 की आपकी बाडी नहीं बन पायी और जिन बसों की बाडी नहीं बन पायी वे सब केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में पड़े-पड़े बरबाद हो गईं आपने बसों को कर्जा लेकर खरीदा है और एक बस पर प्रतिमाह 2 हजार रु0 ब्याज आता है अब जो आपकी 1070 बसें हैं उनका ब्याज आप देखिये कि 25 लाख से ज्यादा होगा। तो घाटे के कारण यह सब बन जाते हैं।

मान्यवर, आपकी केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर में पहले 90 बसें तैयार होती थीं लेकिन अब वह घटकर 45 रह गयी हैं। आपने दुनिया भर की फौज कर्मचारियों की बना दी है। पहले जहां कर्मचारी 90 बसें बनाते थे वहीं अब 45 बनाते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रोडक्शन घट रहा है।

पिछले वर्ष जो आपने श्रमिक कल्याण के लिए 85-86 में 2 लाख 22 हजार रु0 दिया था जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के लिए था उसको आपने अवध क्लार्क में कुछ खिलाड़ियों को खिलाकर खतम कर दिया। जो आपके डेलीवेजेज के कर्मचारी हैं उनका यह रुपया था उनको काम करते करते बीसियों साल हो गये उनको परमानेंट करने की बात नहीं सोची और उनकी मजदूरी का जो रेट 10, 15 रुपया

और जगह है वह भी नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ 2.22 लाख रुपया अवध क्लार्क होटल में मजदूरों के हिस्से का खर्च कर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, कटौती प्रस्ताव के लिए 25 मिनट का समय निर्धारित है और लगभग 20 मिनट आप बोल चुके हैं। समय का आप ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

बसों में लगेज ले जाने की प्रणाली को आपने खत्म कर दिया है जब कि मोटर विहिकिल्स एक्ट में यह है कि सवारियों के साथ लगेज जा सकता है। जब यह सुविधा आप खतम कर देंगे तो लगेज वाली सवारियां दूसरे माध्यम से जायेंगी। इस प्रकार आपके यहां यात्रियों की संख्या कम हो जायेगी।

अब मैं फर्जी टिकटों के संबंध में ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में आपके यहां यह जारी होते हैं। लखनऊ मंडल की आपने बड़ी तारीफ की है। यहां पर 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उसमें 6 करोड़ का फायदा हुआ है तो इस प्रकार लखनऊ मंडल में दो करोड़ का घाटा हुआ है। लखनऊ मंडल में आपकी दो सौ बसें बेकार पड़ी हैं। और आपकी कार्यशालाओं में यंत्रों और पुर्जों का अभाव है, और जो हैं भी वे पुराने हैं और अच्छे पुर्जों को केवल कागज में ही दिखा दिया जाता है और घटिया किस्म के पुर्जे बसों में लगा दिये जाते हैं जिससे बसें खराब जल्दी हो जाती हैं और उससे कार्यक्षमता भी कम हो जाती है तो इससे घाटा बढ़ना लाजमी है। इसके साथ ही लखनऊ मंडल में चार लाख की चोरी हो गयी, 28 पयूलपम्प चोरी हो गये। एफ0 आई0 आर0 उसकी दर्ज हुई लेकिन आजतक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके साथ-साथ गोरखपुर में खजनी एक जगह है वहां पर 1 लाख 50 हजार रु0 का एक प्लाट खरीदा था। मेरी पक्की जानकारी है कि उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी के कोई रिस्तेदार कब्जा किये हैं अब उस 1 लाख 50 हजार के प्लाट को उनको सस्ते रेट पर बेचने जा रहे हैं। तो इस प्रकार घाटा तो आप स्वयं रहो हैं। बसों का भाड़ा आप बराबर बढ़ाते जाते हैं लेकिन जो आपकी दोषपूर्ण व्यवस्था है उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। आपका ध्यान केवल भाड़ा बढ़ाने पर ही जाता है। अगर आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर ले तो निश्चितरूप से घाटा कम हो जायेगा।

आपने पल्लवन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लागू करने की बात कही है। पल्लवन में 5 सौ बसें हैं और आपके यहां 6 हजार बसें हैं। 5 सौ की व्यवस्था करना आसान है लेकिन 6 हजार बसें पल्लवन व्यवस्था में नहीं चल सकती है उसमें अधिकारियों की संख्या ज्यादा बढ़ती है और कर्मचारियों की संख्या कम होती है। इसलिए आप इस पल्लवन व्यवस्था पर पुनः विचार करें तो अच्छा रहेगा। यह एक और घाटे का कारण है।

मान्यवर, परिवहन विभाग में आप उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय खोलने जा रहे हैं और 85-86 में 6 उप संभागीय परिवहन कार्यालयों का सृजन किया है और प्रत्येक में एक जी0टी0आ0, एक पी0टी0आ0 एक ए0 आर0 टी0 आ0 का पद सृजित किया है किन्तु कहीं भी कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किया है, तो अधिकारियों के जिम्मे यह कार्यालय कैसे चलेंगे, इसलिये कर्मचारियों के पद आपको सृजित करना पड़ेगा।

मान्यवर, चैकिंग स्क्वायड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 1985-86 में 4 चेकिंग चौकी के सृजन की बात किया है लेकिन इनके द्वारा 2 प्रतिशत वाहनों की भी चेकिंग नही हो पाती है। इस लिये इतने स्टाफ से कोई काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही चौकियों की संख्या को बढ़ायें। मान्यवर, दो दर्जन के लगभग पहले से चैकिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं जिनको आपको पूरा करना चाहिए और यह संख्या भी बढ़ायें। इसके साथ ही यात्री कर और मालकर अधिकारियों की कमी है जिनके पदों को बढ़ाना चाहिए।

मान्यवर, मंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हमारे विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या अधिक है जिनको हम घटा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इटावा के आर0 एम0 श्री पाठक, ने शासन को लिखा है कि 1096 कि0 मीटर बस बिना कंडक्टर और ड्राइवर के करटेलमेंट करना पड़ रहा है और इसलिये उन्होंने 73 स्टाफ की मांग किया है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी कैसे कहते हैं कि स्टाफ सरप्लस है।

मान्यवर, निगम की बसों पर एक बस पर 12 स्टाफ है और यह घाटे पर जा रहे हैं जिसको कम करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि प्राइवेट बसों में एक बस पर ढाई स्टाफ आता है और उनको ज्यादा प्राफिट हमसे हो रहा है कम स्टाफ के बावजूद और इनकी बसों में घाटा हो रहा है।

मान्यवर, आपके वाद न्यायालय में बढ़ रहे हैं और 5-6 हजार से ज्यादा विवाद है और वह उच्च अधिकारियों की सूझबूझ का प्रतीक नहीं है। मान्यवर, थोड़ी बात में न्यायालय में यह चले जाते हैं लेकिन उसके बाद उसकी यह पैरवी नहीं कर पाते हैं, इसलिये यह मुकदमा हार जाते हैं और निगम का इससे नुकसान होता है।

मान्यवर, परिवहन विभाग में 150 करोड़ रुपये का राजस्व यह वसूलते हैं किन्तु उसका 2 प्रतिशत भी परिवहन विभाग पर खर्च नहीं करते हैं जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। जो मंत्री जी ने कहा कि हम उप संभागीय कार्यालयों का सृजन करने जा रहे हैं, तो देहरादून और कानपुर में छोड़कर कहीं भी उप संभागीय कार्यालय नहीं बने। लखनऊ का तो कई हजार रुपये कार्यालय पर किराये के रूप में दे रहे हैं जिससे यदि दो साल का किराया जोड़ लें तो लखनऊ का उप संभागीय कार्यालय बना सकता है परन्तु वह नहीं करेंगे और किराया देंगे। मान्यवर, परिवहन निगम और निगमों से दूसरे नम्बर पर घाटे में आता है।

मान्यवर, इन्होंने, जब श्री वीर बहादुर सिंह जी परिवहन मंत्री थे तो एयर कंडीशन बसें चलवाया था और आज वह मुख्य मंत्री हैं और डाक्टर संजय सिंह परिवहन मंत्री हैं तो उन बसों को देखें तो उनमें जाड़े और गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है, पता नही किस कंडीशन में उनको कर दिया गया है। तो इस तरह से बरसात में पूरी बाढ़ का उसमें से पता चल जाता है, जब पैसेन्जर्स बुरी तरह भीग जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम एअर कंडीशन बसों के रख-रखाव का ध्यान रखें। अब अगर आप फैजाबाद मंडल को देखें तो वहां से ज्यादा किसी भी मंडल में बसें नहीं हैं, क्योंकि उस मंडल में अमेठी और सुल्तानपुर आता है और वहां से हर जगह को बसें जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां के लिए वहां से बसें न जाती हों, इसलिए वहां पर तमाम बसें और परिवहन सम्बन्धी तमाम

सुविधाएं जुटा दी गई हैं। मंत्री जी बुन्देलखण्ड की ओर भी देखें। वह सुल्तानपुर के ही मंत्री नहीं हैं, वह पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। इसलिए वह प्रदेश भर में सभी जगह पर समान रूप से बसों की व्यवस्था कराने का प्रयास करें।

*श्री नेकचन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी मैं माननीय सदस्य विरोध पक्ष को, जो कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, सुन रहा था, उनका भाषण पूर्णतया एक परम्परा का निर्वाह सा कर रहा था। मान्यवर, जहां हमारे मंत्री जी ने प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के अपने प्रयास का अपने बजट में उल्लेख किया है, वहीं कटौती के प्रस्ताव में अगर माननीय सदस्य विरोध पक्ष अपने पक्ष को प्रस्तुत करते कि उसमें इनका क्या योगदान होता है तो बड़ी खुशी होती। किन्तु विरोध पक्ष के लोग हमारी बसों के कार्य और चालन में रुकावट पैदा करते हैं, हिंसा पैदा करते हैं, उनमें तोड़-फोड़ करते हैं। यह भारत जाम करते हैं, चक्का-जाम करते हैं और इन सब कठिनाइयों को झेलते हुए हमारी सरकार आमदनी करने की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैं सरकार का पुरजोर स्वागत करता हूं। हमारे संचालन में चुस्ती आई है, हमारी व्यवस्था में तेजी आई है, हमारी आमदनी बढ़ी है, हमारी प्रति किलोमीटर आय बढ़ी है और हमारी अर्जन क्षमता भी बढ़ी है। साथ ही हमारे यात्रियों की संख्या बढ़ी है। हम परिवहन विभाग में हर ओर आगे बढ़ रहे हैं और इन सारे प्रयासों के चलते प्रदेश के अन्दर एक चर्चा पैदा हो गई है कि परिवहन व्यवस्था में डाक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि मैं आर0 टी0 ए0 में जो तमाम कठिनाइयां आती हैं और परमिटों के वितरण के मामले में, उसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर वह उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छी बात है और एक स्वागत योग्य यह सरकार का कदम है।

अब मैं सिटी बस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो केवल टाउन्स हैं, उनमें सिटी बसों की संख्या में काफी सुधार हुआ है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि कानपुर बहुत बड़ा शहर है-व्यापारिक दृष्टिकोण से, कारखानों के दृष्टिकोण से, आफिसों और स्कूलों के दृष्टिकोण से, इसलिए वहां पर जो 13 नई बसें दी गई हैं, उसे और बढ़ाया जाए। मैं कानपुर शहर के किनारे के क्षेत्र का रहने वाला हूं, उसी क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं। मान्यवर, शहर से देहात की ओर 40-50 किलोमीटर की परिधि में सिटी बसें चलायी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह जो नयी बसें संचालित कर रहे हैं तो उनमें से कुछ बसें हमारे यहां देहात को आवंटित करें ताकि देहात के लोगों को जो असुविधा होती है वह दूर हो सके। मान्यवर, पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने पल्लवन ट्रांसपोर्ट कंसलटेंसी योजना की शुरुआत की थी, मैं इसका स्वागत करता हूं, इससे सुधार हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा निगम 13 इकाइयों में बंटा है। 13वीं इकाई नगर बस सेवा के रूप में कार्य कर रही है और 14 वीं इकाई कार्यशाला के रूप में कार्य कर रही है। तो इकाइयों में बांटने से निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार आयेगा। देश और प्रदेश के विकास में ट्रांसपोर्ट का बड़ा योगदान है। इसलिये जब तक ट्रांसपोर्ट को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी इनको एक टेम्पू का परमिट दे दीजियेगा।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

आपको परमिट मिल जायगा चिंता न करें। मान्यवर, जो पंचवर्षीय योजनायें हमारी बनायी गयी हैं उनमें अभी तक इतना धन आवंटित नहीं किया जाता था, नयी पंचवर्षीय योजना में ट्रांसपोर्ट के लिये ज्यादा धन आवंटित किया गया है जिसके माध्यम से आगे आने वाले समय में ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था में जो कमियां और कठिनाइयां हैं वह निश्चित रूप से दूर होंगी। मैं इसके लिये अपनी सरकार का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, नेशनल परमिट स्कीम जो लागू की गयी है इससे बहुत लाभ पहुंचा है। ट्रांसपोर्ट्स को परमिट के लिये अब भागना नहीं पड़ेगा और उनकी कठिनाइयां दूर होंगी। चाहे व्यापारी हों या गांव के लोग हों उनका सामान जो सड़क के किनारे पड़ा रहता था और घरों में पड़ा रहता था उनको इस व्यवस्था से लाभ होगा और उनके माल का अच्छा उपयोग होगा। हमारे किसान भाई अपना माल देश के एक कोने से दूसरे कोने को भेज सकेंगे। आज माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से क्रान्तिकारी बजट है। प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिये यह एक और कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इस प्रदेश का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा उद्यम है और जिस प्रकार की हालत इसकी चल रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इसमें कोई सुधार आना संभव नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में परिवहन निगम को 47.64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह घाटा और बढ़ेगा इसके घटने की संभावना नहीं है। मान्यवर, 1981 से 1983 तक, 3 वर्षों में बसों को प्रतिदिन 250 किलोमीटर चलना था लेकिन वह केवल 140 कि0 मी0 प्रतिदिन चली हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां 250 कि0मी0 रोज चलना था वहीं पर केवल 140 कि0मी0 चली हैं। जबकि एक बस का प्रतिदिन 300 कि0मी0 चलना अनिवार्य है। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि बसों को 300 कि0 मी0 प्रतिदिन चलाइये वरना निगम फायदे में चलने वाला नहीं है। मान्यवर, निजी बसों को परिवहन निगम ने चलाने के लिये लिया है उनसे 1.80 रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से लेते हैं निजी बस मालिक इसमें अपना मुनाफा भी कमाते हैं परंतु इनके निगम की बसों की हालत देखिये जिनका संचालन मात्र 2.50 रुपये प्रति कि0 मी0 आता है। तो यह कितना बड़ा अंधेर है। इसका कारण क्या है। इनकी बसें सही नहीं चलती, इनके कर्मचारी ठीक काम नहीं करते और बसें खराब पड़ी रहती हैं तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको ठीक करने की अत्यन्त आवश्यकता है। मान्यवर, मरम्मत कभी भी समय से नहीं कराई जाती है और बहुत सी बसें मरम्मत के लिए वर्कशाप में खड़ी रहती हैं और खड़े-खड़े वहां की शोभा बढ़ाती हैं और अगर ठीक करने की बात कही भी जाती है तो कहते हैं कि सामान

नहीं है, ऊपर से पैसा नहीं आया है, टायर आदि नहीं है। मान्यवर, कल-पुर्जों के लगाने में जो घोटाला होता है वह किसी से छिपा नहीं है। पुराने पुर्जे लगाकर नये पुर्जों की कीमत वसूली जाती है। साथ ही मान्यवर, पुर्जों की खरीद में भी बड़ा घोटाला किया जाता है। रद्दी और बोगस फर्म से कल-पुर्जे लेकर लगाए जाते हैं। जब मान्यवर, बसों में सही पुर्जे नहीं लगाये जायेंगे तो वह सही प्रकार से किस तरह चल सकती है। इसलिए माननीय मंत्री जी को इस ओर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, यही वह कारण है, जिसकी वजह से बसें जल्दी-जल्दी खराब होती हैं और इसकी जानकारी मान्यवर, जबकि शासन और प्रशासन दोनों को है फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अवैध वाहन आर0 टी0 ओ0 तथा पुलिस की साजिश से चलाये जा रहे हैं। प्रशासन और शासन दोनों को ही इसकी जानकारी है फिर भी न जाने क्यों ये वाहन लगातार चल रहे हैं। इन्हें रुकवाना अत्यन्त आवश्यक है, अवैध वाहन चलाने में बहुत ही प्रभावशाली लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि जो नई बसें खरीदी जाती हैं, उनकी बाडी बनाये जाने में भी बड़ी गड़बड़ी होती है, उसमें रद्दी से रद्दी और सस्ता सामान लगाया जाता है, इसीलिए थोड़े समय में ही बस के सारे पार्ट्स खराब होने लगते हैं, कहीं तो मालूम हुआ कि दरवाजा खराब हो गया, कहीं छत खराब और कहीं खिड़कियां खराब हो गयीं तो कहीं पर सीटें खराब हो गयी हैं तो यह स्थिति इनकी नयी बसों की है कि हार्न को छोड़कर पूरी की पूरी बस आवाज करती है और दूर से ही परिवहन निगम की बसों को देख कर पता चल जाता है कि बस निगम की है। दूसरे मान्यवर, आज समय की कोई पाबंदी इनकी बसों में नहीं रह गयी है। इनकी बसें ड्राइवर और कंडक्टर के मर्जी के ऊपर चलती हैं। जब चाहा जहां चाहा रोक देते हैं और जब दिल चाहता तो उसे चला देते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ड्राइवर और कंडक्टर को नियंत्रण करने वाला भी किसी को बना दीजिए, यह बहुत ही आवश्यक है। दूसरे मान्यवर, टिकटों के संबंध में भी बहुत जालसाजी की जा रही है। यात्री को टिकट देते समय कुछ और किराया अंकित किया जाता है और फिर बाद में इंक रिमूवर से मिटाकर जो सही दर है, वह अंकित कर ली जाती है और जो पैसा बचता है, वह अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी बसों को चलाने में सक्षम नहीं हैं तो यह प्राइवेट के लोगों को रूट दे दें फिर वह जैसे चाहें करें। साथ ही मान्यवर, अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बदायूं जनपद से चुनकर आया हूं, वहां की बसों की स्थिति अत्यन्त खराब है। वहां का जो बस स्टेशन है, वह बहुत ही खराब हालत है और बसें वहां पर समय से नहीं चलती हैं। और अधिकांश बसें खराब पड़ी हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां की बस व्यवस्था पर विशेष तौर से ध्यान देकर वहां की व्यवस्था ठीक करायें। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी भगवती प्रसाद–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं हार्दिक

स्वागत और समर्थन करता हूं। आज पूरे प्रदेश की जनता जो भी बसों में सफर कर रही है, वह निश्चित रूप से मा0 मंत्री जी को बधाई दे रही है और मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा इस विभाग को सुधारने की दिशा में जो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं, निश्चित रूप से वह प्रशंसनीय है और मान्यवर, यही नहीं मा0 मंत्री जी की इस नई व्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश की तमाम जनता जो बसों द्वारा सफर कर रही है, उसने इस व्यवस्था के हिसाब से मा0 मंत्री जी को अपने दिल में बैठाने की ठान ली है। मान्यवर, इसलिए भी

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

प्रदेश की जनता इनको बधाई देती है कि इस विभाग में जो लोकतंत्र के नाम पर अनुशासनहीनता बढ़ रही थी, अकर्मण्यता बढ़ रही थी, निष्क्रियता बढ़ रही थी, उस पर उन्होंने नियमों और कनूनों और शासकीय व्यवस्था के तहत जब नियंत्रण रखा, इसलिए लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और विरोधी दल के लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं अभी विरोधी पक्ष के सदस्यों को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बगैर समझे ही बोले हैं, क्योंकि मैं इस बात का जोरदार हिमायती हूं कि जब विकास की गाड़ी तेजी से चलती है, परिवहन की बसें तेजी से चलती हैं, तो धूल का उड़ना स्वाभाविक है और उस धूल से तरक्की पसन्द लोगों को कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट तो केवल इन तमाम विरोधी पक्ष के सदस्यों को होता है, जो तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। मान्यवर, मैंने माननीय परिवहन मंत्री जी से पहले भी निवेदन किया था कि प्रदेश के विकलांगों को अपनी बसों में यात्रा हेतु सुविधा प्रदान करें और उन्होंने कुछ रियायत भी किया है, थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महिलाओं, विधायकों के लिए सीट आरक्षित हैं पहले से, उसी प्रकार से चाहे विधायकों का आरक्षण खत्म करना पड़े, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर विकलांगों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि हम स्वस्थ विधायकगण खड़े होकर भी चल सकते हैं, लेकिन विकलांग से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। मान्यवर, जो पूर्व में उनके हित की कुछ व्यवस्था उन्होंने किया है, प्रदेश के विकलांग आज उनकी प्रशंसा करते हैं और हृदय से सराहते हैं। मान्यवर, बसों के सुधार की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम आपने उठाया है, उससे प्रदेश की पूरी जनता लाभान्वित है। मान्यवर, उसमें एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आपकी कुछ बसों में अब तक भी साइड शीशा की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे अन्य लोगों को पास लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना भी होने की आशंका रहती है। साइड शीशा के अभाव में आपके ड्राइवर पीछे आने वाली सवारियों पर नजर नहीं रख पाते हैं। दूसरा सुझाव मान्यवर, मैं यह देना चाहूंगा कि आप अपनी बसों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित करने हेतु कठोर कदम उठायें। यदि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र अपने देश में उपलब्ध न हों, तो विदेश से आयात करके ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मान्यवर, आपने कुम्भ मेला, इलाहाबाद और हरिद्वार के मेले में बस की व्यवस्था हेतु जो ऐतिहासिक और कल्याणकारी कदम उठाये हैं, उसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिर्जापुर जनपद में भी कतित शरीफ का ऐतिहासिक मेला तथा मां विन्ध्यवासिनी का वर्ष में दो बार बहुत बड़ा मेला

लगता है, वहां भी सिटी बस और अन्य बसों की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र में एक श्रीनिवास धाम से रीवां तक बस की व्यवस्था वाया गंपुरा, विजयपुर, लालगंज व बरौंधा तक की जाय, जिससे मेरे क्षेत्र का सम्पूर्ण परिवहन मध्य प्रदेश से अच्छी तरह से जुड़ सके। मेरे ही जिले में नगर में दो सिटी बस मिर्जापुर से बिरसापुर तथा मिर्जापुर से नेवढ़िया तक चल रही थीं, इनको सिटी बस से समाप्त करके ग्रामीण बस सेवा में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि बस स्टैंड से इस स्थान की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। सिटी बस की सुविधा समाप्त हो जाने से छात्रों को मिलने वाली सुविधा भी समाप्त हो गयी। इस दिशा में निवेदन है कि पूर्व की भांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें। मेरे ही क्षेत्र में मिर्जापुर से लहंगपुर तक एक सिटी बस की अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि उपरौंध क्षेत्र की जनता कचेहरी और तहसील तक उस बस से नगर आ करके अपने काम के निस्तारण में बस का सहयोग प्राप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने परिवहन निगम में लोकतांत्रिक सेट-अप को स्थापित किया है। गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया है। इसी क्रम में एक सुझाव यह है कि एक अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि को भी उस निगम में नामित करने की कृपा करें ताकि हरिजनों के मामले में अन्याय न हो सके। मान्यवर, हमारे मिर्जापुर में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में कार्यरत बहुत सी ट्रकें बगैर टैक्स व परमिट की चल रही हैं। इस पर विभागीय नियंत्रण स्थापित करें। इन शब्दों के साथ माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्तुत बजट का स्वागत व समर्थन करता हूं और माननीय विरोधी पक्ष के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और उनको एक शेर समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि वह हमेशा हर अच्छे काम की केवल आलोचना ही करते हैं। शेर है कि–"दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी अपने आप को यूं मिटाता है। जैसे कि चुभने की फिक्र में कांटा आप से ही टूट जाता है।"

अन्त में मैं पुनः प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत व समर्थन करता हूं।

श्री मुस्तमंद अली खां –

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जो माननीय परिवहन मंत्री जी ने बजट रखा है, उसमें बहुत सी चीजें कही गई हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सड़क परिवहन निगम से ताल्लुक रखती हैं। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब परिवहन निगम का मुनाफा नहीं है और वह घाटे में जा रहा है, तो सबसे पहले उसको जनता की सेवा का ध्यान रखना चाहिए। मान्यवर, जितने भी रूट परिवहन निगम लेने जा रहा है, या ले रहा है, यह वह रूट ले रहा है जहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, जब परिवहन निगम के पास इतनी बसें नहीं हैं, तो वह ऐसे रूट ले जहां प्राइवेट बसें नहीं चल रही हैं तो इनको ज्यादा प्राफिट होगा। मान्यवर दूसरी बात मैं आर0 टी0 ओ0 विभाग के बारे में कहना चाहता हूं, वहां जितने एप्रूव्ड पद हैं वह और लोगों को नहीं आने देते हैं आपके यहां इतनी पोस्ट खाली हैं कि आम जनता को परेशानी होती है। जो नये आफिसेज खोले गये हैं वहां पर पूरे कर्मचारी नहीं पहुंच पाये हैं। मान्यवर, वहां ए0 आर0 टी0 ओ0 जो कार्य कर रहे हैं वह नहीं चाहते कि वहां कोई और अधि-

कारी आए इसलिए ए0 आर0 टी0 ई0 की पोस्ट एक-दो साल खाली पड़ी रहती है। मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राविधान कर रखा है कि वर्कशाप द्वारा फिटनेस सार्टिफिकेट दिया जाए, तो मैं बताना चाहता हूं कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पायेगा और एक्सीडेंट जो होते हैं वह आगे आने वाले जमाने में और बढ़ जायेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जो फिटनेस सार्टिफिकेट है वह वर्कशाप न दें। मान्यवर, जब रोडवेज बसों का कर्टेन्मेंट लें तो आपको पता लगेगा कि किसके कितने यात्री परेशान रहते हैं, खड़े रहते हैं। बसों में अनआंथराइजेशन पनप रहा है। जिसकी जिम्मेदारी रोडवेज पर है। मान्यवर, मेरठ सहारनपुर रूट को इन्होंने लिया है इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। फरवरी तक स्कीम दे दें। वहां मेरठ में जितने अच्छे रूट हैं उन पर प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी जगहों को लें, जहां कोई प्राइवेट बस नहीं चल रही हैं, यह आपका फर्ज है कि जिन जगहों पर कोई बस नहीं चल रही है वहां आप अपनी बसें चलाएं। मान्यवर, आगरा रीजन तीन स्टेट से घिरा हुआ है तीन स्टेटों के घिरने के कारण, मैं चाहूंगा कि स्टेट कैरेज परमिट उनको दिया जाए।

जिससे जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, मान्यवर, आगरा और मथुरा में बाहर से बहुत लोग आते हैं, उनकी स्टेट कैरिजेज को ऐसे परमिट देने चाहिए, जिस पर तीनों स्टेट का काउन्टर साइन हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो टैक्स का आपने प्राविजन किया हुआ है। पिछले बार भी मैंने प्रार्थना की थी जो वेहिकिल सरेन्डर की जाती है, जब तक का उनका टैक्स देय हो, वह आप ले लें। जो रिफन्ड करना हो उसको आगे एडजेस्ट कर। क्योंकि जो रिफन्ड लेने के लिये जाता है, रिफन्ड में जितना पैसा मिलना होता है, उससे ज्यादा तो उसका चक्कर लगाने में खर्च हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो स्टेट रोड कारपोरेशन है, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, माननीय मंत्री जी सरकार का अध्यादेश है और सरकार का निगम कोर्ट में गया है, इससे मिनी बसों के परमिट रुक गये हैं, जिससे जनता को तकलीफ हो रही है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि मथुरा जिले में 116 रोडवेज चलनी चाहिए। जिसमें 80 बसें ठीक हैं। सोमनाना झील रूट पर यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 ने 10 परमिट लिये हैं लेकिन एक भी बस नहीं चलती है। रोडवेज की वजह से प्राइवेट लोगों को परमिट नहीं दिया गया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। धन्यवाद।

*मोहम्मद अबरार अहमद–

आपने परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो परिवहन का बजट रखा है, साधनों की कमी के बावजूद परिवहन मंत्री ने कोशिश की है कि कोई क्षेत्र ऐसा न रह जाय, जहां व्यवस्था न हो। उनकी निगाह हर जगह गयी है। यह मैं मानता हूं कि यह व्यवस्था अत्यन्त मुश्किल है और खासकर परिवहन की व्यवस्था। लगातार पिछले वर्षों से परिवहन निगम की व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी, लेकिन हमारे युवा मंत्री जब से आये हैं, यह अवश्य ही महसूस किया जा रहा है कि उनकी निगाह जहां-जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमी थी निगम में पहुंची, उसको दूर करने में सक्षम प्रतीत हुये हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने ऐसे कदम उठाये हैं, जिससे आने वाले सालों में परिवहन निगम को लाभ होगा और फायदेमन्द होगा। जनहित में जनता को अधिक सुविधा देने के लिये योजनायें चलाई हैं। इसी के साथ मैं सुझाव देना चाहता हूं। वर्ष 76 में एक कानून बनाया गया था स्पेशल प्राविजन किया गया था जिसके तहत कम्पीटेन्ट एथारिटी बनाई गई थी, जिसके तहत लगभग 12 सौ मिनी बसें कन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में परिवहन निगम के रूटों पर स्टेट कैरिज के रूप चलाई गई थी, जिससे निगम को बहुत नुकसान पहुंचा था। सरकार ने चूंकि परमिट दे दिया था और उनको विड्ड्रा करना अच्छी बात नहीं थी क्योंकि जिन परिवारों ने पैसा लगाया था। इनका परमिट विड्ड्रा करने से इनको नुकसान होगा, इसलिये एक एक्ट बनाकर परिवहन निगम ने इन बसों को रायल्टी के बेसिस पर छोटे-छोटे मार्गों पर दे दिया। लेकिन अफसोस है कि इसी बीच तमाम बसें लगायी गयीं, न मालूम क्यों विभाग के अन्दर जो कार्यवाही चल रही थी, तो धीरे-धीरे इन बसों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है और मान्यवर, आप देखेंगे कि कुछ बसें जो हटाई गयीं, वे फिर से आपके ही मार्गों पर वैसे ही स्टेट कैरिज के तरीके से चल रही हैं और जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन मिनी बसों के स्वामी हाईकोर्ट चले गये हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि इन बसों को नहीं रोक सकते और ये एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जा सकती हैं। इस कारण मैं यह निवेदन करूंगा कि वह जितनी बसें निकाली गयी हैं और आपके पास बसों का अभाव है, इसलिये उन मिनी बसों को दोबारा लें। इससे फायदा यह है कि उनको लेने में आपका कोई धन नहीं लग रहा है। दूसरे जनहित में जहां-जहां बसें कम हैं, वहां पर लेंगे तो आपके यात्रियों को सुविधा होगी। यह जनहित का काम है रायल्टी से और फायदा होगा। मैं नहीं समझता कि किस नीति के आधार पर इनको हटाया जा रहा है, जबकि आपके पास बसों की कमी है। इन बसों को लेने में निगम का हित है, उसकी आय बढ़ेगी और जनता को सुविधा भी मिलेगी। इस ओर इसी प्रायोजन के तहत स्टेट कैरिज के जो परमिट थे, उनमें कहीं-कहीं निगम के जो मार्ग थे, उनमें ओवरलैप हुआ। नोटीफाइड एरिया के जो मार्ग थे उनमें 10-20-25 किलोमीटर का ओवरलैप था। तो इसी धारा के तहत यह प्राविधान रखा गया कि निजी बसों को आथोराइजेशन देकर रायल्टी लेकर चलने देंगे। मगर, मंत्रीजी, उसमें भी थोड़ा सा फर्क करा जा रहा है और उनको भी किसी न किसी तरह से रोका जा रहा है। तो 4-6 महीने पहले आथोराइजेशन के लिये रिन्यूवल किया जा रहा था, लेकिन ये न तो तुरन्त रिन्यूवल करते हैं और न देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इतनी देर क्यों होती है। इसमें मैंने एक पत्र लिखा था कि 3 बजे के बाद परिवहन निगम में आम आदमी जा सकता है और तीन बजे के बाद जब पास बनता है साढ़े तीन चार तक तो सम्बन्धित अधिकारी मीटिंग आदि में व्यस्त रहते हैं और पांच बज जाता है। फिर दूसरे दिन पुनः 3 बजे ही जाने को मिलता है। प्रदेश के अन्य जिलों से आए लोग एक-एक हफ्ते पड़े रहते हैं, उनका पैसा खर्च होता है। इसी प्रकार आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आर0 टी0 ए0 और एस0 टी0 ए0 की आप महीने में एक मीटिंग अवश्य करा दिया करें। चार-

चार और पांच-पांच महीने रिन्यूवेल के केस पड़े रहते हैं। जो चीज लम्बित हो जाती है, तो उसमें बीच में भ्रष्टाचार को मौका देते हैं। तो उनकी मीटिंगें निश्चित कर दें कि मीटिंग तीन महीने में एक बार अवश्य हो ताकि एजेंडे को समाप्त कर सकें और उसमें कुछ शेष न रह जाय । मैं इसके साथ ही पुनः बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संजय सिंह जी का जब मैं चेहरा देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कहूं। मान्यवर, यह अपने विभाग में फेल क्यों हैं, इसका एक मात्र कारण यह है कि इनके यहां एक होड़ लगी हुई है कि नेता सदन कौन बनेगा, माननीय संजय सिंह मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में घूम रहे हैं, इसलिए इनका विभाग बुरी तरह से फेल है। मान्यवर, एक पुरानी कहावत है कि चोर के घरों में छिछोरा बैठ गया। मान्यवर, माननीय संजय सिंह जी लाखों वोट से जीतकर आये हैं मान्यवर, मुझे अफसोस है कि जो व्यक्ति गड़बड़ी करके इतने अधिक वोटों से जीतकर आया हो, उसी के विभाग में गड़बड़ी हो रही हो मान्यवर, यह बड़े हैरत की बात है। मान्यवर, यह इनसे पूछ लें कि यह कैसे जीत कर आये हैं ?

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, माननीय कुशवाहा जी ने कहा कि माननीय संजय सिंह जी कैसे जीत कर आये हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बता दें कि यह किस तरह से जीतकर आये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य कृपया बजट पर बोलें।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, मुझे ताज्जुब होता है कि जो व्यक्ति गड़बड़ी करके जीत कर आया हो, लाखों वोट से, उसके विभाग में गड़बड़ी हो जाय । मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि इनके विभाग में जो परमिट दिये जाते हैं वह इनके विधायकों को, कांग्रेस आई0 के पदाधिकारियों को और इसके अतिरिक्त जो प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनको पैसा लेकर के दिये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो शिक्षित बेरोजगार जो घूम रहे हैं, उनको आप परमिट दिलवायें जिससे कि उनका भला हो सके और वे आपके बच्चों को भी आशीर्वाद देंगे । आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देते हैं, वे तो वैसे ही सम्पन्न हैं, वे आपको क्या आशीर्वाद देंगे, वह तो मात्र अपना मतलब निकालेंगे । दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं परिवहन विभाग को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो यह जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर हैं, जो आपको जितना पैसा शाम को देते हैं, उसका आप मात्र 5 प्रतिशत इनको दे दें। मान्यवर, इससे निश्चित रूप से यह लोग मेहनत करके, आपको अधिक धनराशि उपलब्ध करेंगे । इससे इनकी एक भी गाड़ी फेल नहीं होगी। मान्यवर, इनकी सभी गाड़ियां घाटे में चल रही हैं। आधे से अधिक बसें तो इनकी बीमार हैं। आधी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बसें हैं, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर वेतन कम होने की वजह से, गड़बड़ी करते हैं, चलाने में आनाकानी करते हैं। अगर मेरा यह सुझाव मान लिया जाय तो निश्चित रूप से इस विभाग में कभी घाटा नहीं होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। कानपुर में झिझक वाया मंगलपुर एक बस चल रही थी, लेकिन उसके ड्राइवर और कन्डक्टर प्राइवेट बसों के मलिकों से मिल गये और कह दिया कि इनकम कम हो रही है। दो साल से वह बस बन्द कर दी गई है। माननीय संजय सिंह जी से यह निवेदन है कि वह इस बस को पुनः चला दें।

हमारे यहां कानपुर से डेरापुर को बस चल रही थी। जितनी भी खचड़ा गाड़ियां थी, वे इस रोड पर चला दी। 12 बसें इस पर चल रही थी, लेकिन उसमें से 8 बसें बंद कर दी गई हैं। मेरा सुझाव है कि इन बसों को आप पुनः चलवा दें। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन विभाग के प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए विपक्ष के माननीय वर्मा जी ने सबसे पहले यह बात कही कि माननीय मंत्री जी ने यूनियन के अधिकारियों और पदाधिकारियों से बात करने से इन्कार कर दिया और मंत्री होने के साथ-साथ अपने को राजा होने का भी एहसास करवाया। माननीय मंत्री जी के संबंध में विपक्ष को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब से उन्होंने परिवहन का कार्य भार संभाला है, जिस सुधार की हम आशा नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा माननीय मंत्री जी ने इस विभाग में किया है। यदि आप लोगों को अन्दर बैठने का मौका न लगा हो, तो बाहर के रंग को देखकर ही आप पता लगा सकते थे कि कितना क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय मंत्री जी मंत्री होते हुए भी और राजा होते हुए भी मेरे सामने कई बार यूनियन के नेताओं से मिले हैं और उनसे सुझाव लिये हैं। अधिकारियों से उन्होंने समय-समय पर सुझाव लिये हैं, विधायकों से समय-समय पर सुझाव लिये हैं इस विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि माननीय संजय सिंह जी मंत्री होते हुए भी एक राजा हैं। क्या वह अभी भी राजा हैं?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हमारे मंत्री जी सुचारु रूप से व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारी सरकार में इस विभाग में एक नयापन आया है और सुदृढ़ीकरण आया है। 200 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देकर विभाग की कार्य-क्षमता में एक विशेष योगदान दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक साल में 800 नई बसें दी हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि इस वर्ष वह 1600 और नई बसें देंगे, जो एक क्रान्तिकारी उपलब्धि है।

मान्यवर, हमारा जनपद गढ़वाल से संबंधित है और हमारी समस्यायें भी विभिन्न

हूँ । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने गढ़वाल मण्डल के लिए 50 बसों की व्यवस्था की है ताकि हमारे गढ़वाल मण्डल में जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे बद्री केदार नाथ, चमोली, गंगोत्री, देहरादून और मसूरी जाने के लिए उन्हें आवागमन की सुविधायें मुहैया हुई हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं और मा0 मंत्री जी से मांग करूंगा कि आपने जो घोषणा की है दस बस सेवाओं की, मेरी निश्चित जानकारी है कि नगर बस सेवा की घोषणा की है मेरे नगर में, वह 10 बस सेवाएँ अभी नहीं पहुंच पायी हैं । इसकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा !

हमारे मण्डल में बहुत बड़ी आवश्यकता और कमी इस बात की है कि बसों पर सामान ले जाने के लिये विभाग ने इस सुविधा से लोगों को वंचित कर रखा है। बसों पर सामान लाने ले जाने की सुविधा का उपभोग करने के लिये अनिवार्य रूप से इसको उपलब्ध कराया जाय । हमारे जनपद देहरादून और विशेषकर शहर में स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से नगरीय बस सेवा को धीर्जित करके भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा करने वाले विक्रम वाहन चलाये जा रहे हैं । मेरी मांग है कि इन वाहनों पर तत्काल रोक लगा दी जाय ।

जनपद के पर्यटक स्थलों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि हजारों पर्यटक इन पर्यटक स्थलों को देखने की सुविधा का लाभ बसों के अभाव में उठाने से वंचित रह जाते हैं । तीर्थ स्थानों की विशेष भूमिका अदा करने के लिए चाहूंगा कि और भी बसों का योगदान करें । गैर सरकारी व्यक्तियों का मनोनयन आर0 डी0 ए0 कमेटी में करने का जो निर्णय लिया गया है, वह स्वागत करने योग्य है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र में सामान लाने-ले जाने के लिये छूट और अधिक बसों की व्यवस्था करेंगे । इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

**श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–**

आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं ।

आज उत्तर प्रदेश में कुल 6268 बसें, 1794 मार्गों पर चल रही हैं । आपने जो यह पुस्तिका वितरित की है, इसमें आपने बताया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 6777 बसें नई खरीदी जायेंगी । आपने इसी पुस्तिका में यह भी बताया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 5553 बसें चलने लायक नहीं रह जायेंगी । ऐसी परिस्थिति में केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप 1254 नई बसें उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का एक सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर लगभग 12 करोड़ की आबादी इस समय बसती है। आबादी बढ़ने का जो रेट है, अगर उसे आप देखें और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक अनुमान लगायें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बजट में जो भी व्यवस्था है वह व्यवस्था बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही कम है । ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी को देखकर बजट में ऐसी व्यवस्था करें कि उत्तर प्रदेश के लोग बसों में ठीक से चल सकें । अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात कही जा रही थी । हम 21वीं सदी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, रोज ढिंढोरा पीटते हैं, कि 21वीं सदी में जायेंगे।

क्या 21वीं सदी में टूटी-फूटी बसों को लेकर जायेंगे या स्वर्ग में ले जाने वाली बसों को लेकर जायेंगे ? ऐसी परिस्थिति में अनुरोध करूंगा कि बढ़ती हुई आबादी को देखकर व्यवस्था करें कि बसों की संख्या अधिक हो सके और सुविधायें भी अधिक हो सकें ।

1985-86 में जो बजट पिछले साल आया था उसमें आपने बताया था कि हम 1500 बसें और खरीदेंगे । अब तक आपने 1237 बसें खरीदी हैं । श्रीमन्, 1986-87 में जो आपने बसें खरीदने की व्यवस्था की है वह 1233 बसें हैं । यह सारे आंकड़े आपके ही बताये हुए हैं, आज जो कुछ परिस्थितियां हैं उन्हें आप ठीक से नहीं देख रहे हैं । जनसंख्या की गति तेजी के साथ बढ़ रही है । बसों में चढ़ने वालों की संख्या निकट भविष्य में अत्यधिक बढ़ने वाली है, इसको आप नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं। बसों के लिये जो कुछ व्यवस्था करनी है उसके अनुरूप आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को देखिए और उसी हिसाब से बसों को एडजस्ट करने का प्रयत्न करिये । यह किसी से छिपा नहीं है कि आपका विभाग घाटे में चल रहा है जिसका मुख्य कारण है करप्शन या भ्रष्टाचार । यदि आप चाहते हैं कि यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की कमियां दूर हों और इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ हो तो आप पहले भ्रष्टाचार को कम करिये । मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं वहां वाराणसी मण्डल में आपका आर0 टी0 ओ0 एक-एक परमिट देने के लिये दस-दस हजार रुपये लेता है ।

डा0 संजय सिंह–

(बैठे ही बैठे) बहुत कम लेता है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मुझे प्रसन्नता है कि आप कहते हैं कि यह तो सस्ता है, आप इसके लिए प्रयास करें कि सारी बातें सही हो सकें ।

ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चूंकि नए हैं आप कुछ ऐसा प्रयास करिए कि यह बजट का उपयोग ठीक तरीके से हो सके । बलिया जनपद में एक वर्कशाप है, बस स्टेशन है, लेकिन वह ऐसी जगह पर है जहां बहुत सघन बस्ती है और बहुत भीड़-भाड़ रहती है जिससे बसों के आवागमन में कठिनाई पैदा होती है । मेरी प्रार्थना है कि इस स्टेशन को स्थानान्तरित करा दें और ऐसी जगह पर इसे रखें जहां कि भीड़ कम हो और बसें सुचारु रूप से चल सकें ।

इसके अतिरिक्त जैसे अमेठी से प्रदेश के हर एक भाग में बसों के भेजे जाने की व्यवस्था आपने की है, वैसे ही आप बलिया जनपद में भी व्यवस्था करें और बलिया से पटना और बलिया से रांची आदि स्थानों पर बसों को चलाने का प्रयास करें । आपने कहा कि बलिया जनपद को 10 बसें देंगे जिसमें अभी तक वहां पर पांच ही बसें पहुंची हैं । आप वहां दसों बसों को भिजवाने का काम करें ।

मंत्री जी का चेहरा इस पुस्तिका में बड़ा अच्छा छपा है, आप बलिया के लिए भी अच्छा काम करिए जिससे कि आप की फोटो वहां की जनता भी इसी अच्छे चेहरे की तरह छापे। मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि बलिया में 10 कि0 मी0 दूरी तय करने के लिए सिटी बस की व्यवस्था की जाय, मैं अपनी इसी बात पर फिर बल देता हूं और बलिया के लिए सिटी बस चलाने की मांग करता हूं । इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गजराज सिंह–

परम आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर बोलने का अवसर दिया है ।

मान्यवर, मंत्री जी ने एक क्रान्तिकारी बजट पेश किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य को मैं उस समय को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय उनका शासन तीन साल के लिए था तो उस समय बसें खटारा के रूप में छकड़ा बनी हुई थीं । आज मंत्री जी के पास कम साधन होने के बावजूद भी बसों में सुधार हुआ है। मान्यवर, आप देखते हैं कि कमियां तो हर स्थान पर होती हैं । लेकिन कमी के साथ अच्छाइयां भी तो होती हैं ।

मान्यवर, कम साधन होने के बावजूद भी मंत्री जी ने प्रदेश हित में जितना प्रयास किया है, वह बड़ा अनोखा है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ अपने क्षेत्र की बातें कहना चाहता हूं । मैं हापुड़ विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, जो गाजियाबाद जिले में पड़ता है । वहां पर जो मुरादाबाद आदि नगरों से बसें आती हैं, वह परिवहन अड्डे पर नहीं जाती हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि सभी बसें परिवहन अड्डे तक जरूर जायें। मान्यवर, परिवहन अड्डों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यात्री पानी के लिए मारे-मारे फिरते हैं । अधिकतर बस अड्डों के शौचालय साफ नहीं होते हैं, इस ओर भी आप विचार करें । मान्यवर, आप देखें, मेरठ के अन्दर कुछ बसें मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग पर लगायी गयी थीं और प्राइवेट बसों को हटाने का प्रयास था, मुझे खुद 7-8 बार जाने का अवसर मिला है और देखा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारी सवारियों को उचित स्थान से नहीं लेते । वह सवारियां प्राइवेट बसों से चली जाती हैं, जिससे परिवहन निगम को काफी हानि होती है । मान्यवर, आप उन अधिकारियों को निर्देश दें कि जहां पर सवारियां हों या कम से कम बस स्टैण्ड हो वहां डाइवर गाड़ी अवश्य रोके। मान्यवर, इसी तरह से दुर्घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको 5 हजार रुपये और अधिक अब मिलेंगे, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । इसके साथ ही साथ मान्यवर, गढ़-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग है, पिछले 30 वर्षों से उपेक्षित है । इस मार्ग पर उतनी ही बसें चल रही हैं जितनी पहले चल रही थी, जबकि आबादी कई गुनी हो गयी है । इस मार्ग पर कुछ बसें और चलाई जानी चाहिए और नई बसों को परमिट दिया जाना चाहिए, मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में मिनी बसें या मेटाडोर भी चलाई जा सकती हैं । मेरठ मंडल के आयुक्त ने यह घोषणा की थी कि यहां पर 25-25 किमी0 के अन्दर मेटाडोर के परमिट दिये जायेंगे । लेकिन यह अभी नहीं हो पाया है । आप शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या की ओर देखें जिससे लोगों को राहत मिल सके । बच्चे स्कूल जाते हैं, इस रोड पर लगभग 6 स्कूल पड़ते हैं, बच्चे बस के पीछे लटक कर जाते हैं, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं । मान्यवर, एस0 एन0 डी0 कालेज हापुड़ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कालेज है इस कालेज के पास लगभग एक साल में कम से कम एक दर्जन दुर्घटनायें हुई हैं, अगर आप रिकार्ड मंगवा कर देखें, तो आपको मालूम हो

जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस मार्ग पर कुछ और बसों के परमिट देने की कृपा करें और मेरे इस सुझाव पर विचार करें, जिससे यहां की जनता को राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवहन बजट प्रस्ताव की प्रशंसा में बहुत कुछ बोल रहे थे, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता दल के माननीय सदस्यों ने बस से यात्रा नहीं की है अगर वे यात्रा किये होते तो उनको अनुभव हो जाता और यह भी अनुभव हो जाता कि रास्ते में बसें रुक जाती हैं और धक्का लगाना पड़ता है । इन बसों का हार्न के अलावा और सब कुछ बजता है और जो सुधार विभाग द्वारा किये गये उनसे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है । बसों को प्रतिदिन जितनी दूरी तक चलना चाहिये उसकी 56 प्रतिशत दूरी ही बसें चल रही हैं । सन् 1983 में कन्डक्टरों का चयन हुआ था, उनको ट्रेनिंग दी गयी थी और ड्यूटी भी दी गयी थी, उन कन्डक्टरों को निकाल दिया गया और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन किया जेल गए और अब पता चला है कि उनके स्थान पर नई भरती की जा रही है । अब मैं उन्नाव जिले के बारे में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

मान्यवर, उन्नाव जिले में अभी एक वर्ष पहले बाई पास पर एक बस स्टेशन खोला गया था उससे परिवहन विभाग को लाखों रुपये की महीने में आमदनी हो रही थी यात्री भी लाभान्वित हो रहे थे। वह स्टेशन 4–5 दिन पहले उच्च अधिकारियों ने अपने मनोरंजन के लिए बन्द कर दिया । उन्नाव की पुरवा तहसील में 6 बस स्टेशन थे जिनको बन्द कर दिया गया। मौरावां बस स्टेशन बन्द हो गया जिससे लाखों रुपये की आमदनी थी, पुरवा तहसील केन्द्र का जो बस स्टेशन है वहां से हजारों रुपये की आमदनी थी वह भी अधिकारियों ने अपने मनोरंजन के लिए बन्द कर दिया । पुरवा तहसील के बक्सर, तकिया बीघापुर और बिहार बस स्टेशन ये सब बिना किसी नियम के बन्द कर दिये गये हैं। एक तरफ बस स्टेशन व बसें बन्द हो रही हैं, बसें खटारा होती जा रही हैं और दूसरी तरफ उधर के माननीय सदस्य वाहवाही कर रहे हैं। अभी उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि विरोधी दल के लोग बसों को रोका करते हैं अगर अराजकता के विरोध के नाम पर, महंगाई के विरोध के नाम पर भ्रष्टाचार के विरोध के नाम पर कुछ बसें रोक दी गईं तो आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। यहां तो माननीय सदस्य हवाई जहाज को रोका करते थे उन पर कोई चिन्ता आपने नहीं व्यक्त की । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमिताभ लवानियां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, आगरा क्षेत्र के अन्तर्गत एक फाउन्ड्री नगर डिपो स्थापित किया गया था । गत वर्ष उसको 34 बसों का बेड़ा दिया गया था। फाउन्ड्री नगर डिपो को जो बसें दी गयी

थीं वह आक्शन की थीं फिर भी डिपो से काफी फायदा परिवहन विभाग को हुआ लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह बसें घटा कर 17 कर दी गयी हैं । फाउन्ड्री नगर डिपो से खन्दौली, सादाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा तथा जलेसर, आगरा, एत्मादपुर, टुण्डला और फिरोजाबाद ग्रामीण अंचलों में बसें संचालित होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह फाउण्ड्री नगर डिपो को खत्म न करें बल्कि बसों को अधिक बढ़ाने की कोशिश करें।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं हमारे क्षेत्र फतेहाबाद आगरा से समसाबाद और आगरा से कुर्रीचित्तरपुर, इरादत नगर वासा समसाबाद बस चलती हैं । 2 बसें अभी मेरे ही आग्रह पर वहां के आर0 एम0ने संचालित कीं लेकिन किन्हीं कारणों वश 15 दिनों से वह बसें नहीं चल रही हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे पर लिखें । ताकि वहां के लोगों को परेशानी न हो।

मान्यवर, एत्मादपुर आगरा की अनाज की बहुत बड़ी मण्डी है और आज तक वहां कोई बस स्टेशन की स्थापना नहीं की गयी है । वहां तहसील हेडक्वार्टर है । एक ही कमरे का बस स्टेशन बना हुआ है और उसी से बसों का आवागमन संचालित किया जाता है । वहां पर कई बार भयंकर एक्सीडेन्ट हुए हैं, बस स्टैण्ड न होने की वजह से, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक बस स्टेशन स्थापित कराने का कष्ट करें । इसके अलावा आगरा से जलेसर रोड पर डग्गामार बसों की बाढ़ सी आ गयी है इन डग्गामार बसों की वजह से निगम को घाटा हो रहा है । ये डग्गामार बसें वहां कई रूटों पर चल रही हैं । आगरा से फतेहाबाद, आगरा से जलेसर और आगरा से एत्मादपुर आदि स्थानों पर जाती हैं । इनसे परिवहन निगम को घाटा हो रहा है अतः मेरी मांग है कि इन रूटों पर इन बसों को बन्द करवाया जाय और निगम की बसों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाय ताकि निगम को फायदा हो सके।

दूसरे इन्टर-स्टेट बसें जो चलती हैं वे बीच में नहीं रुकती हैं । आगरा से राजाखेड़ा, धौलपुर होते हुये ये इन्टर स्टेट बसें राजस्थान को जाती हैं । बीच में समसाबाद चौराहा पड़ता है लेकिन वह बसें वहां पर नहीं रुकती हैं । तमाम यात्री बसों की इन्तजारी में खड़े रहते हैं। अतः मेरी मांग है कि ये इन्टर स्टेट बसें जो किसी सिटी से होते हुये जाती हैं वे हर सिटी में हर नोटिफाइड एरिया में रुकें ताकि जनता को उससे फायदा हो सके ।

अब मैं बसों के समय के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं । कभी-कभी ये बसें एक साथ दो-दो, चार-चार और छः छः चलती हैं और कभी चार-छः घन्टे तक कोई बस नहीं आती है । यात्री खड़े-खड़े इन्तजार करते रहते हैं और बसों के अभाव में अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं । इसलिये आप इन बसों में समय की पाबन्दी करा दें और अपने निगम के परिचालकों और चालकों को यह हिदायत दे दें ताकि समय पर बसें उन स्थानों पर पहुंचें जिससे लोगों को सुविधा हो सके ।

एक सुझाव और देना चाहूंगा कि एत्मादपुर, खन्दौली, टुन्डला, फतेहाबाद, समसाबाद मार्ग पर जो बसें चलती हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए वहां पर ज्यादा बसें चलवाने का मंत्री जी कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

प्रधान प्रभु दयाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने

का मौका दिया । मान्यवर, मुझे डाक्टर संजय सिंह को राजा कहने पर एक बात याद आ गई । एक राजा था । जब वह अपने दरबार में बैठा तो उसने दरबार में बैठकर कहा कि बैंगन बुरी चीज है इस पर उसके दरबारियों ने कहा, हां साहब, बहुत बुरी चीज है । इसका रंग भी काला है, सिर पर डंडा भी ठुका है, पत्तियों के बीच में छिपा रहता है । फिर राजा साहब ने कहा कि इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो इस पर दरबारियों ने कहा कि हां, साहब सब्जी बहुत अच्छी बनती है, रंग भी इतना मजबूत है, पक्का है कि बारिश में भी नहीं जाता है, और सर पर ताज है इतना शर्मीला है कि पत्तियों के बीच में छिपा रहता है । तब राजा ने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे कि बैंगन बहुत बुरी चीज है और फिर कहते हो कि बहुत अच्छी चीज है तो इस पर दरबारी कहने लगे कि राजा साहब हम बंधुवा मजदूर आपके हैं, बैंगन के थोड़े ही हैं।

वही बात आज इस सरकार के इन सब साथियों पर लागू होती है। हम सच बात कहते हैं तो वह भी उन्हें बुरी लगती है। मान्यवर, मैं इस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा । एक आपके यहां आर0 डी0 मिश्रा परिवहन के डिप्टी कमिश्नर मेरठ हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर-मीरापुर-बहसमा रोड पर परमिट देने के संबंध में लाखों रुपये के घुटाले के लिये वह 7 फरवरी को सस्पेंड किया गया था । जैसे ही सस्पेण्ड का उनको पता चला वे फरार हो गये । 22 फरवरी तक गायब रहे । लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने फिर दुबारा चार्ज ले लिया । इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । इसी तरह से किठौर, मवाना, हस्तिनापुर पर 6 बसें चलती थीं । उस समय जोजेफ साहब डी0 एम0 थे, इन बसों में घाटा दिखाकर उन बसों को बन्द करवा दिया गया आज तक वह बस बार-बार कहने पर भी नहीं चली । . . . . . (व्यवधान)

एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं कि आपकी एक बस में दो-दो सौ सवारियां तक चलती हैं । आपके ड्राइवर्स, प्राइवेट मालिकों से मिलकर अपनी गाड़ी को इन प्राइवेट गाड़ियों के पीछे-पीछे अपना नम्बर लगा लेते हैं और सवारी नहीं उठाती हैं। सवारियां प्राइवेट वाले ढोते रहते हैं और डीजल और पेट्रोल आपकी गाड़ियां पीछे-पीछे फूकती हैं इसी लिये आपका विभाग घाटे में जा रहा है और बेईमानी से घाटे में जा रहा है। यह बिलकुल सही बात है जैसा मेरे साथी ने अभी कहा कि जब से राजा साहब आये हैं बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन विभाग में हुआ है इसका मतलब हुआ कि पिछले जितने भी मंत्री हुए वे बिलकुल बेकार थे और जो कुछ अब हो रहा है यह इनके ही जमाने में हो रहा है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर किसी भले आदमी से पूछेंगे जिसने आपकी बसों में सफर किया हो कि साहब आपकी पैन्ट कैसे फट गयी तो वह कहता है कि रोडवेज की बस की खिड़की से फट गयी और पीछे से कैसे कट गयी तो वह कहता है गद्दी से कट गयी, किसी से पूछें कि तुम्हारी टोपी कैसे फटी तो कहता है रोडवेज की बस की छत से फट गयी । तो यह आपके रोडवेज का हाल है और आप यहां तबेले करते हो। मुझ जैसा बुढ्ढा आदमी को धक्के लगाते-लगाते थक जाता है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और राजा

साहब का नहीं इनके परिवहन निगम के बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, यह विभाग गति से संबंधित है । यह प्रसन्नता का विषय है कि इस विभाग के मंत्री एक गतिशील व्यक्ति, एक साफ सुथरे एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। श्री मन्, वर्मा जी के भाषण को सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है । आज से एक चौथाई शताब्दी पूर्व अमेरिका के एक प्रोफेसर पाल आर ब्रास ने एक पुस्तक लिखी थी। ''फ्रैक्शनल पालिटिक्स इन एने इंडियन स्टेट'' उन्होंने उक्त पुस्तक में लिखा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ एसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने पद से जाने जाते हैं और कुछ एसे व्यक्ति हैं जो अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं । यह प्रसन्नता का विषय है कि नई पीढ़ी में संजय सिंह जी एसे व्यक्तियों में से हैं जिनकी पहचान उनके व्यक्तित्व से उनके साफ सुथरे जीवन से होती है न कि पद से । जहां तक राजा होने का प्रश्न है श्रीमन्, भारतवर्ष में राजा तो हर्ष भी हुए हैं, राजा अशोक भी हुए हैं और राजा अकबर भी हुए हैं। राजा पर मर्यादा की रक्षा करने का सबसे बड़ा दायित्व होता है । संजय सिंह जी आज विधान सभा के सदस्य हैं मंत्री परिषद के सदस्य हैं । माननीय वर्मा जी आंकड़ों के जाल में फंसे रहे । आपको तथ्यों को भी स्वीकार करना चाहिये और श्रीमन्, यह विभाग अग्निपरीक्षा का विभाग है एवं अपनी मर्यादाओं की रक्षा कुशलता पूर्वक कर रहे हैं और देखना यह है कि मंत्री जी कितनी सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहे हैं। एक नौजवान होने के नाते उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, घिसे पिटे तरीकों से अलग होकर उन्होंने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण किया है । आप जरा देखें कि इतना बड़ा प्रदेश है। चीन की सीमा धारचूला से मिर्जापुर तक बस सर्विस को गतिशील रखना होता है। इसलिए प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जरूरी था क्योंकि निर्देश देने की आवश्यकता हर स्तर पर होती है । यह काम उन्होंने एक आधुनिक तरीके से किया है प्रशासनिक तंत्र के विकेन्द्रीकरण को उन्होंने एक विशिष्ट कंसलटेंसी सर्विस की राय से किया है ।

माननीय वर्मा जी ने दूसरी बात कही कि मंत्री जी कर्मचारियों से मिलना नहीं चाहते हैं । उन्होंने लगता है पूरा बजट पढ़ा नहीं, माननीय मंत्री जी एक एक एतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं कर्मचारियों को मैनेजमेन्ट में भागीदार बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन केन्द्रीय वर्कशाप कानपुर में कर्मचारियों को उसके संचालन में साझेदारी देने जा रहे हैं । मुझे खेद है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कटौती का प्रस्ताव कर रहे हैं उन्होंने बजट को पढ़ने का कष्ट नहीं किया ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, बजट की जितनी प्रसंशा की जाय कम है। विरोधी दल को भी माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहिए। मान्यवर, यह विभाग अपने में एक समस्या प्रधान विभाग माना जाता है। दुर्घटनाओं की बात ले लीजिए। दुर्घटनायें अमेरिका में भी होती हैं। बोइंग विमान वहीं बनता है और उसकी भी दुर्घटनायें होती हैं, विकसित देश अमेरिका में । हमारे प्रदेश में हमारे परिवहन निगम को सील्ड मिली है कि और प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश में कम दुर्घटनायें बसों में हुई हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का यह विभाग पर्यायवाची रहा है। यह स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार से संबंध रखने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से डरेंगे । जो भ्रष्टाचार से संबंध नहीं रखता है। ऐसा मंत्री आ गया है कि जो अनधिकृत रूप से बसें नहीं चलाने देगा जो आर0टी0ओ0 कार्यालय में दलाली नहीं चलने देगा और दोषी पाये जाने पर अधिकारी को निलम्बित करेगा । मान्यवर, हमारे मंत्री जी संकीर्ण दृष्टिकोण से यह विभाग नहीं चला रहे हैं बल्कि उनका व्यवहारिक और प्रदेश की उन्नति का दृष्टिकोण है। यही परेशानी है हमारे विरोध पक्ष के मित्रों को।

मान्यवर, बहुत सी चर्चायें हुई हैं जिनके संबंध में हमारे साथियों ने कहा है। अब मैं कानपुर शहर के संबंध में कहना चाहता हूं कि कानपुर शहर की नगर बस की व्यवस्था नगण्य सी है जबकि कानपुर ए क्लास सिटी है, 30 लाख आबादी है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि कानपुर शहर की सिटी बस के संबंध में वहां की जनता में जो कुंठायें व्याप्त हैं उनको दूर करने की तरफ मंत्री जी ध्यान दें एवं कानपुर के विषय को एक विशेष स्तर पर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, सत्ता पार्टी के बहुत से साथी बड़ी ही संजीदगी के साथ मंत्री जी की साख, शान शौकत और उनके कारनामों का बखान कर रहे हैं और यह भी कहते हैं कि विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं वह सिर्फ आलोचना के तौर पर कह रहे हैं। मान्यवर, मैं इलाहाबाद से संबंध रखता हूं और उससे मंत्री जी भी रिश्ता रखते हैं और मंत्री जी की बहिन की शादी मांडा, इलाहाबाद में हुई है। मंत्री जी पिछली फरवरी के महीने में 11 बार इलाहाबाद दौरा करने के लिये गये हैं। मंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि बजट में बढ़ोत्तरी होती जा रही है और हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और बसों को संसाधनों की कमी के कारण नहीं चला पायेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जैसे राजघराने से हैं वैसे ही आपका नजरिया भी राजमहलों को बसों से जोड़ने का हो गया है और आपका नजरिया राजमहलों तक ही सीमित हो गया है। मान्यवर, वह मांडा महल का अभी उद्घाटन करने गये थे, तो उन्होंने मांडा महल को अमेठी से जोड़ने का काम किया है और मांडा से अमेठी को बस जाती है, अमेठी से प्रतापगढ़ के राजा के यहां और वहां से बनारस के राजा के यहां बस जाती है और वहां से बस चली तो राजा समथर के यहां तक वह बस जाती है। इस प्रकार 12 सिटी बसें राजमहलों को जोड़ी गयी हैं। मान्यवर, पिछली बार इसी सदन में कहा गया था कि इलाहाबाद में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और कहा था कि वहां पर जो बसों में पुराने इंजन को बदलकर नये इंजन लगायेंगे उसके संबंध में कोई कार्यवाही आपने नहीं किया है। मान्यवर, मैं समझ रहा था कि मंत्री जी ने इलाहाबाद को बसें देने का काम किया मैं बधाई देना चाहता हूं।

बधाई इसलिए दे रहा हूं कि आपने किस तरह बसों का प्राविधान किया है। आपने वहां पर शहरों में बसें देने का कार्य किया है, राजघराने में बसें देने का कार्य किया है, किन्तु कहीं पर देहातों में आपने बस नहीं दी है। वहां पर कौशाम्बी एक ऐतिहासिक स्थल है, उसको बस से नहीं जोड़ा गया है।

* वक्ता ने भाषण का पुनरावलोकन नहीं किया।

वहां पर श्रृंगेरपुर पर ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थल है। श्रीमती इंदिरागांधी जिस जमाने में थी, वह वहां गई थीं और उन्होंने वहां पर कहा था कि इलाहाबाद में यदि कोई ऐतिहासिक स्थल है, तो उसको बस मार्ग से जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। न कोई बस विन्ध्याचल को जाती है।

आपने कहा था कि विभाग में बहुत से गलत लोग हैं जिनको बहुत दिन हो गये हैं उनको हटायेंगे और नये और नवजवान लोगों को ज्यादा रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। किन्तु आप अपने विभाग में इस भावना के विपरीत काम कर रहे हैं। आपके यहां एक यू0के0 सिंह हैं, जिनको दो बार, रिटायर होने के बाद, एक्सटेंशन देने का कार्य किया गया है। जो आप राजमहलों को जोड़ रहे हैं तो उससे प्रदेश का कोई हित होने वाला नहीं है। अब तो आप सड़कों पर चल रहे हैं, जनता की राजनीति कर रहे हैं, तो आप गांवों को शहरों से जोड़ने का काम कीजिए, तो लोग समझेंगे कि आप अपना कार्य ठीक से और व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। आप अमेठी को ही नहीं, और जगहों, जिलों के मुख्य-मुख्य स्थानों को बसों से जोड़ने का काम कीजिए। यदि आप यह करेंगे तो आपसे हमको कोई शिकायत नहीं होगी। जो आप कह रहे हैं कि आप बसों के बंटवारे में और टिकटों के मामले में महाराष्ट्र की तरह की व्यवस्था करेंगे तो वह ठीक बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से 50 साल पीछे रहेगा। गलत टिकटों और जाली तथा डबल टिकटों की छपाई के बारे में कहना चाहता हूं कि जब विभाग के लोग ही उस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं तो वह अपने अभियान में कतई सफल नहीं हो पायेंगे चाहे कितनी सफाई करने का प्रयास करें। आपने कहा कि नाजायज टैक्सियां और बसें नहीं चल रही हैं। आप निश्चित रूप से 10 बार इलाहाबाद जाते हैं, आपकी बहन वहां हैं, इसलिए जाते हैं, आप जी0टी0 रोड का अकेले दौरा कीजिए तो वहां पर ऐसी नाजायद बसों की संख्या डेढ़ सौ से कम निकल जाए तो मैं मानने के लिए आपकी बात तैयार हो जाऊंगा। इसके साथ मैं अपने साथी वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, आपने परिवहन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित करता है कि दुराग्रह से ग्रसित मन से उन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। जहां इन्होंने कारण दिया है, आलोचना का कोई भी सुदृढ़ आधार या सुझाव नहीं दिया है। अभी हमारे चौधरी प्रभुदयाल जी ने बड़े जोर-शोर से बैंगन का जिक्र किया है और वर्मा जी ने जैसा कि मंत्री जी को राजा-मंत्री की संज्ञा दी है, तो राजा दो प्रकार के होते हैं—एक निरंकुश राजा और एक न्यायविद् राजा। मैं एक ऐसे राजा की प्रशंसा कर रहा हूं जो न्यायविद है, किन्तु आपने तो 77 से 80 तक ऐसे राजा की प्रशंसा की है जो निरंकुश राजा था। पर इसका मुझको दुख नहीं है, वह तो रिमोट कन्ट्रोल से नियंत्रित हो रहे हैं, जो 12-तुगलक रोड में बैठता है।

परिवहन विभाग में हुए काम को देखिए तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 250 करोड़ रुपये का विभाग के लिए प्राविधान किया गया है। उसमें से 6777 नई बसों का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 5553 पुरानी बसों को पुरःस्थापित

करने के लिए है और 12 सौ नई बसें नये रूट्स पर चलने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही 1043 नई बसें नये साल में पुर:स्थापित की जाएंगी। मान्यवर, हमने कितनी तरक्की एक साल में की है यह इस बात से परिलक्षित होता है कि डीजल, मोबिल आयल, कर्मचारियों के वेतन के बढ़ने के बावजूद, 48223 व्यक्तियों को इस निगम में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तो उनके वेतन के बढ़ने के बावजूद आपको यह प्रशंसा करनी चाहिये, माननीय प्रभुदयाल जी को और माननीय वर्मा जी को कि किसी तरह की बढ़ोत्तरी किराये में नहीं की गयी है। किराये की दर को स्थिर करके हमने इस प्रदेश की जनता को सुविधा दी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 1.43 करोड़ रुपये का घाटा कम किया यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल हमारा घाटा 7.92 करोड़ रुपये था और इस वर्ष का घाटा 6.88 करोड़ रुपये का हुआ है। तो हमने घाटे में कमी की है यह हमारी एक उपलब्धि रही है। इस वर्ष प्रतिकिलोमीटर 35 पैसे आय में वृद्धि हुयी है तो यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है। दूसरी बात सोचने की है जिसको हमारे विरोधी दल के साथी सोचें। 1984-85 में 202 कि0 मी0 प्रति बस प्रति दिन चलायी जायगी। इस वर्ष इसमें सुधार हुआ है और 1985-86 में 214 कि0मी0 प्रति दिन प्रति बस चली है। अगले साल के लिये भी हमारे मंत्री जी ने इसको निर्धारित कर दिया है कि अगले साल 220 कि0 मी0 प्रति बस प्रति दिन चलायी जायगी। कार्यशालाओं को संगठित करने में हमारे मंत्री जी ने एक अपना तकनीकी विचार रखा है और इनको सुदृढ़ करने का प्रोग्राम रखा है। 4 क्षेत्रों में हमारी कार्यशालायें काम करेंगी। 30 डिपो कार्यशालाओं का प्राविधान अगले साल के लिये किया गया है तो इस तरह से इस विभाग में तरक्की की जा रही है। इस विभाग में 6286 बसें, 154 ट्रक, 52 टैक्सियां हैं। इस वर्ष 2,63,158 किलोमीटर हमारी बसों ने तय किया है यह एक रिकार्ड है। एक उपलब्धि को और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो मोटर दुर्घटनायें होती हैं उसमें मरने वालों को 15 हजार रुपये, जो विकलांग हो जाते हैं उनके लिये साढ़े 7 हजार रुपये देने का प्राविधान किया है। इतना ही नहीं मोटर यान संशोधन अधिनियम 1882 के अनुसार ऐसा प्राविधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा वाहन किसी को टक्कर मार कर भाग जाता है जिसका नम्बर उसमें न पड़ा हो तो उसमें मरने वाले को 5 हजार रुपये और विकलांग होने वाले के लिये 2 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है तो आपको इसके लिये आभार व्यक्त करना चाहिये। इसके अलावा मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ट्रैक्टर ट्राली हैं उनका अनुबन्ध (रजिस्ट्रेशन) किया जाना चाहिये और उनको परमिट दिया जाना चाहिये यह मेरा सुझाव है। इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह है कि जो मैटाडोर चल रही हैं उनमें 7 व्यक्तियों को ले जाने का परमिट होता है लेकिन 20-20 सवारियां वे लोग बैठाते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि 14 व्यक्तियों का परमिट कर देना चाहिये ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़े। 14 आदमियों का परमिट करने पर भी वे लोग 20-20 सवारियां बैठायेंगे लेकिन अगर 14 आदमियों का परमिट कर दिया जाय हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि हमारे यहां बसों में मोबिल आयल और डीजल का कंज्म्पशन दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है तो इसके बारे में तक-

नीकी राय लें जिससे बसों में मोबिल आयल और डीजल का कंज्म्पशन कम हो। हमारे विरोध पक्ष के लोग आलोचना करते हैं लेकिन अगर आप पंजाब, हरियाणा में जाकर देखें तो वहां के लोग हमारी बसों में बैठना पसंद करते हैं। जो बसें हरिद्वार से अमृतसर, शिमला, चंडीगढ़ जा रही हैं उन गाड़ियों में वहां के लोग बैठते हैं तो इसके लिये आपको हमारी प्रशंसा करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावक माननीय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप अपने उत्तर भाषण के लिये कितना समय लेंगे? यह बता दें ताकि उसके अनुसार समय का बंटवारा कर दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आधा घंटा लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप 10 मिनट में अपना भाषण खत्म कर दीजियेगा।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी भाई सुरेन्द्र कपिल जी जब बोल रहे थे तो मैं बड़ा आश्चर्य चकित था कि वह कौन सी तरक्की का पैमाना ले आये जिससे यह कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में परिवहन निगम तरक्की कर रहा है? उन आंकड़ों को तो मैं बाद में जानना चाहूंगा लेकिन सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि मोटर विहिकिल्स एक्ट की धारा 68-सी और 68-डी के अंतर्गत आपके पास केवल 2800 मार्ग हैं, जिनमें से 1794 मार्गों पर आप चलते हैं और कुल 52 हजार मैदानी क्षेत्र की सड़कें हैं जिनमें से आप 24 हजार पर चलते हैं, बाकी 28 हजार प्राईवेट सेवाओं के लिए छोड़ रखा है, उसमें से भी 7 हजार पर केवल 68-सी की कार्यवाही हो रही है। जिस पर न तो प्राईवेट बसें ही चल सकती हैं और न ही सरकारी बसें चलती हैं, जो पहले से चलती थीं, वही चलती रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जबकि उस पर यात्रियों का भार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन रूट्स पर 68-डी की कार्यवाही करके या तो अपनी बसें चलवाइए या फिर 68-सी के तहत उसे वापस ले लीजिए तो प्राईवेट बसें चल सकें। मैं प्राईवेट बस वालों की यहां पर सिफारिश नहीं कर रहा हूं केवल इस लिए कह रहा हूं कि आज जो हर सड़क पर यात्री भार बढ़ रहा है, उसके अनुसार आपकी बसें नहीं चल रहीं हैं जिससे जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। इसी सेवा को अगर आप अपने दूसरे प्रदेशों की ओर देखें जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो कहीं ज्यादा आप से आगे हैं। कपिल साहब यहां हैं नहीं, जो बड़ा धन्यवाद देकर चले गये जब कि उत्तर प्रदेश की अभी केवल 220 कि0 मी0 ही प्रतिदिन बसें यह चला पाये हैं और कहा है कि आगे 224 कि0 मी0 तक कर लेंगे जबकि महालेखाकार ने एक औसत निर्धारित कर दी थी कि यदि यहां की बसें रोजाना 250 कि0मी0 चलेंगी तो वह अपना घाटा पूरा कर सकती हैं। यह 220 पर ही मा0 कपिल साहब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, मैं उनका ध्यान गुजरात, केरल और आंध्रा की तरफ ले जाना चाहता हूं जो इनसे छोटे प्रदेश हैं वह इनसे कितना अधिक प्रतिदिन चल रहे हैं। गुजरात-280 कि0 मी0, केरल-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

282 कि0 मी0 और आंध्रा-307 कि0 मी0 प्रति दिन चलाते हैं। और यह 220 कि0मी0 पर ही बधाई पर बधाई दे रहे हैं और मेजें थपथपा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर आप अपना घाटा पूरा करना चाहते हैं तो जो आपने तमाम मार्गों को ले रखा है, जिन पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है, अगर अपना सही प्रकार से नियंत्रण चाहते हैं तो उन छोटे मार्गों को आप छोड़ दें और आप केवल बड़े-बड़े मार्गों में चलिए। इसमें आपका भी हित है और जनता का भी हित और सुविधा है और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अपनी बसों की दशा की ओर ध्यान दीजिए, आज इनका कोई समय निर्धारित नहीं है। लखनऊ से बस्ती सिर्फ 208 कि0 मी0 है तो 8 घंटे का समय लगता है, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के अस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिवहन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मान्यवर, परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मान्यवर, विपक्ष के जो माननीय सदस्य इस कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, यह किसी से छिपा नहीं है कि आंतरिक रूप से वह भी केवल बधाई ही देने का कार्य कर रहे अभूतपूर्व परिवर्तन जो हुए हैं वह इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्य तथा गैलरी में बैठे हुए जो पत्रकार लोग हैं वह सब जानते हैं कि कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने स्पोर्टमैन की स्पीड से प्रदेश में बसों की कतार खड़ी कर दी है। इसे स्थायित्व प्रदान किया है (बसों की कतार को हरी झंडी दिखाते हुए माननीय संजय सिंह की फोटो जो मैगजीन में थी, वह माननीय सदस्य ने सदन को दिखाई) मान्यवर, यह इस बात का उदाहरण है कि परिवहन मंत्री ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य श्री राकेशधर त्रिपाठी, इलाहाबाद के बारे में कह रहे थे। मान्यवर, कौशाम्बी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। अभी विगत समय में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कौशाम्बी मंझनपुर क्षेत्र में बसें चलाई जायेंगी और हर तीर्थ स्थान से उनको जोड़ा जाएगा। मेलों के बारे में कहना चाहूंगा अभी जितने भी तीर्थ मेलों में बसें चलाई गईं चाहे वह तीर्थ प्रयाग का हो, संगम का हो, हरिद्वार का हो, चाहे अन्य तीर्थ स्थान हों बहुत अच्छी व्यवस्था रही और कटौती के प्रस्ताव में किसी भी स्थान की शिकायत नहीं की गई इससे मालूम होता है कि क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, राजाओं महाराजाओं का जिक्र किया गया, तो यहां पर याद आती है भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहना चाहूंगा। जिन्होंने मांडा में अपनी पूरी जायदाद भू-दान में गरीबों को दान में दे दी, वहां अब भी गरीब लोग बसे हुए हैं। जनता शासन में जब जेल गये। एक राजा होते हुए भी वह साधारण लोगों की तरह जेल में रहे उनके साथ जो नौकर भेजा गया उससे काम न कराकर उन्होंने जेल में भी स्वयं काम किया। वह सब कार्य स्वयं करते थे। उन्होंने कोई विशेष सुविधा नहीं ली। जेल का खाना खाते थे। घर का अच्छा खाना वापस कर देते थे।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मांडा के बारे में कहना चाहूंगा। नगर से जमुना पार मांडा को जो बसें चलाई गई हैं, वह गांव के लोगों को जोड़ती हैं, राजघरानों को नहीं। गंगा पार और जमुना पार के फर्क की बात विपक्ष के माननीय सदस्य राकेशधर जी ने कही, तो मैं कहना चाहूंगा कि जमुनापार और गंगा पार और द्वाबा तीन भागों में है, द्वाबा का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विगत समय में, जो बसों का कार्यक्रम चलाया था, तो पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया था कि अब वह नगर के बजाए गांव की ओर बसों को चलायेंगे, उसमें गंगा पार और द्वाबा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद में जो बच्चों और महिलाओं के लिए बसें चलाई गई हैं, यह अपने आप में एक मिसाल हैं, इससे बजट में घाटा होगा क्योंकि महीने भर से यह बसें खाली चलाई जा रही हैं, इससे राजस्व कुछ समय तक प्राप्त नहीं होगा और यह घाटा ही इस प्रगति की निशानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। मैं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत से साथी कह चुके हैं। अतः इस बारे में कुछ न कह कर केवल कुछ बातें मैं सुझाव के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, परिवहन विभाग ने लगेज की व्यवस्था समाप्त की है इससे वहां जो भार वाहक काम करते थे, वह बेरोजगार हो गये हैं, उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, मेरी जानकारी में इस प्रकार कई हजार परिवार बेरोजगार हो गये हैं और उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। इनके विषय में मा0 मंत्री जी अवश्य विचार करें और उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करें। दूसरी बात जिस प्रकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बसों में कूपन दिया जाता है, मेरा सुझाव है कि उनको आइडेन्टेटी कार्ड दिया जाय तो ठीक होगा क्योंकि बहुत कम पत्रकार बस से यात्रा करते हैं और कूपनों द्वारा होने वाला दुरुपयोग की भी संभावना नहीं रह जाती। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार संघ के लोग उनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिये जिले भर में भ्रमण की। वास्तव में समाचारों का संकलन तो वही लोग करते हैं और गांवों से शहर तक समाचार पहुंचाते हैं। मान्यवर, जो कार्यशालाओं में चोरी होती है, डीजल की मोबिल की जो चोरी होती है उसको रोकने के लिए मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये। परिवहन विभाग में जो कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, देखने में यह आता है कि एक डेढ़ वर्ष तक निलम्बित बने रहते हैं, उनके मामलों का निपटारा नहीं हो पाता है। जो तारीखें सुनवाई की पड़ती हैं, उन पर अधिकारी जाता नहीं हैं और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही से सफर करता है। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। अगर निर्धारित समय में निस्तारण अधिकारियों द्वारा न हो, तो अपने आप

निस्तारित समझ लिये जायं। एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जितने विधान सभा क्षेत्र हैं, उनके प्रमुख केन्द्रों को राजधानी से जोड़ दिया जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र का मुख्य केन्द्र गरौठा तहसील लखनऊ से नहीं जुड़ी है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मंत्री जी से आग्रह कर चुका हूं। मेरा निवेदन है कि इस पर माननीय मंत्री जी अवश्य विचार कर लें। हमारे विधान सभा क्षेत्र के जो पूर्व सदस्य थे, एक तो उनका दुर्भाग्य रहा कि वह जीतकर नहीं आ पाये, उल्टे समथर से जो एक बस चलती थी कोंच के लिए, उसको बन्द कर दिया गया। उसको मान्यवर, आप चलवा दें। मान्यवर, इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अनुबन्धित बसें चलती हैं, उनको प्रतिदिन साढ़े तीन सौ किलोमीटर चलाने की सीमा है। इसके अतिरिक्त कुछ बसें प्रबन्ध निदेशक और क्षेत्रीय प्रबन्धक के आदेश पर सीमा से अधिक चलवायी गयीं। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि उन बसों का साढ़े तीन सौ किलोमीटर का तो भुगतान किया गया लेकिन जो उससे अधिक चली हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया। उनका भुगतान या तो सरकार करे या उस अधिकारी के वेतन से कर लें, जिन्होंने आदेश देकर बसों को निर्धारित सीमा से अधिक चलवाया है। इन शब्दों के साथ मैं श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं डा0 संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और श्री वर्मा द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। डा0 संजय सिंह ने जब से परिवहन विभाग का भार संभाला है, उल्लेखनीय प्रगति हर दिशा में हुई है। आशातीत बसें आयीं हैं। समय का अनुपालन हो रहा है। मरम्मत में इतना ज्यादा सुधार हुआ है कि इस समय 78 प्रतिशत बसें आन रोड हैं जो एक रिकार्ड है। गत वर्ष की तुलना में 3 करोड़ अधिक यात्री वर्ष 1985 में बसों में सफर किये हैं। गत वर्ष की तुलना में 16 करोड़ अधिक आमदनी हुई है। प्रति बस 202 किलोमीटर से बढ़कर 214 किलोमीटर चली। यह 6 हजार से अधिक बसों को फ्लीट के लिए आशातीत सफलता है। जिस प्रकार से बसों की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, उससे जनता में काफी सन्तोष है। भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में दृढ़ता से मंत्री जी ने कार्य किया है। गत वर्ष में एक करोड़ 4 लाख रुपये की, बस सेवा की हानि में केवल एक वर्ष में कमी आयी है। यह एक उल्लेखनीय सफलता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो विकेन्द्रीकरण की योजना है या जो नवीन टिकटों की योजना है, इसको शीघ्र लागू करने से बस सेवाओं में अधिक सुधार होगा और लाभ होगा। इसमें शीघ्रता की जाय। निष्क्रिय कर्मचारियों को माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार सुदृढ़तापूर्वक बाहर निकाला है, यह स्वागत योग्य कदम रहा है। ईंधन के खर्च में बसों में बहुत ही सुधार हुआ है। पहले के प्रति लीटर 4.15 किलोमीटर से 4.23 किलोमीटर की उपलब्धि का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बस सेवाएं पब्लिक सेवाएं हैं। उनको समयबद्ध चलाने से खाली जाना पड़ता है या बहुत सी बसों में सवारियां कम आ पाती हैं, इसलिये बस सेवा में हानि होना लाजमी है। फिर इसकी हानि में हुई कमी उल्लेखनीय है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि प्रति लाख किलोमीटर दुर्घटना में उल्लेखनीय कमी आयी है और इस क्षेत्र में देश में सबसे अच्छा काम करने के लिए हमें शील्ड प्राप्त हुई है। पहले 1981-82 में जहां 612 दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं 1984-1985-86 में घटकर 424 हो गयीं। इस प्रकार एक वर्ष में 200 दुर्घटनाएं कम होकर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 7 हजार बसें क्रय करने से बस सेवाओं में काफी सुधार होना अनिवार्य है और अधिक सुधार होने की आशा है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहूंगा। पहला यह कि बस्ती जिले में एक ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस की स्थापना की जाय। बस्ती जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसकी आबादी 38 लाख है। वहां विकास कार्य तेजी से हो रहा है, इसलिए वहां ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस की स्थापना की जाय। लोगों को इसके लिए गोरखपुर या फैजाबाद जाना पड़ता है जो बहुत असुविधा जनक है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि गत वर्ष जिस तरह से चेकिंग होती थी, उससे भ्रष्टाचार में काफी कमी आयी है। इस चेकिंग को इस वर्ष भी उसी कड़ाई से लागू कीजिये जिससे बस सेवाओं में सुधार होता रहे। इसके अतिरिक्त निगम की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक लिया जाय, इससे भ्रष्टाचार और चोरी कम होगी। यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बस के पास दिये जाते हैं, उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों को अपने जनपद में यात्रा के लिए पास दिये जायं तो ठीक होगा। यद्यपि अनधिकृत बसों को चलने से रोकने की दिशा में मंत्री जी ने काफी कुछ किया है पर कुछ अनधिकृत बसें अभी भी चलती हैं। उनको कठोरता से रोका जाय। खुशी है कि इनको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं परिवहन निगम के बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। पहला यह कि जब 1971 में पाकिस्तान और बंगला देश की जब जंग हुई थी, इस सम्बन्ध में बंगला देश टैक्स के नाम पर एक टैक्स लगाया गया था, जो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अब सरचार्ज की हैसियत से लगा हुआ है और जो हर माह बस मालिक या आपका विभाग कलेक्ट करके शासन में जमा करता है। इसमें लमसम की दशा में 25 परसेंट तक आर0 टी0 ओ0 लगा सकता है। इसमें सुझाव है कि या तो इसको समाप्त किया जायें क्योंकि यह जनता के ऊपर बोझ है या इसमें निर्धारित करके पैसेन्जर टैक्स में शामिल कर दिया जाय और एक साथ जमा कराने के आदेश दिये जायं। दूसरी बात यह है कि अब से दो साल पहले परमिट के रिन्यूवल की अवधि 60 दिन पहले नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र देने की थी जो अब 120 दिन पहले की कर दी गई है। पहले ऐसा इसलिए किया गया था कि गजट करने का समय कम था। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि न तो समय से गजट होता है और न उस समय के अंदर आर0 टी0

ए0 द्वारा रिन्यूवल होता है बल्कि बराबर अस्थायी परमिट लिये जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। और उससे इस तरीके से खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि अगर उसी टाइम के अन्दर गजट करके, उसके खिलाफ आपत्ति न हो तो, बाइसरकुलेशन रिन्यूवल कर दिया जाय।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि एक पाण्डे कमीशन मुकर्रर किया गया था, जो केन्द्र द्वारा था, उसमें यह रखा गया था कि जितने टैक्सेस हैं, वह सब एक जगह शामिल करके, एक ही साथ जोड़ दिये जायें। वह कमीशन हर प्रान्त में गया था, उसने अधिकारियों, प्राइवेट मालिकों और तमाम लोगों से सम्पर्क किया और इस निर्णय पर पहुंचा, जिसकी दो साल पहले गवर्नर महोदय ने भी इसकी घोषणा की थी कि हम सोच रहे हैं कि उस कमीशन के मातहत सब टैक्स एक जगह कर दिये जायं और वह एक जगह जमा करवाये जायं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सब टैक्स एक जगह मिलाकर जमा कराने से आपका समय भी बचेगा और जनता की भी परेशानी बचेगी।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय फिर आपने बहुत से रूट्स 68-सी में नोटिफाई किए हैं। मेरा यह कहना है कि जब तक आपके पहले किये हुए 68-सी वाले रूट्स फाइनल होकर 68-डी न हो जाये, तब तक नये मार्ग न लिये जायं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वे स्वस्थ हैं, उसी तरह से जो लिये गये रूट्स हैं, जब तक वे स्वस्थ न बना लें और व्यवस्थित न हो जायं, तब तक नये रूट न लिये जायं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि माननीय मंत्री जी को किसी रोडवेज के शौचालय में जाने का अवसर न मिला हो, तो वे वहां जाकर स्थिति देख लें। इसके साथ ही यह भी मांग करता हूं कि सभी रोडवेज के स्टेशनों पर सुलभ शौचालयों की व्यवस्था करायी जाय। मान्यवर, वहां तमाम गंदगी व्याप्त रहती है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य श्री हीरासिंह बिष्ट ने मंत्री जी को रंग रोगन देकर क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही है। मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि रंग रोगन में जरूर क्रांतिकारी कदम माननीय मंत्री जी ने उठाया है और मिसाल कायम की है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आफिस पर 3 लाख 32 हजार का जो खर्च हुआ है, उस हिसाब से यह क्रांतिकारी परिवर्तन जरूर किये हैं। दूसरे मंत्रिगण शायद ऐसा खर्चा जल्दी न कर पायें। दूसरे माननीय सदस्य ने यह बात कही कि आप अत्यन्त गतिशील हैं। मान्यवर, इसमें भी दो राय नहीं है। माननीय मंत्री जी 4500 की कुर्सी और 85 हजार की कारपेट में गति करते हैं। एक कारपेट खराब हो गयी तो 85 हजार में दूसरी कारपेट मंगा ली गयी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कुर्सी और कारपेट में ही गतिशील हैं। मान्यवर, जो 1070 बसें खरीदी

गयी है उनकी बाडी बनाने के लिए इन्होंने कोटेशन मांगे थे। जालंधर बाडी मेकिंग से प्रति बाडी 63 हजार का कोटेशन आया, लेकिन उससे बाडी न बनवाकर लखनऊ की ही एक गुप्ता एण्ड गुप्ता कं0 को 79 हजार रु0 में बाडी बनाने का आर्डर दिया गया; जब कि जालंधर बाडी मेकिंग कं0 का कोटेशन 63 हजार का था। मान्यवर, निश्चित रूप से कमीशन का मामला इसमें था। मान्यवर, जहां तक परिवहन विभाग में आरक्षण की बात है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं, राजकुमार हैं। मान्यवर, कोई भी शाही घराने का व्यक्ति हरिजनों और शूद्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए इनके विभाग में आरक्षण पूरा नहीं है। मान्यवर, आप देखें स्पेशल क्लास में केवल 3.03 प्रतिशत है प्रथम क्लास में आफिसर्स में 6.70 प्रतिशत है, क्लास थ्री इम्पलाई में 10.34 प्रतिशत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाय तो केवल 12.03 प्रतिशत आरक्षण हो पाया है। आरक्षण पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये आगे नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने कहा है। अगर आप 1972 से लेकर 1985 तक देखें तो 8 हजार से भी अधिक लोग आपके यहां बढ़े हैं। चूंकि आप हरिजन विरोधी हैं और उन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप द्वेष भावना से आरक्षण को पूरा नहीं कर रहे हो। माननीय मंत्री जी सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे दूर करने के लिए आप रेलवे बोर्ड की तरह एक निष्पक्ष परिवहन बोर्ड का गठन करें। वेतनमानों में आपके यहां विसंगतियां हैं, इसलिए आप विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करें। परिवहन विभाग और परिवहन निगम में जो लगातार घाटा बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके निराकरण के लिए आप इस सदन की एक समिति बना दें, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य हों, जो भ्रष्टाचार और घाटे को देखें और इसे समाप्त करने के लिए अपना सुझाव दें।

उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं हैं, उनका आप राष्ट्रीयकरण करायें ताकि आपकी बसें वहां पर चलें, जिससे आपको अधिक आय होगी। प्राइवेट बसों को आप वहां से हटा दें। घाटे के लिए आपका किराया जिम्मेदार नहीं है अपितु परिवहन निगम की दुर्व्यवस्था जिम्मेदार है। इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। किराये आगे न बढ़ें, इसकी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में घोषणा करें। ओवर लोड होकर जो गाड़ियां जाती हैं, इस पर पाबन्दी लगायें। जिस मैनेजिंग डाइरेक्टर के पीरियड में घाटा बढ़े, उसे निश्चित तौर से सस्पेन्ड करने का आप नियम बनायें। पुर्जों की खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में पहले जो केन्द्रीयकरण की पद्धति लागू थी, जिसे बाद में बन्द कर दिया गया, उसे पुनः लागू किया जाय। बड़े-बड़े कस्बों में तीन स्टापेज के बाद उसमें जो तीसरा स्टापेज हो, वहां पर आप उसके मुख्य-मुख्य पुर्जों की जांच के लिए 3-4 तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करें ताकि एक्सीडेन्ट न होने पाये। आपका जो यह स्टोर है, यहां पर व्यापक धांधलीगर्दी है। प्रत्येक माह स्टोर की चेकिंग की आप व्यवस्था करवायें ताकि वहां पर अनियमितता न होने पाये।

परिवहन निगम को जो घाटा हो रहा है, उसके संबंध में मेरा एक सुझाव है कि आप प्रदेश स्तर पर एक समिति का गठन करें, जिसमें आपके विभाग के विशेषज्ञ लोग हों, तकनीकी लोग हों और जन प्रतिनिधि लोग हों, जो समय-समय पर आपको सुझाव देते रहें। आर0 टी0 ओ0, जो प्राइवेट बसों को चेक करता है, उसे रोडवेज के बसों को चेक करने का भी अधिकार दिया जाय, जिससे इसमें कुछ सुधार होगा। आप परिवहन निगम को फिर से पुनर्गठित करने पर विचार करें। हो सकता है कि कुछ हमारे सुझावों से निगम की अनियमिततायें दूर हो जायं। नो एक्सीडेन्ट में बोनस देने की आपने जो बात कही है, उसमें ड्राइवर के लिए बोनस की धनराशि बहुत कम कर रखी है, इसे आप बढ़ायें ताकि वह उत्साह के साथ गाड़ी चला सके और एक्सीडेन्ट होने से बचाये।

रंग-रोगन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की गाड़ियों को आप देखें, महाराष्ट्र की गाड़ियों को आप देखें वे इतनी अच्छी होती हैं कि अपनी गाड़ियों को देखने में शर्म आती है। इसलिए आप इनकी डेण्टिंग पेण्टिंग की अच्छी व्यवस्था करें। तीसरे अवैध गाड़ियों को रोकने की बात है। आप अधिकारियों को निदेश दें कि अगर अवैध गाड़ी कहीं मिलती है तो उसका चालन करने के बजाय उसकी जब्ती करने का संशोधन नियमों में कर लें। जब इतना कठोर नियम बना लेंगे तो जो अवैध गाड़ियों का चालन बन्द हो जायेगा, जिसके कारण सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, घाटा होता है, यह नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत मार्गों के लिये प्राइवेट बसों के लिये परमिट न दें जिससे कि आपकी बसें चलें। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कुछ जगहों पर प्राइवेट बसें चलती हैं जिससे राजस्व का नुकसान होता है। जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति, बांदा में तो है नहीं और कहीं हो तो पता नहीं, सख्त हिदायत करें कि जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनावें जो 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग बुलवाकर सुझाव देती रहे।

जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप पैसेंजर का किराया नहीं वापस करते हैं, जिसके कारण दूसरी गाड़ी के आने में पैसेंजर को समय बरबाद करना पड़ता है। जब गाड़ी खराब हो जाय तो आदेश करें कि जो पैसेंजर किराया लेना चाहते हैं, उनको किराया वापस करवा दें ताकि उनके समय का नुकसान न हो और वे जिस गाड़ी से चाहें जा सकें और अपने गन्तव्य पर पहुंच सकें।

गाड़ी का चार्ज पूरी तरह से ड्राइवर को दे दें और उसको जिम्मेदारी सौंप दें। अगर गाड़ी के मैण्टीनेन्स में गड़बड़ी हो तो चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करें, फर्जी टिकट को रोकें।

जितने प्रतीक्षालय और शौचालय बने हैं, अत्यन्त गन्दे हैं। जनप्रतिनिधियों को कहें कि चैकिंग करें और यदि वे आपको लिखें तो फौरी व्यवस्था से काम हो। आप कानपुर का देख लीजिये, लखनऊ का देख लीजिये। एक बात सुझाव के तौर पर और कहूंगा कि आपके यहां 240 दिनों से अधिक जो काम कर लेता है, तब भी आप उसकी नियमित नियुक्ति नहीं करते हैं। जब शासन की नीति है कि 240 दिन से ज्यादा काम करने पर कर्मचारी को नियमित नियुक्त कर दिया जायेगा तो इस नीति को सख्ती से लागू करें।

जहां अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एफ0 आई0 आर0 हो चुकी है या घोषणा कर चुके हैं कि निलम्बित कर दिया है, मेरी पक्की जानकारी है कि कोई सुधार नहीं हुआ है। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं या जिनकी घोषणा आपने की है कि अमुक लोगों को बरखास्त किया है और वे अब भी काम कर रहे हैं, अपने इस आदेश को सख्ती से लागू करें और उनको निलम्बित करें। इस पर तुरन्त फौरी कार्यवाही करें।

जो कर्मचारी जनता के सम्पर्क में आते हैं उनके लिये वर्दी की भी व्यवस्था अवश्य करवा दें ताकि यह पता चले कि अमुक ड्राइवर है और अमुक कण्डक्टर है। इससे विभाग का स्टैण्डर्ड भी मैण्टेन होगा और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी जो गरीब हैं, उनके लिये वर्दी की व्यवस्था भी हो जायेगी।

जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन्स हैं, उनके साथ जो सख्ती का माहौल बना रखा है, मेरा आपसे सदन के माध्यम से निवेदन है कि उस ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों को आप बुलवायें और सहानुभूतिपूर्वक बात करें और इस तरह से आपस में यूनियन के और शासन के बीच में टेन्शन है, जिसके होने से कार्यों में ज्यादा रुकावट आती है, वह दूर हो सके। आप उन कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को एक बार फिर बुलवायें और बात करें। एक मान्यवर, आपसे निवेदन है कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपने जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिये 50 बसें देने की बात कही है, मेरा आपसे निवेदन है कि बुन्देलखण्ड के लिये भी आप कुछ बसें देने की व्यवस्था करें। पहले लखनऊ से अतर्रा के लिये रोडवेज की बस चला करती थी, जो अब बन्द हो गयी है। मेरी प्रार्थना है कि लखनऊ से अतर्रा के लिये कम से कम एक बस शाम के 5.00 बजे चलवाने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त एक बात और है कि परिवहन निगम के जो कर्मचारी होते हैं और उनकी मृत्यु यदि उनके सेवाकाल में हो जाती है तो उस मृतक के आश्रितों में से परिवार के किसी सदस्य को अपने विभाग में नियुक्ति नहीं देते हैं। जबकि यह नियम है और शासन के ही नियम है कि मृतक के परिवार में से किसी सदस्य की नियुक्ति दी जाती है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने कर्मचारी की जिसकी कि सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार में से, किसी एक को अवश्य ही अपने यहां नियुक्ति दिया करें शासनादेश के अनुसार।

मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से और विपक्ष के सदस्यों की ओर से जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनका मैं आभारी हूं और इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैं अपने पक्ष के और विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि जो उन्होंने आज के बजट पर अपने अपने सुझाव भी दिये और कुछ सही और कुछ गलत बातें भी कहीं।

माननीय सुरेन्द्र पाल वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा, वे बजट के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से व्यक्तिगत आक्षेप लगाये और निगम के बारे में बातें कहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात ऐसी कही, शायद

उन्होंने महसूस किया हो या न किया हो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वे हाऊस में नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उनके घर पहुंच गया हूं और उन्होंने वैसे ही मेरा सत्कार किया। उन्होंने बल दिया कि राजतंत्र चल रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जनतंत्र में उनको राजतंत्र कैसे दिखायी दे रहा है ?

मान्यवर, उत्पीड़न और शोषण यह शब्द ऐसे प्रचलित हो गये हैं जैसे कि इन्कलाब जिन्दाबाद। उसी तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनियन के साथ मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, पता नहीं किस यूनियन से उनका ताल्लुक है ? वास्तव में यदि यूनियन संगठन के हित में हो तो सरकार उसका स्वागत करती है और जो यूनियन संगठन के हित में नहीं है तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्यवाही करते रहे हैं और करेंगे।

वर्मा जी ने पूंजीवाद के संबंध में कहा, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 जो कि अवश्यमेव सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है जनता की सेवा करने के लिये। मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहूंगा कि मक्खी तो दो तरह की होती है—एक मधु मक्खी और दूसरी साधारण मक्खी। तो आप यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 को मधु मक्खी की तरह ही देखें तो अवश्य ही यह आपको अच्छा लगेगा।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय ने कानपुर की बसों के संबंध में कहा है तो हमने कानपुर के लिये 13 बसें दी हैं और भविष्य में भी वहां के लिये हम 20–25 बसें देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था हो जाने पर वह दी जायेंगी।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि टिकटों में जालसाजी हो रही है और यह सही बात है, इसी बात को लेकर हम टिकट की एक नयी प्रणाली लागू करने जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में सुधार होगा। माननीय भगौती चौधरी ने कहा कि विकलांगों की मदद की जाये, तो मान्यवर, विकलांगों की मदद की जाती है, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में सोचूंगा कि और अधिक क्या किया जा सकता है। मान्यवर, खां साहब ने एक बात कही, उनका खुद का इस निगम से काफी नजदीकी रिश्ता है और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, मैं उन पर अमल करने का प्रयास करूंगा। श्री अबरार अहमद ने जो मिनी बसें हैं, उनके बारे में कहा। इसमें उच्च न्यायालय से बाधा है, और जैसे ही हम कुछ कर सकेंगे, तो मैं अपने को प्रसन्न महसूस करूंगा। श्री भगवान दीन कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं हैं और उनकी बातों को सुनकर बड़ा आनन्द आया। उन्होंने इन्सेन्टिव स्कीम के बारे में कहा और परमिट के बारे में कहा। वह काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आये। अगर वह व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलेंगे तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगा, उन्होंने जो इन्सेन्टिव स्कीम के बारे में कहा, तो मैं उसके बारे में पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कार्यवाही की जाये और इससे कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचेगा। माननीय विक्रमादित्य पान्डे जी ने 21वीं सदी की बात कही, बसें तो हम ठीक कर रहे हैं और जब 21वीं शताब्दी में पहुंचेंगे तो यह बसें हवाई जहाज

की तरह से नजर आयेंगी। बलिया में पीने के पानी की चर्चा की गयी है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था वहां पर हो जायेगी। बसों की बात पर गौरी भैया भी जोर दे रहे हैं, तो बलिया में पद यात्रा का बड़ा प्रचलन है, मैं समझता था कि वहां शायद बसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वह अपना विचार बदल देंगे तो बसों की व्यवस्था जरूर की जायेगी। गजराज सिंह ने कहा कि बस अड्डों पर बसें नहीं रुकती हैं और गलत जगहों पर रुकती हैं। इस संबंध में हमने कर्मचारियों को दंडित किया है और यह बसें बस स्टाप के अलावा और कहीं नहीं रुकेंगी। हर जगह पर शौचालय और पानी तथा सफाई की व्यवस्था हो, इस ओर प्रयास किया जायेगा। श्री एच0 एन0 दीक्षित जी ने औपचारिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, तो उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा। श्री लवानिया जी ने अपने क्षेत्र की बातें कही हैं और बड़ा मनोरंजक भाषण दिया, उनकी बातों पर ध्यान दिया जायेगा और उनकी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया जायेगा। श्री डी0 एन0 दीक्षित ने और श्री राकेशधर त्रिपाठी ने तो रिकार्ड तोड़ दिया, सारा रिश्ता पल्टी कर दिया, मुझे आश्चर्य है कि उनकी विचारधारा इस तरह की है, मान्यवर, हमारी प्राचीन परम्परा है और सेवा की भावना है और अगर कोई कमजोरी है तो आप सुझाव दें और वह कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी लगे, कुछ दलीय समस्या है और कुछ घरेलू समस्यायें हैं, कपिल जी ने कहा और उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जायेगा। श्री माता प्रसाद पान्डेय जी ने पिछले वर्ष कटौती का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये थे, उनकी इस विभाग के प्रति बहुत रुचि है, हमारे निगम में उनकी रुचि है, उनका ध्यान आंकड़ों पर है, हमारी प्रगति पर है और हमारे कार्यों पर है। मुझे विश्वास है कि उनका पूरा मार्ग दर्शन मिलेगा। ईश्वर शरण विद्यार्थी जी ने राकेशधर त्रिपाठी जी का जवाब देने का प्रयास किया परन्तु उनका जवाब अधिक प्रभावी नहीं रहा, मैं उनको उत्साह दिलाता हूं कि वह और कोशिश करें। श्री मानवेन्द्र सिंह जी ने कहा और जो सुझाव अपने क्षेत्र के बारे में दिये हैं, उन पर विचार किया जायेगा और बसों की व्यवस्था की जायेगी। कर्नल केशरी सिंह जी ने बस्ती के बारे में कहा, तो बस्ती की जो समस्या है उसका निराकरण किया जायेगा और माता प्रसाद पान्डेय जी ने जिन खराबियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उनको दूर करने की व्यवस्था की जायेगी। श्री अब्दुल महीद कुरेशी और गौरी भइया जी आप सभी ने इस बजट पर अपने सुझाव दिये और सलाह दिया मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अन्त में आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है परिवहन निगम के इस डिपार्टमेन्ट की सेवा से इसके बारे में बहुत सारी बातें, खराबियों की कही जाती हैं तो जो खराबियां हैं वह आपके सामने हैं। मैं उसे छिपाने की कोशिश नहीं करता हूं। एक चीज जरूर है जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के, श्रृंखला के उनका प्रवेश इसमें हुआ है जिस तरह से उन्होंने काम किया है जिसके परिणाम के बारे में इसके पहले भी बजट पर ध्यान गया था आज भी कह रहा हूं। मैं सिर्फ आंकड़ों को ही आपके सामने पेश कर सन्तुष्ट नहीं होना चाहता। यह बिल्कुल

सत्य है। हमारे विरोधी दल के साथी यहां बैठे हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। आज तो औपचारिकता होती है कोई कार्य एक वातावरण में तैयार होता है। सबसे बड़ी आज आवश्यकता है सिर्फ परिवहन विभाग की बात नहीं है किसी भी विभाग के किसी भी संगठन की बात है जब तक स्वस्थ वातावरण न हो, लोगों को काम करने की दिलचस्पी न हो और जहां दिलचस्पी सिन्सियरिटी की बात है इसको किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता यह मैं कहता हूं। बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने एक्शन लिये हैं। तमाम सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया है। अगर कार्य सही है अच्छा है तो सिन्सियरिटी अपने आप से निकलेगी, या तो उनको डर दिया जायेगा या भय दिया जायेगा, तभी कार्य ठीक से हो सकेगा। मुझे खुशी है कि ट्रेन्ड लोगों का अभाव नहीं है तमाम सारी ट्रेनिंग करायी गयी है, लोगों को। तमाम सारे प्रदेशों की चर्चा की जहां पर अच्छी सर्विसेज है, वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजकर उनको अनुभव कराया गया है। जो अच्छे ट्रान्सपोर्टर्स में से हमारे प्रदेश में हैं उनके तरीके से हम काम कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं हमें विश्वास है और आपको आश्वस्त होना चाहिए कि आगामी भविष्य में अवश्यमेव अच्छा काम होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जिस परम्परा से और जिस प्रणाली से लोग बढ़ रहे हैं उससे अवश्यमेव अच्छे परिणाम हासिल होंगे। तमाम सारी चीजों पर जो बातें कही गयी हैं उनको मैंने नोट किया है उनके बारे में कठोरता से सरकार कार्यवाही करने की कोशिश करेगी। मैं अन्त में माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि आज जो बजट रखा गया है उसको स्वीकार करें। जो औपचारिकताएं इससे पहले होती रही हैं उससे हटकर इस बजट का स्वागत करें और इसको पास करें।

* श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, मैं युवा मंत्री जी की इस बात की तारीफ करता हूं कि उन्होंने पहले भी हर व्यक्ति के सुझाव को नोट किया था और इस बार भी हर सुझाव को नोट किया और उसके ऊपर ध्यान दिया और उसका उत्तर देने का प्रयास किया। नहीं तो यहां पर ऐसी परम्परा बन गयी है कि लोग ऊपर मुंह किये बैठे रहते हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ करते हुए एक स्पष्टीकरण चाहता हूं यह एक अन्याय है, कि आपकी अपनी गाड़ियों पर 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च हो रहा है और जो अनुबंधित गाड़ियां हैं जो उसी वर्ष की हैं, नयी हैं उनको 2 रुपये देते हैं और फिर 5 पैसे कम होता चला जाता है 1.95 और 1.90 पैसा यह अंधेरगर्दी है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए इस बजट में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इसको आप कब तक पूरा करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह—

माननीय राणा जी ने जो बात कही, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइवेट आपरेटर्स हैं जिनकी हमारे पास बसें अनुबंधित हैं उसमें किसी बस में एक होता है किसी में दो होते हैं जिसमें एक ड्राइवर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है और एक क्लीनर होता है। लेकिन जो हमारा संगठन है जिसमें 6 हजार बसें हैं उनमें एक बस के ऊपर लगभग 9 आदमी होते हैं। और उसके अनुसार ही हमारा खर्चा आता है। जहां तक उन्होंने महंगाई की बात कही, उसके बारे में हम विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में बसों का कोई भी किराया नहीं बढ़ाया जायेगा। जो आपने एस0 टी0 ए0 और आर0 टी0 ए0 कमेटियों में जन प्रतिनिधियों को रखने की बात कही है उसमें क्या माननीय मंत्री जी सत्ता दल के लोगों को ही रखेंगे या अन्य दलों के लोगों को भी रखेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

जहां तक किराया वृद्धि की बात है मुझे लगता है कि माननीय विधायक सक्रिय रूप से यहां पर नहीं बैठते हैं, कोई एक्टीविटी ही रखते हैं क्योंकि किराये के बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। जहां तक जन प्रतिनिधियों को रखने की बात है उसमें दल का नहीं संगठन का ध्यान ज्यादा दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 29,27,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अंतर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। उसमें श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ने बस्ती जनपद के डुमरियागंज मुख्यालय पर आयोजित सभा में श्री रामवृक्ष पांडेय की पुलिस द्वारा गोली मारने से मृत्यु के संबंध में, श्री रामसागर ने श्री ओमप्रकाश ब्लाक, प्रमुख व श्री रामवृक्ष, गोरखपुर पर हमला, श्री रघुबर दयाल वर्मा ने रामलीला कमेटी, आगरा द्वारा अवैध निर्माण से उत्पन्न स्थिति, श्री बदन सिंह तथा श्री किरन पाल सिंह ने पी0 ए0 सी0 अधिकारियों द्वारा मुख्य आरक्षी के साथ दुर्व्यवहार, श्री यदुनाथ सिंह ने संत रविदास जयन्ती के जुलूस पर ठाकुरों द्वारा गोली चलाने से दो हरिजनों की हत्या, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने रत्ना चीनी मिल, शाहगंज, जौनपुर के मजदूरों को वेतन न मिलना तथा श्री मित्रसेन ने ब्लाक प्रमुख (उन्नाव) को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में सूचनाएं दी हैं। इन सात सूचनाओं में से श्री माता प्रसाद पांडेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की सूचना माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार की है बाकी अस्वीकृत हुई।

**श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी जिला सेवायोजन अधिकारी, सीतापुर की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य**

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

प्राप्त सूचना के अनुसार. . . .

श्री विजय सिंह राणा–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

[डा0 एम0 के0 बाजपेयी चिकित्साधिकारी जेल एवं पुलिस सीतापुर ने दिनांक 23-9-85 को 11.30 बजे दिन थाना कोतवाली सीतापुर पर अपने बड़े भाई प्रमोद कुमार बाजपेयी जिला सेवायोजन अधिकारी, सीतापुर के अपने निवास पर पंखे से लटक कर मृत पाये जाने के संबंध में सूचना अंकित कराई । इस पर पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कराकर उसे पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया । मृतक की चारपाई पर उसके द्वारा लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसके द्वारा स्वेच्छा से आत्म हत्या करने का उल्लेख था। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना पाया गया एवं मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी । मामले में की गई जानकारी से जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उनसे मृतक द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या किये जाने का मामला प्रतीत हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी को उनके विभागीय अधिकारियों के उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार, विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री ए0 सी0 सेठ द्वारा दी गई धमकी विषयक श्री शान्ति स्वरूप बाजपेयी (मृतक के पिता) का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में जांच प्रचलित है। अब तक की जांच से कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह इंगित हो सके कि श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी को उनके विभागीय अधिकारियों के षड़यंत्र के कारण हत्या की गई हो ।]

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रमोद कुमार बाजपेयी का वर्ष 84-85 के एक वर्ष के कार्यकाल में 15 बार स्थानान्तरण किया गया तो इसके क्या कारण थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह कहना सच नहीं है कि 10 बार स्थानान्तरण किया गया, 4, 5, बार स्थानान्तरण हुआ था और उन्होंने ही स्थानान्तरण को संशोधित कराना चाहा इस कारण ही स्थानान्तरण हुआ, विभाग की तरफ से कोई बात नहीं हुई ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, जो हमारे पास सूची है उसके मुताबिक उनका 12 महीनों में 14 बार स्थानान्तरण हुआ है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने उनका बार-बार स्थानान्तरण किया जिससे मानसिक रूप से उन पर दबाव पड़ा और उन्होंने आत्महत्या कर ली तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 12 महीने में 14 बार स्थानान्तरण नहीं हुआ बल्कि 4,5 बार हुआ । पहले तो यह 5 साल तक खीरी रहे, वहां से हटना नहीं चाहते थे। उस वक्त तेजनारायण जी वहां के विधायक थे, उनकी संस्तुति पर यह खीरी में बांदा किया गया।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वहां उन्होंने नहीं जाना चाहा तो उनकी प्रार्थना पर रामपुर और सीतापुर जाने चाइस मांगी थी, तो जब रामपुर किया तो वहां एडजस्ट नहीं हुए, तो फिर सीतापुर स्थानान्तरण हुआ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी पहली बात पर जोर देना चाहता हूं। बाजपेयी जी का पहला ट्रांसफर दिनांक 15 मई, 1984 को लखीमपुर से बांदा, 2. दिनांक 5 जून, 84 को लखीमपुर से बिजनौर, 3. दिनांक 11 जून, 84 को उनके पत्नी के प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, 4. दिनांक 30 जून, 84 को लखीमपुर खीरी से नैनीताल, 5. दिनांक 25 सितम्बर, 84 को लखनऊ कार्यालय में प्रचार अधिकारी के पर अटैच। 6. दिनांक 22-5-85 को लखनऊ से रामपुर 7. दिनांक 4-5-85 को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट लखीमपुर पेशी पर नहीं जाने दिया गया, 8. दिनांक 1-7-85 रामपुर के आदेश निरस्त। 9. दिनांक 4-7-85 रामपुर से सीतापुर स्थानान्तरण, 10. दिनांक 8-7-85 को सीतापुर का आदेश निरस्त, 11. 9-7-85 को लखनऊ कार्यालय में पुनः एडजेस्टमेंट, 12. दिनांक 12-7-85 को लखनऊ के आदेश निरस्त, 13. दिनांक 17-7-85 को पुनः सीतापुर स्थानान्तरित, 14. दिनांक 25-8-85 को पुनः सेवायोजन अधिकारी, सीतापुर स्थानान्तरित। तो इस प्रकार 12 महीने में 14 बार स्थानान्तरण हुआ है।

मैं अपनी निजी जानकारी दे रहा हूं कि उनके पिता जी ने सरकार को पत्र लिखा है कि यह आदमी एक सरकारी बड़े अधिकारी के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए थे। जिसका जवाब मुख्य मंत्री जी की तरफ से गया है कि मामले की जांच कराई जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन अधिकारी है जो जांच कर रहे हैं और वह कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जितनी बार भी ट्रांसफर हुआ वह उनके ही अनुरोध पर हुआ। 5 साल यह खीरी रहे और सीतापुर में इनके एक भाई जेल में पुलिस के डाक्टर हैं, वहीं घूम फिर कर आना चाहते थे और यह हरदोई के रहने वाले थे, उनको मुख्यालय पर किया तो यहां पर भी एडजेस्ट नहीं कर पाये, जिस पोस्ट के लिए वह अर्ह नहीं थे उस पर मुख्यालय पर एडजस्ट किया फिर भी उन्होंने एडजेस्ट नहीं किया। श्री धर्मराज सिंह और तेजनारायण जी विधायक के अनुरोध पर यह किया, और उन्हीं के अनुरोध पर स्थानान्तरण बार-बार होता रहा। कोई उत्पीड़न की नीयत से नहीं किया और उच्च अधिकारियों ने उत्पीड़न की नीयत से किया यह सत्य से परे है। (व्यवधान) जांच सी0 आ0 कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, 7-12-85 को स्व0 बाजपेयी के पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन सारी परिस्थितियों को बताया है कि निदेशक और अतिरिक्त निदेशक ने गलत नामिनेशन करने के लिए दबाव डाला और लिखित भी दिया। सभी की फोटोस्टेट कापी मुख्य मंत्री जी को दिया है, और उन्होंने शंका व्यक्त किया है कि मेरे पुत्र ने आत्म हत्या नहीं बल्कि विभाग के निदेशक और उप निदेशक ने उसको मरवा

दिया है, इसलिए शंका है। जिससे उन्होंने मुख्य मंत्री जी से सी0बी0आई0 से जांच करवाने की मांग किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्गीय बाजपेयी के पिता का पत्र मुख्य मंत्री जी को मिल गया है कि नहीं। उस पत्र को क्या उन्होंने पढ़ लिया है ? इसलिए तमाम परिस्थितियों का निराकरण हो जाये कि आत्म हत्या का मामला है या उसको बड़े अधिकारियों ने मरवा दिया है, इसलिये क्या इसकी सी0बी0आई0 से मंत्री जी जांच करवायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जिस बड़े अधिकारी के बारे में श्री गौरी भैया और श्री राम गोविन्द ने इंगित किया है वह बड़ा अधिकारी न उस समय स्थानान्तरण करता था और न आज कर रहा है, उसके हाथ से स्थानान्तरण नहीं हो रहे हैं। इसलिये उस बड़े अधिकारी का इसमें दोष नहीं पाया गया है। मैं समझता हूं कि जो तथ्य और जिले से सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार किसी भी अधिकारी द्वारा उत्पीड़न करने का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि वह स्वतंत्रता संग्राम सैनिक का पुत्र है इसलिये शासन इसमें सी0आई0डी0 द्वारा इंक्वायरी कराने पर विचार कर लेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्पष्टीकरण में कहा है कि मृतक द्वारा लिखा एक पत्र पाया गया। जिसके संबंध में मृतक के पिता ने लिखकर दिया है कि यह पत्र उनके पुत्र की राइटिंग का नहीं है, इसकी जांच करवा लें। वह गजटेड आफिसर, जिला सेवायोजन अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है। उसके पिता ने आजादी के लिये संघर्ष किया, उन्होंने अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की जांच करवा ली जाये लेकिन इतने दिन हो गये हैं और कुछ नहीं हुआ, इसलिये इसको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके पत्र में जिन बिन्दुओं के संबंध में श्री बाजपेयी ने मुख्य मंत्री जी को लिखा है उनकी जांच क्या मंत्री जी सी0आई0डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं तो इस संबंध में पहले ही कह चुका हूं, इसलिये उसको दोहराने की आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे, पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
5 मार्च, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर।)

खरीफ वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक खोले गए केन्द्र तथा उन पर की गयी धान खरीद का विवरण

| एजेंसी का नाम | क्रय केन्द्र का स्थान | क्रय केन्द्र खोले जाने का दिनांक | धान खरीद की मात्रा (कुन्तल में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारतीय खाद्य निगम | 1—लखीमपुर | 16–10–85 | 30 |
| | 2—गोला गोकरननाथ | 16–10–85 | 2.40 |
| | 3—पलिया कलां | 20–12–85 | . |
| | | योग | 270 |
| राज्य खाद्य निगम | 1—लखीमपुर खीरी | 31–10–85 | 82.71 |
| | 2—सुन्दर वल | 6–11–85 | 29.80 |
| | 3—भीरा | 1–11–85 | 10.00 |
| | 4—पलिया | 6–11–85 | 190.50 |
| | 5—मैलानी | 2–11–85 | 47.50 |
| | 6—दाउतपुर | 18–11–85 | .. |
| | 7—बांके गंज | 25–11–85 | .. |
| | | योग | 360.51 |
| उ0प्र0 सहकारी संघ | 1—लखीमपुर | 7–10–85 | 121 |
| | 2—गोला | 7–10–85 | 442 |
| | 3—मोहम्मदी | 7–10–85 | 1,265 |
| | 4—नैगलगंज | 7–10–85 | . |
| | 5—निघासन | 7–10–85 | 204 |
| | 6—बिलराया | 7–10–85 | 196 |
| | 7—ओयल | 7–10–85 | 14 |
| | 8—घौरहरा | 7–10–85 | 17 |
| | 9—ढाका | 7–10–85 | .. |
| | 10—भीरा | 7–10–85 | .. |
| | 11—जसनगर | 7–10–85 | 131 |
| | 12—सम्पूणनगर | 7–10–85 | 20 |
| | 13—चन्दन चौकी | 7–10–85 | 2,300 |
| | | योग | 4,713 |
| एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन | 1—गोलागोकरन नाथ | 30–11–85 | .. |
| | 2—मैलानी | 30–11–85 | .. |
| | 3—मोहम्मदी | 30–11–85 | .. |
| | 4—भीरा | 30–11–85 | .. |
| महायोग | 27 केन्द्र | | 5343.51 |

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

संख्या 14/1/1984–कार्मिक–2

प्रेषक,

श्री जी0पी0 शुक्ल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 8 अप्रैल, 1985

विषय—सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के विषय पर वर्ष 1985-86 के लिए नीति।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव के सम संख्यक अर्धशासकीय पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1984 द्वारा वर्ष 1984–85 हेतु सूचित की गयी स्थानान्तरण नीति वर्ष 1985–86 के लिए भी लागू रहेगी।

2—मुझे यह भी कहना है कि समूह "ग" (क्लास–3) के लिपिक वर्गीय तथा समूह "घ" (क्लास–4) के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या 16/3/80 का–2, दिनांक 28 मई, 1981 में संसूचित किए गए निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे।

3—उपर्युक्त सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28 मई, 1981 को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के संकलन के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ संख्या–267 पर देखा जा सकता है।

भवदीय,
जी0पी0 शुक्ल,
सचिव।

संख्या 14/1/1984(1)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जी0पी0 शुक्ल,
सचिव।

अर्द्ध शा0प0सं0 14/1/1984 कार्मिक–2

गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,
कार्मिक अनुभाग–2
लखनऊ, दिनांक 17 अप्रैल, 1984

प्रिय महोदय,

सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 1984–85 के लिए निम्नांकित नीति निर्धारित की गयी है :–

(1) समूह "घ" (क्लास फोर्थ) के कर्मचारियों को अपने जिले में समूह "ग" (क्लास थ्री) के कर्मचारियों को अपने मण्डल में (गृह स्थान को छोड़कर) समूह "ख" (क्लास टू) एवं समूह "क" (क्लास वन) के अधिकारियों को गृह जनपद को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समूह "ग" (क्लास थ्री) के कर्मचारियों को अपने मण्डल में (गृह निवास स्थान को छोड़कर) स्थानान्तरित करने के सामान्य निर्देश इस समूह के लिपिकीय वर्ग व अप्रशासकीय कर्मचारियों के लिए ही हैं। पुलिस संवर्ग विभिन्न विभागों के निरीक्षक वर्ग के कर्मचारी नायब तहसीलदार, तहसीलदारों तथा अन्य प्रशासकीय पद धारकों के स्थानान्तरण पूर्व की भांति मण्डल के बाहर भी किए जा सकते हैं और इस पर कोई निषेध नहीं है फिर भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में बिना किसी समुचित कारण के स्थानान्तरण न किए जायं। समूह "ग" के लिपिकीय वर्ग तथा समूह "घ". के कर्मचारियों को जिले के बाहर स्थानान्तरित करने का प्रसंग उसी दशा में उठेगा जबकि इस वर्ग के कर्मचारियों के मण्डल स्तरीय संवर्ग हों और उसके स्थानान्तरण के लिए समकक्ष पद उपलब्ध हों। जिले के अन्दर ही अन्य विभागीय समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित विभाग के नियम एवं कार्य पद्धति के अनुसार किए जा सकते हैं।

(2) सामान्यतः किसी भी पद पर अधिकारी अथवा कर्मचारी को यथासम्भव तीन वर्ष तक अवश्य रखा जाय। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है। यह इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि अधिकारी/कर्मचारी को सौंपे गए कार्य को पूरा करने में उसके सामर्थ्य को आंका जा सके एवं उसे भी इतना समय मिले कि वह अपने कार्य को पूरी शक्ति एवं लगन के साथ कर सके।

(3) दिनांक 30 जून, 1984 को जिस अधिकारी/कर्मचारी को अपने वर्तमान पद/स्थान पर रहते हुए तीन वर्ष या इससे अधिक की अवधि हुई हो, उससे उसकी सुविधानुसार 3 स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए लिखित सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए। अधिकांश मामलों में प्राप्त विकल्पों के अनुसार समायोजन कर स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा सकते हैं। व्यवहार में केवल कुछ ही मामले ऐसे होंगे जिनमें प्रयास करने के बाद भी प्राप्त विकल्पों के अन्तर्गत समायोजन सम्भव न हो सके। ऐसे मामलों में भी, तैनाती यथासम्भव सम्बन्धित कठिनाई के परिप्रेक्ष में किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(4) वार्षिक स्थानान्तरण के आदेश 15 जून, 1984 तक निर्गत कर दिए जायं और आदेशों का कार्यान्वयन 30 जून, 1984 तक सुनिश्चित कराया जाय।

(5) शिकायतों के आधार पर सामान्यतः स्थानान्तरण न किए जायं बल्कि जांच कराकर दोषी पाए जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को दंडित किया जाना चाहिए।

(6) वार्षिक स्थानान्तरण के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय सम्भावित प्रोन्नति के प्रकरणों को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए जिससे वर्ष के मध्य में फिर अनावश्यक स्थानान्तरण न करने पड़ें। इसी प्रकार सम्भावित सेवा निवृत्ति के प्रकरणों को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए।

(7) विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर कार्मिकों की तैनाती एक सुविचारित कार्मिक नीति के अन्तर्गत की जानी चाहिए।

(8) सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जल्दी एवं बार-बार स्थानान्तरण से न केवल उनके कार्य-कुशलता पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि इसके फलस्वरूप वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अपेक्षित योग्यता भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। स्थानान्तरण आदेश जारी करने के पूर्व इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(9) पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका निवास स्थान मैदानी जिलों में हैं, को एक स्थान में बनाए रखने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी परन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इस अवधि में निष्ठापूर्वक अपना कार्य सम्पादित किया गया हो। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसका निवास स्थान मैदानी जिले में है स्वयं दो वर्ष से अधिक पर्वतीय क्षेत्र में रहना चाहे तो सामान्य नीति के अन्तर्गत तीन वर्ष तक वहां तैनात रहने देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(10) वर्ष 1984–85 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण यथा-सम्भव न्यूनतम संख्या में ही किए जायं।

(11) जिन किन्हीं मामलों में निर्धारित मार्ग-दर्शक बिन्दुओं से हट कर कोई स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित हो या वर्ष के मध्य (1–7–84 से 31–3–85 तक) अपरिहार्य रूप से स्थानान्तरण आवश्यक बन पड़े तो उन प्रकरणों पर उच्चादेश प्राप्त करने की निम्नांकित प्रक्रिया होगी :—

(क) समूह "क" एवं 'ख' के कार्मिकों के ऐसे स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पूर्व मुख्य मन्त्री जी की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) समूह "ग" एवं "घ" के ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में विभागीय प्रभारी मन्त्री जी की पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

(12) 1–7–84 से 31-3–85 तक सामान्य स्थानांतरणों पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस अवधि में केवल निम्नांकित प्रकरणों में ही सक्षम स्तर से स्थानान्तरण किए जा सकेंगे—

1—अनुशासनिक कार्यवाही जो सतर्कता विभाग की संस्तुति पर की जा रही हो और जिसमें सम्बन्धित को अपने वर्तमान पद/स्थान से हटाना आवश्यक समझा जाय।

2—पदोन्नति।

3—प्रति नियुक्ति—इस प्रकार के स्थानान्तरणों के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए यदि स्थानान्तरण किया जाता है तो उस पर वही प्रतिबन्ध लागू होंगे जो अन्य स्थानान्तरणों पर लागू हैं।

(13) स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को जब तक वह अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता, सामान्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायगा।

(14) उपर्युक्त मार्ग-दर्शक निर्देश केवल आन्तरिक व्यवस्था के लिए है। उनका आशय न तो सेवा शर्तों का निर्धारण करना है और न इस प्रकार से जारी किए गए निर्देशों से सेवा शर्तों का निर्धारण किया ही जा सकता है। स्थानान्तरण से सम्बन्धित इन निर्देशों से कोई विधिक अधिकार किसी अधिकारी या कर्मचारी को न तो प्राप्त होता है और न उसे प्रदान ही किया गया है।

(15) इस पत्र के माध्यम से अग्रिम सूचना देने का आशय यह है कि समय रहते वांछित व्यवस्था कर ली जाय। यह भी अनुरोध है कि कृपया इन आदेशों का पालन सभी स्तरों पर सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय,
**गिरीश मेहरा**

सेवा में,

समस्त सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

खरीफ क्रय योजना वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 30-11-85 तक की गयी धान खरीद की मात्रा (मी0 टनों में)

| जनपद | | | | एजेंसीवार खरीद की मात्रा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम-सं0 | | भा0खा0 नि0 | रा0खा0नि0 | सह0 संघ | एग्रो0 कार0 | मु0वि0 निगम | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | रायबरेली | .. | 48.5 | 200 | | | 248.5 |
| 2 | हरदोई | .. | 24.6 | .. | | | 24.6 |
| 3 | उन्नाव | .. | 20.4 | .. | | | 20.4 |
| 4 | सीतापुर | . | 19.2 | 81 | . | | 100.2 |
| 5 | लखीमपुर | 27 | 36.0 | 65 | | | 128.0 |
| 6 | बाराबंकी | .. | 13.4 | 50 | | | 63.4 |
| 7 | गोरखपुर | 2118 | 117.4 | 557 | | 15 | 2807.4 |
| 8 | देवरिया | . | 28.7 | 121 | .. | 15 | 164.7 |
| 9 | बस्ती | . | 79 3 | 101 | .. | 10 | 190.3 |
| 10 | बरेली | 992 | 14.2 | 39 | .. | .. | 1045.2 |
| 11 | बदायू | 160 | 6.5 | .. | .. | .. | 166.5 |
| 12 | पीलीभीत | 99 | 104.6 | 88 | .. | .. | 291.6 |
| 13 | शाहजहांपुर | 855 | 107.4 | 250 | .. | .. | 1212.4 |
| 14 | मुरादाबाद | 10 | 430.5 | 420 | | .. | 860.5 |
| 15 | रामपुर | 420 | 137.0 | 1839 | .. | .. | 2396.0 |
| 16 | बिजनौर | 30 | 232.5 | 550 | . | .. | 812.5 |
| 17 | हल्द्वानी (नैनीताल) | 517 | 120.0 | 2900 | .. | .. | 3537.0 |
| 18 | मैनपुरी | .. | 22.2 | .. | .. | .. | 22.2 |
| 19 | एटा | .. | 33.2 | 102 | .. | .. | 137.2 |
| 20 | अलीगढ़ | .. | 43.4 | .. | .. | .. | 43.4 |
| 21 | मथुरा | .. | 12.6 | .. | .. | .. | 12.6 |
| 22 | मु0 नगर | 136 | 137.1 | 403 | .. | . | 676.1 |
| 23 | सहारनपुर | 813 | 99.4 | 1382 | .. | 671 | 2965.4 |
| 24 | मेरठ | .. | .. | 115 | .. | .. | 115.0 |
| 25 | इटावा | .. | .. | 3 | .. | .. | 3.0 |
| 26 | फतेहपुर | .. | .. | 374 | .. | .. | 374.0 |
| 27 | गोण्डा | .. | 6.3 | 20 | .. | .. | 26.3 |
| 28 | बहराइच | 54 | . | 8 | . | .. | 62.0 |
| 29 | प्रतापगढ़ | .. | .. | 20 | .. | .. | 20.0 |
| 30 | सुल्तानपुर | . | .. | 48 | .. | .. | 48.0 |
| 31 | इलाहाबाद | .. | .. | 31 | .. | .. | 31.0 |
| 32 | फैजाबाद | .. | .. | 15 | .. | .. | 15.0 |
| | योग | 6231 | 1896.4 | 9782 | .. | 711 | 18620.4 |

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0-50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1985-86 में धान खरीद हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा खोले गए केन्द्रों तथा उन पर की गयी धान खरीद का विवरण

| एजेंसी का नाम | क्रय केन्द्र का स्थान | खोलने की अवधि | खरीद की गई मात्रा (कुन्तल में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारतीय खाद्य निगम | 1--रुदौली | 25-10-85 | .. |
| | 2- फतेहपुर | 25-10-85 | .. |
| | | योग | .. |
| सहकारी संघ | 1--मुड़ियामऊ | 29-10-85 | 601.10 |
| | 2--देवा | 29-10-85 | 15.00 |
| | 3--बड़ा गांव | 29-10-85 | .. |
| | 4--मिटरिया | 29-10-85 | .. |
| | 5--कोटवा सड़क | 29-10-85 | .. |
| | 6--हैदरगढ़ | 30-11-85 | .. |
| | 7--सफदरगंज | 29-10-85 | |
| | | योग | 616.10 |
| राज्य खाद्य निगम | 1--कोठी | 29-10-85 | 19.40 |
| | 2--फतेहपुर | 29-10-85 | .. |
| | 3--जैदपुर | 30-10-85 | 84.75 |
| | 4--बदोलराय | 30-10-85 | 30.00 |
| | | योग | 134.15 |
| एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन | 1--बाराबंकी | 7-12-85 | .. |
| | 2--मिटरिया | 7-12-85 | .. |
| | 3--फतेहपुर | 7-12-85 | .. |
| योग | कुल 16 केन्द्र | योग | .. |
| | | महा योग | 750.25 कुन्तल |

पी0एस0यू0पी0--एल0 49 विधान सभा (71) 1986-813।